खण्ड-171, अंक-4
बुधवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1878
(25 अप्रैल, 1956 ई0)

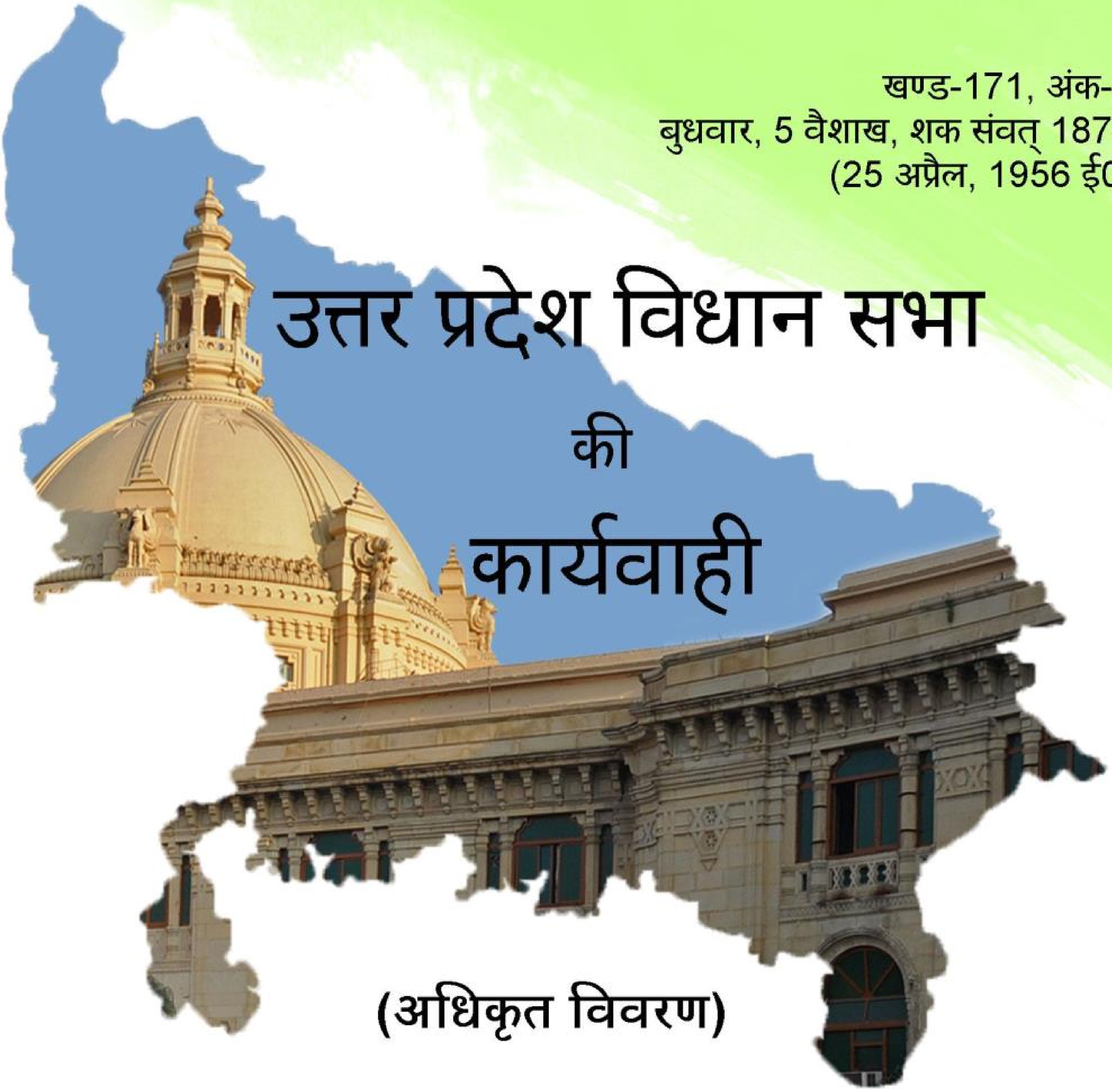

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के गिरफ्तार सदस्यों को २४ घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित न करने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	२६७–२६८
१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिऐशन बिल) (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२६८
उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६ (विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	२६८
गया प्रसाद लाइफ सेविंग फंड ट्रस्ट, कानपुर के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	२६८
सरकार द्वारा दिये गये ऋण का व्यय रोकने के लिये प्रार्थना . .	२६९
उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार जारी)	२६९–३१०
१९५६–५७ की लोक लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में सूचना . .	३१०–३११
नेशनल इंटर कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर से संबद्ध १६ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४–५ के विषय पर विवाद . .	३११–३१७
नत्थियां	३१८–३३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
ख्याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौराराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय श्री,
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दूराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की--

१. श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल,

२. श्री मोहनलाल वर्मा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पांच हेड मिस्ट्रेसेज की नियुक्तियां

**१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Public Service Commission द्वारा किये गये विज्ञापन नं० ५९, दिनांक २२ सितम्बर, १९५२ के अनुसार ५ Head Mistresses की नियुक्तियां हो गई हैं या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां।

**२—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों का विज्ञापन Permanent pensionable posts के लिये किया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

**३—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुने हुये Candidates का appointment officiating रूप से है या probationary रूप से ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नियुक्तियां अभी स्थानापन्न रूप से की गई हैं और परीक्षण-काल पर रखने के प्रश्न पर पदों के स्थायी रूप से रिक्त होने पर विचार किया जायगा।

पीलीभीत नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध कथित अविश्वास का प्रस्ताव

**४—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास पीलीभीत नगरपालिका के चेयरमैन के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले में ओला वर्षा से रबी की फसल को क्षति

**५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माल मंत्री जी को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है कि २२ मार्च को कानपुर जिले में भीषण ओला वर्षा से फसल रबी का कितने गांवों में नुक्सान हुआ ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां, २२ मार्च सन् १९५६ को कानपुर जिले में भीषण ओलाबारी व वर्षा के कारण ४०२ ग्रामों में रबी १३६३ की फसल को क्षति पहुंची।

**६—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या स्थानीय अधिकारियों ने नुकसान की रिपोर्ट देते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि इसके पहिले खरीफ की फसल भी अतिवृष्टि और पाले के कारण बर्बाद हो गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन ४०२ गांवों में ओला से नुकसान हुआ है वहां के किसानों को किस तरह सहायता देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा १ लाख २५ हजार १ सौ ८९ रु० १५ आ० ३ पाई छूट के लिये रखा गया है। उसके लिये कार्यवाही हो रही है और २ लाख की तकावी मांगी गयी है। वह लैंड कमिश्नर के अधिकार में है, वह देंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन किसानों ने सरकारी बीज गोदामों से खेत बोने के लिये गल्ला लिया था, जो ओले से नुकसान हो गया है उस गल्ले को माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी तक तो इस पर कोई विचार नहीं हुआ है और इसका संबंध कृषि विभाग और सहयोगी विभाग से होगा, मैं कह नहीं सकता कि बीज की बाबत क्या होगा।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि ओलागर्दी के कारण चारे की बहुत कमी हो गयी है इसलिये चारा बोने के लिये क्या मुफ्त पानी देने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, नहर विभाग से निश्चय किया गया है कि वह चारा बोने के लिये किसानों को पलेवा वगैरह मुफ्त दें।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस ओला वृष्टि से जो अरहर की फसल को क्षति पहुंची है उसको भी इस नुकसान में शामिल किया है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो डिटेल की बात है। नोटिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें रबी की फसल का नुकसान लिखा है।

आजमगढ़ जिले की टाउन एरियाओं तथा नगरपालिकाओं की ऋण के लिए मांग

****७---श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५५-५६ और १९५६-५७ में आजमगढ़ की किन-किन टाउन एरिया और नगरपालिकाओं ने प्रांतीय सरकार से किन-किन कामों के लिये विशेष अनुदान और ऋण की मांग की है ?

श्री सैयद अली जहीर---वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

वित्तीय वर्ष ५६-५७ में अभी तक आजमगढ़ जिले की किसी टाउन एरिया या नगर-पालिका से विशेष अनुदान व ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

तारांकित प्रश्न

सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस गाड़ियों पर व्यय

***१---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं और उन पर वार्षिक कितना खर्च होता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में ३९ एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जिन पर १९५४-५५ का व्यय रु० ८९,७८५-१२-१० हुआ।

*२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि इन एम्बुलेंस गाड़ियों का अधिक प्रयोग न होने से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो वार्षिक कितना घाटा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह गाड़ियां व्यापारिक उद्देश्य से नहीं वरन रोगियों की तात्कालिक आवश्यकता के हेतु दी गयी हैं। अतः घाटे का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर जिले के अगोरी परगने में चिकित्सालय की आवश्यकता

*३---श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला मिर्जापुर की तहसील राबर्टसगंज के अगोरी परगना के कौन क्षेत्र में जो चौपन से २८ मील और दुद्धी से २० मील पड़ता है कोई चिकित्सालय नहीं है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---जी हां, कोई चिकित्सालय नहीं है।

*४---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या यह सही है कि जिला चिकित्सा परामर्शदात्री समिति तथा वहां की जनता द्वारा अनेकों बार मांग की गई परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बनारसी दास---जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति तथा जनता के अनुरोध के फलस्वरूप सरकार ने इस स्थान पर चिकित्सालय खोलने का विचार किया परन्तु उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण अभी तक चिकित्सालय नहीं खुल सका।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भवन प्राप्त न होने की सूचना आप को कब मिली ?

श्री बनारसी दास---वह तो गत वर्ष इस पर विचार हुआ तभी इस बात का प्रयत्न किया गया कि कोई भवन मिल सके। लेकिन भवन नहीं मिल सका इसलिये वहां पर अस्पताल नहीं खुल सका।

श्री व्रजभूषण मिश्र---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भवन का प्रबन्ध हो जाने पर वहां पर आवश्यक चिकित्सालय खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास---जी हां, इस वित्तीय वर्ष में २२ तमाम प्रदेश के अन्दर चिकित्सालयों के भवन बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और इस स्थान पर विचार किया जायगा कि वहां पर भवन का निर्माण किया जा सके।

इलाहाबाद जिले के प्रसूत एवं शिशु-कल्याण केन्द्र

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने प्रसूत एवं शिशु-कल्याण केंद्र सरकार की ओर से चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जाती है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---इलाहाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रसूत एवं शिशु-कल्याण केंद्र कार्य कर रहे हैं :---

१---प्रतापपुर
२---हंडिया
३---आनापुर
४---मऊएमा
५---झूंसी
६---फूलपुर
७---शंकरगढ़
८---कुरांव
९---छैलखास
१०---सौराहा
११---खुदेपुर
१२---जोबीपुर

इनके अलावा इलाहाबाद शहर में नगर पालिका इलाहाबाद के ६ केंद्र कार्य कर रहे हैं, जिनके लिये सरकार ने पिछले ५ वर्षों में २४,००० रु० अनुदान दिया है। इन केंद्रों के अतिरिक्त एक केंद्र रेडक्रास द्वारा भी चलाया जा रहा है, जो बहादुर गंज में स्थित है जिसको भी अनुदान देने का विचार है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह १२ जो केंद्र देहाती क्षेत्र में चलाये जाते हैं ये सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं या प्राइवेट एजेंसी से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इनमें से कुछ तो सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं और हो सकता है कि कोई प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी चलते हों, लेकिन अधिक सरकार के द्वारा ही चलते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मंत्री बतायेंगे कि किन २ गांवों में सरकार द्वारा यह केंद्र चलाये जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो सरकार द्वारा नहीं चलाये जाते ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद में शय्याओं की कमी

***६—श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल में शय्याओं की कमी होने के कारण जच्चा तथा बच्चा को दालान में रक्खा जाता है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जच्चा और बच्चा दालान में रहते हैं उनको जाड़े में बहुत कष्ट होता है और जिसके कारण कई एक मृत्युएं हुईं ?

श्री बनारसी दास—यह सही है कि वहां मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है तो उनको रखना पड़ता है। परदों की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कष्ट होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां ४० शय्यायें और बढ़ाई जायंगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी उसी अस्पताल में और स्थान बनाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो उन्होंने बताया था कि ४० शय्यायों का और प्रबन्ध करेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि इस पंचवर्षीय योजना में उस अस्पताल को बढ़ाने की कोई योजना है ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि वहां ४० शय्यायें बढ़ायी जायंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त उस अस्पताल में कितने रोगियों के रहने की जगह है ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त वहां पर ८६ शय्यायें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी के पास इस तरह की कोई तालिका है कि कितने रोगी ऐसे हैं जो बाहर दालान में इस वक्त रहते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त तो मेरे पास में आंकड़े नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि रोगियों की संख्या काफी रहती है और इलाहाबाद में या दूसरी जगह प्रबन्ध जच्चा-बच्चा केन्द्र का और इस प्रकार के रोगियों का है।

जिला जालौन की नियोजन समिति पर व्यय

*७—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की प्लानिंग कमेटी को सरकार द्वारा दी गई १९५४-५५ तथा १९५५-५६ की धनराशि किस-किस स्वीकृत कार्य में कितनी-कितनी व्यय की जा चुकी है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५६६९ रु० ३ आ० जो सिंचाई विभाग के अनुदान में १९५५-५६ के लिये था और बंगरा-माधोगढ़ सड़क के लिए जो १,४९४ रु० था उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—यह तो बहुत थोड़े का प्रश्न है। अगर माननीय मेम्बर अलग से सवाल करेंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री बसन्त लाल—हरिजन सब कमेटी में १९५५-५६ में सिर्फ १०० रुपया ही व्यय किया गया और हरिजनों के मकान और उनके पानी पीने के कुओं पर बहुत ही कम रुपया खर्च किया गया, इसके कारणों पर सरकार प्रकाश डालेगी ?

श्री फूलसिंह—जो प्लानिंग का बजट है उसमें से भी हरिजनों के लिये रुपया खर्च होता है।

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले के सरकारी कर्मचारी हरिजनों के अनुदान पर बहुत ही कम खर्च करते हैं, इस तरफ उनकी रुचि नहीं है, इसके कारणों पर सरकार प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो राय का सवाल है।

श्री बसन्त लाल—यह हरिजन सम्बन्धी अनुदानों पर प्लानिंग कमेटी में ५५-५६ में बहुत ही कम खर्च हुआ है, इसके लिये सरकार आगे के लिये क्या कोई हिदायत करेगी कि अधिक रुपया खर्च किया जाय ?

श्री फूलसिंह—५५-५६ में तो ५४-५५ से ज्यादा खर्चा है।

*८-९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-१२—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले के चर्खा केन्द्र

*१३—श्री बसन्त लाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं और उन केन्द्रों को कितने चर्खा बांटे गये तथा उनमें कितने चालू हैं ?

श्री बनारसी दास—जिला जालौन में उरई तथा कदौरा में एक एक सरकारी चर्खा केन्द्र है जिनको क्रमशः ३१८ व ९८ चर्खे बांटे गये और सब चर्खे चालू अवस्था में हैं।

*१४—श्री बसन्त लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन चर्खा केन्द्रों से कितना सूत तैयार होता है तथा चर्खा केन्द्र खोलने की क्या-क्या शर्तें व व्यवस्था है ?

श्री बनारसी दास—(अ) गत वित्तीय वर्ष में इन केन्द्रों द्वारा क्रमशः ३० मन ६ सेर व २१ सेर १० छंटाक सूत उत्पादित हुआ।

(ब) चर्खा केन्द्र खोलने की शर्तों और व्यवस्था के सम्बन्ध में लेजिस्लेटिव असेम्बली के वर्तमान सत्र के ७ वें बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर को देखने की कृपा की जाय।

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कदौरा केन्द्र में जो ९८ चर्खे चालू हैं एक साल में सिर्फ २१ सेर १० छटांक सूत ही उनसे काता गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—यह तो २० अक्तूबर, १९५५ से चालू किया गया है। चूंकि थोड़ा ही समय हुआ है इसलिये चर्खा वितरण होने की संख्या कम है।

श्री बसन्त लाल—क्या सरकार इन चर्खा केन्द्रों की प्रगति के लिये आगे क्या-क्या कार्यवाही कर रही है यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वहां तो अब भी जो कातना सीखना चाहते हैं उनको सीखने की व्यवस्था की गई है और काफी लोगों ने कातना सीखा है और उनके सूत को खरीदने की व्यवस्था भी की गई है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो चर्खा केन्द्र जालौन में खुले हुए हैं उनमें कताई की शिक्षा के लिए किस विभाग के आदमी नियुक्त हैं ?

श्री बनारसी दास—उद्योग विभाग के द्वारा और कुछ गान्धी आश्रम का भी सहयोग लेते हैं।

श्री बसन्त लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४ के जवाब में बताया गया है कि सातवें बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ३२ के उत्तर को देखने की कृपा करें, तो सातवें बुधवार को तो असेम्बली की बैठक ही नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष—आप यह कह रहे हैं कि सातवें बुधवार को असेम्बली की बैठक ही नहीं हुई थी, तो वह तो हुई थी। सातवें बुधवार को असेम्बली की बैठक हुई थी। आप जरा इसको हमारे दफ्तर में देख लें। यह आठवां बुधवार है और ११ अप्रैल को सातवां बुधवार था यानी इससे पिछला बुधवार।

बस्ती जिला चिकित्सा परामर्शदात्री समिति द्वारा नवीन चिकित्सालय खोलने की अस्वीकृति

*१५—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के कालीजगदीशपुर, महुली तथा शनिचरा बाजार में वह आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये आदेश कब दे रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इन स्थानों पर अस्पताल खोलने के लिये प्रस्ताव को जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति ने अस्वीकृत कर दिया है।

*१६—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हैसर बाजार, जिला बस्ती में कब से एलोपैथिक अस्पताल खोला जा रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह प्रश्न वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सा परामर्शदात्री समिति ने किन-किन बातों को सोच कर इन स्थानों पर अस्पताल न खोलने की अनुमति दी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जिन स्थानों का उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में जिला परामर्शदात्री समिति ने कहा है कि लहुसर बाजार से दो मील की दूरी पर एक देशी अस्पताल है और चार-पांच मील की दूरी पर एक अंग्रेजी अस्पताल है। सनीचरा बाजार में निकट भविष्य में जिला बोर्ड अपना आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने वाला है, इसलिये वहां के लोगों की यह मांग पूरी हो जायगी। महुली से तीन मील दूर पर एक अंग्रेजी अस्पताल है वहां से लोग अपनी चिकित्सा कराते हैं। इस प्रकार से जिला परामर्शदात्री समिति ने जो अस्वीकृति दी है वह इन्हीं कारणों से दी है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि गत वर्ष सन् ५५ में जिला चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति तथा जिला प्लानिंग कमेटी ने सर्व-सम्मति से यह निवेदन किया था कि इन स्थानों पर और जिले के अन्य स्थानों पर भी अस्पताल खोले जायं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, जिला परामर्शदात्री समिति और नियोजन कमेटी समय-समय पर अपनी सिफारिशें भेजती रहती हैं, लेकिन जिन स्थानों का मैंने उल्लेख किया उनके सम्बन्ध में कोई सिफारिश सरकार के पास नहीं है जिला परामर्श-दात्री समिति की ओर से।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से जिला प्लानिंग कमेटीज से यह पूछा गया था कि एलोपैथिक अस्पताल जिले में कहां-कहां खोले जायं, तो क्या प्लानिंग कमेटी ने जो सिफारिशें भेजी हैं वह सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सरकार ने जिलाधीश, बस्ती से यह मालूम किया था कि जिले में जितने अस्पताल इस समय चालू हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अगर उनका फिर से वितरण किया जाय तो उसके लिये उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि बस्ती जिले का क्षेत्रफल २,८२२ वर्ग मील है और वहां पर इस समय ४१ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल काम कर रहे हैं। पांच मील के अर्ध-व्यास के अन्दर एक अस्पताल की जो सरकार की योजना है अगर उस हिसाब से देखा जाय तो कुल ३६ अस्पताल उस जिले को मिलते हैं, जब कि इस समय ४१ हैं। जिलाधीश ने ये सुझाव दिये हैं कि जिले की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न होने की वजह से वहां पर अगर इन्हीं अस्पतालों का पुनर्वितरण किया गया तो उससे वहां की मांग पूरी नहीं होगी, इसलिये वहां और अस्पताल खोलने की भी आवश्यकता पड़ेगी।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि काली जगदीशपुर और महुली, ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जो कई नदियों से घिरे हुए हैं और ५ मील से ज्यादा दूरी पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसीलिये इस बात पर विचार करते हुये ऐसा सरकार विचार करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और अस्पताल बस्ती को दे दिये जायं, यद्यपि संख्या के हिसाब से, जिसका वर्णन अभी मेरे साथी ने किया है, वहां काफी है।

रायबरेली जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सलोन-खलोरी सड़क को पक्का करने का विचार

*१७—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सब से लम्बी कौन सी सड़क है जिसको सरकार की सहायता से पक्का बनाने की योजना है ?

श्री फूलसिंह—सलोन-खरोली सड़क।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सड़क की लम्बाई क्या है ?

श्री फूलसिंह—१८ मील।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसको पक्का बनाने के लिये कितना रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ?

श्री फूल सिंह—लगभग ७० हजार रुपये।

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[हटा दिया गया।]

मथुरा जिले के उतरौली गांव में चिकित्सालय खोलने पर विचार

*१९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कितने राजकीय साधारण और जनाना एलोपैथिक अस्पताल तथा कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां हैं ?

श्री बनारसी दास—सूचना की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

*२०—श्री रामहेत सिंह—क्या मन्त्री महोदय जिला मथुरा में तरौली गांव की आवश्यकता व आबादी को देखते हुये वहां किसी भी प्रकार का चिकित्सालय खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसी दास—जी हां, आयुर्वेदिक औषधालय खोला जा सकता है यदि वहां उपयुक्त भवन का प्रबन्ध हो जाये।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उतरौली गांव की दोनों गांव पंचायतों ने जैसे कि उनके गांव में अच्छे से अच्छा मकान है, के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमारे यहां खोला जाय ?

श्री बनारसी दास—यह तो सूचना मेरे पास नहीं है कि उन ग्रामों ने भेजा था या नहीं लेकिन यह सही है कि इस पर विचार किया गया और वहां अभी तक अस्पताल खोलने के लिये कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया है।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब जैसे भी मकान उनके गांव में अच्छे से अच्छे हैं उनको यदि वे देने के लिये तैयार हों तो क्या जल्द से जल्द वहां अस्पताल खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—जी हां, अन्य प्रस्तावों के साथ यदि मकान मिलने का कुछ सुझाव आया तो उस पर विचार किया जायगा कि इस वर्ष वहां अस्पताल खोलने का प्रयास किया जाय या नहीं।

*२१—श्री बसन्त लाल—[२३ मई, १९५६ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में नवीन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने पर विचार

*२२—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५६ में कब और किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खुलेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष नवीन राष्ट्रीय सेवा खण्ड कब और कहां खोले जायं— यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२३-२५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जिप्सम से सलफ्युरिक एसिड तैयार करने की कथित योजना

*२६—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या जिप्सन (gypsum) से सलफ्यूरिक एसिड तैयार करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

बलिया जिले के बिल्थरा रोड पर गन्ना खरीद का कांटा टूटना

*२७—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्थरा रोड, जिला बलिया के गन्ना खरीद के दो कांटों में से एक कांटा २९-१२-५५ को टूट गया ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में उनके पास तथा केन कमिश्नर और मिल मालिक के यहां कांटा को बनवाने के लिये ९ फरवरी, १९५६ तक कितने तार एवं चिट्ठियां भेजी गईं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह (क)—जी हां।

(ख) इस विषय पर कोई पत्र या तार सरकार, केन कमिश्नर, केन आफिसर अथवा मिल के पास नहीं आया।

लगभग तीन सप्ताह के बाद कांटा ठीक करके लगा दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर के संचालकों ने २९-१२-५५ को तार केन कमिश्नर और मिल के मालिक को दिया था ?

श्री फूलसिंह—मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही नहीं है कि प्रश्नकर्ता ने ८ फरवरी, सन् १९५६ को गोरखपुर से एक पत्र उद्योग मन्त्री जी को और केन कमिश्नर को दिया था ?

श्री फूल सिंह—मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन सप्ताह के बाद यह कांटा किस तारीख को तैयार किया गया ?

श्री फूलसिंह—२२ जनवरी को।

श्री राम सुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने खुद ८ फरवरी को तार दिया और ९ फरवरी को जाकर के उस कांटे को देखा तब तक वह बना नहीं था।

श्री अध्यक्ष—यह सूचना आप उनको भेज दीजिये। इस वक्त आप सवाल कीजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार फिर जांच करवाने की कृपा करेगी कि वह कांटा फरवरी के दूसरे सप्ताह में तैयार करवाया गया?

श्री फूलसिंह—इस जांच कराने में व्यर्थ रुपया जाया होगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां कांटा ठीक से न लगने के कारण हजारों मन ईख लोगों की बरबाद हुई?

श्री फूलसिंह—इन कांटों पर केवल ८ सौ मन तुलता था। यह एक कांटे से आसानी से तुल सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कांटा ठीक न होने के कारण वहां पर दो-दो सौ, तीन-तीन सौ मन ईख की ही तौल हुई है?

श्री फूल सिंह—माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो जरूर जांच करायेंगे।

कोआपरेटिव शुगर मिल्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री चतुर्वेदी को बम्बई राज्य भेजना

*२८—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा कोई अधिकारी अन्य प्रदेश में Co-operative Societies basis पर factories खोलने के हेतु ज्ञान प्राप्त करने को भेजा गया था?

श्री फूलसिंह—जी हां।

*२९—श्रीमती चन्द्रवती—यदि हां, तो उनके इस ज्ञान तथा अनुभव पर अब तक क्या विचार किया गया?

श्री फूलसिंह—उक्त अधिकारी ने बम्बई "राज्य से" जहां वह भेजा गया था, लौटने पर अपनी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को दे दी है और उस पर विचार हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो अधिकारी भेजे गये हैं वे कौन थे और उनकी योग्यता क्या थी?

श्री फूल सिंह—श्री चतुर्वेदी जी गये थे।

श्रीमती चन्द्रवती—उनकी योग्यता क्या थी?

श्री फूल सिंह—वह असिस्टेंट कमिश्नर हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट में विशेष बातें क्या हैं?

श्री फूल सिंह—रिपोर्ट अभी तक केन कमिश्नर के पास है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किस शुगरकेन कोआपरेटिव सोसाइटी को बम्बई देखने भेजे गये थे?

श्री फूल सिंह—बम्बई प्रान्त में कुछ एक कोआपरेटिव शुगर मिल्स की योजना है। उसको देखने के लिये वह वहां गये थे।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके भेजने पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

बिजनौर जिले में नियोजन विभाग द्वारा किये गये कामों पर व्यय

*३०---**श्रीमती चन्द्रवती**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में नियोजन विभाग द्वारा कुल कितना धन १९५४ में किस-किस मद पर व्यय किया गया और कितना रुपया किस-किस मद में बच रहा है ?

श्री फूलसिंह---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२२-३२३पर)

*३१---**श्रीमती चन्द्रवती**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग द्वारा किन-किन तहसीलों में घरेलू उद्योग चालू किये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें चालू करने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह---नियोजन विभाग द्वारा सामुदायिक विकास क्षेत्रों में घरेलू उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं । इन ब्लाकों की सूची जिसमें उद्योग भी दिखाये हैं सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है । नियोजन विभाग द्वारा घरेलू उद्योगों का कार्य विकास क्षेत्रों को इकाई मान कर किया जाता है---तहसीलों को नहीं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ३२४-३२६पर)

श्रीमती चन्द्रवती---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह सूची मेज पर रखी गयी है उसमें बिजनौर में जो घरेलू उद्योग-धंधे चालू हैं उनका कोई जिक्र नहीं है, तो क्या वहां कोई उद्योग-धंधे चालू नहीं किये गये हैं ?

श्री फूल सिंह---वह एन०ई०एस० ब्लाक में अभी नहीं है ।

देवरिया जिले में कसिया विकास केन्द्र के अन्तर्गत घरेलू उद्योग-धंधों की शिक्षा

*३२---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में कसिया विकास केन्द्र के अन्तर्गत कितने घरेलू उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जा रही है और उनमें कितने शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री फूलसिंह---जिला देवरिया में कसिया विकास केन्द्र के अन्तर्गत ५ उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जा रही है, और उन में १९१ शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं ।

*३३---**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या सरकार बतायेगी कि यह शिक्षा कितने दिनों की दी जाती है और क्या शिक्षार्थियों को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी और किस रूप में ?

श्री फूलसिंह---सामान्यतः इन उद्योगों का शिक्षण काल एक वर्ष का है । शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति तथा पारिश्रमिक के रूप में, आर्थिक सहायता दी जाती है । कम्बल बुनाई के शिक्षालय में शिक्षार्थियों को, वर्ष के पहले ६ महीनों तक छात्रवृत्ति मिलती है । पहले व दूसरे महीने में १५ रु० प्रति मास प्रति शिक्षार्थी के हिसाब से, तीसरे व चौथे महीने में १२ रु० प्रति मास प्रति शिक्षार्थी के हिसाब से तथा पांचवें व छठें महीने में १० रु० प्रति मास प्रति शिक्षार्थी के हिसाब से ।

सिलाई व लोहारी के प्रत्येक शिक्षार्थी को २५ रु० प्रति मास छात्रवृत्ति मिलती है।

चर्खा कताई के लिये शिक्षार्थियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती।

इन उद्योगों में छात्र वृत्ति की अवधि के दो मास व्यतीत हो जाने पर, छात्रों को, पारिश्रमिक भी दिया जाता है।

*३४—**श्री रामसुभग वर्मा**—सरकार उन ट्रेन्ड शिक्षार्थियों का और उन शिक्षा केन्द्रों पर बनी चीजों का उपयोग किस प्रकार कर रही है तथा उससे कितनी आय हुई है ?

श्री फूलसिंह—शिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का कोई निश्चित सरकारी उपयोग नहीं होता, उनको सहकारी समितियां बना कर इन रोजगारों में स्थापित करने का आयोजन है। शिक्षा केन्द्रों में बनी चीजें साधारणतया बेच दी जाती हैं। सरकार को सामान्यतः इससे कोई खास लाभ नहीं होता।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का उपयोग किस रूप में किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन व्यक्तियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह आशा की जाती है कि वह सहकारी समितियां बना कर अपना रोजगार धंधा चलायेंगे और इसके लिये यदि उन्हें ऋण इत्यादि की आवश्यकता सरकार से पड़ेगी तो सरकार ऐसी सहायता प्रदान करेगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्राप्त करके स्वतंत्र रूप से यह काम करना चाहें तो सहायता देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार भी स्वतः सहायता देती है और सरकारी समितियां भी इस प्रकार का कार्य करने के लिये सहायता प्रदान करती हैं।

आगरा जिले में बाह राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड द्वारा धन का वितरण

*३५—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि N. E. S. Block, बाह के बजट में से खर्च की हुई धनराशि जनवरी, १९५६ तक कितने गांवों को प्राप्त हुई है और प्रत्येक को कितनी-कितनी ?

श्री फूलसिंह—एन०ई०एस० ब्लाक, बाह के बजट में से खर्च की हुई धनराशि जनवरी, १९५६ तक कितने गांवों को प्राप्त हुई और प्रत्येक को कितनी-कितनी, इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२७-३२८ पर)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—जो तालिका प्रस्तुत की गयी है उसमें ३ से लेकर १७,००० तक की ग्रांट दी गयी है, क्या सरकार इस धन का वितरण अधिक समान रूप से हो इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—धन का समान रूप से वितरण करने में कठिनाई है क्योंकि कुछ गांव ज्यादा रुपया देने को तैयार रहते हैं और बहुत श्रमदान करते हैं और कुछ गांव नहीं कर पाते हैं इसलिये जो गांव उत्साहित होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार के सामने ऐसा प्रपोजल है कि दो हजार रुपये हर पंचायत के लिये रखे दिये जायं और यदि नियत अवधि में रुपया खर्च न हो तब दूसरी पंचायत को दे दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—इस प्रस्ताव पर अमल करने से बहुत सा रुपया बच जायगा साल के अंत में।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हाथरस में कटलरी प्रदर्शनात्मक केन्द्र खोलने का आयोजन

*३६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में कटलरी प्रदर्शनात्मक केन्द्र वे कब से खोल रहे हैं और उस पर कितना व्यय करने की योजना है ?

श्री बनारसी दास—हाथरस में कटलरी प्रदर्शनात्मक केन्द्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने का आयोजन है। इस योजना काल में इस केन्द्र पर १·८४ लाख रु० व्यय करने की योजना है।

*३७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि सरकार हाथरस में कटलरी, करघा उद्योग, धातुओं के बर्तन तथा नई रिसर्च के लिये उद्योग विभाग का एक उप-संचालक केन्द्र निकट भविष्य में खोलने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुमानतः यह केन्द्र कब तक बनने की आशा है ?

श्री बनारसी दास—वैसे तो इसी बजट के अन्दर ८७,८०० रुपये की व्यवस्था की गयी है और इस वर्ष में ही इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि वहां पर कार्य शुरू हो।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम उत्पादन केन्द्र पर भी व्यय होगी या केवल रचनात्मक कार्य पर ?

श्री बनारसी दास—इससे उत्पादन भी बढ़ेगा लेकिन मुख्य लक्ष्य तो यह है कि उसका डिमांस्ट्रेशन हो और लोगों को यह कार्य सिखलाया जाय ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस उद्योग को स्थायी बनाने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त भी यह उद्योग वहां पर चल रहा है और चाहता यह हूं कि यह उद्योग वहां स्थायी हो जाय और उसको तरक्की मिले ।

हाथरस में कुटीर उद्योग विशेषज्ञ की आवश्यकता

*३८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार हाथरस में कुटीर उद्योग तथा ग्राम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक स्थायी विशेषज्ञ नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह नियुक्ति हो जायेगी?

श्री बनारसी दास—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जिले में मुरादनगर-रावली सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*३९—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ जिले में मोदी चीनी मिल में काकड़ा केन्द्र का गन्ना नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मुरादनगर-रावली सड़क पर पानी भरा हुआ है ?

श्री फूलसिंह—जी हां ।

*४०—श्री तेजासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सड़क को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—इस सड़क को सुचारु रूप से मरम्मत का प्रस्ताव गन्ना मिलों के विकास की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिये शामिल है। मरम्मत के लिये १,८५,६०० रु० का Estimate सरकार के पास आ गया है और उस पर आदेश जल्दी ही जारी किये जायेंगे।

श्री तेजासिंह—क्या यह सही है कि इस सड़क की मरम्मत के लिये पी० डब्लू० डी० विभाग को मोदी कोआपरेटिव सोसाइटी ने ८०,००० रुपया दे दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—८०,००० नहीं, शायद ७४,००० रुपया जमा किया है।

श्री तेजासिंह—तो क्या यह रुपया इस सड़क की मरम्मत पर खर्च हो चुका है या इस एस्टीमेट में शामिल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, यह इस एस्टीमेट में शामिल है और इसमें खर्च होगा।

आजमगढ़ जिले में श्रमदान से सार्वजनिक निर्माण-कार्य

*४१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जनवरी सन् १९५६ में श्रमदान द्वारा कितने मील सड़क, सार्वजनिक भवनों और कितने कुओं का निर्माण हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुमानित १५७ मील नवीन सड़क निर्मित हुई और ४१८ मील की मरम्मत की गयी।

२—सार्वजनिक भवन का काम प्रारम्भ हुआ परन्तु किसी सार्वजनिक कूप का निर्माण नहीं हुआ।

*४२—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जनवरी, सन् १९५६ में आजमगढ़ जिले में श्रमदान की देख-रेख के लिये सरकार को कितना T.A. अधिकारियों को देना पड़ा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ भी नहीं।

सलोन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में व्यय

*४३—श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सलोन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में जनवरी, १९५६ के अन्त तक कुल कितना-कितना रुपया, किस-किस मद पर खर्च किया गया ?

श्री फूलसिंह—सलोन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में जनवरी, १९५६ के अन्त तक कुल २,४२,२७० रुपया १ आना ३ पाई खर्च हुआ है।

इसमें से जिन-जिन मदों पर जितना-जितना रुपया खर्च किया गया उसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३२९ पर)

पूर्ति विभाग के बेरोजगार कर्मचारी

*४४—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पूर्ति विभाग के कितने कर्मचारियों को अभी तक काम नहीं दिया जा सका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसे कर्मचारियों की सही संख्या बताना कठिन है। उत्तर प्रदेश के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से जो संख्या प्राप्त की गयी उसके अनुसार केवल ५८६ छंटनी शुदा कर्मचारी उनके यहां रजिस्टर्ड हैं जिनके लिये नौकरियां तलाश की जा रही हैं।

*४५-४६---**श्री रामदुलारे मिश्र**---[३० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

देवरिया जिले में महामारी का प्रकोप

*४७---**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितने व्यक्ति चेचक, मलेरिया एवं हैजा से मरे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---देवरिया जिले में १९५४-५५ और १९५५-५६ में चेचक, मलेरिया एवं हैजा से मरे हुये रजिस्टर्ड व्यक्तियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

	चेचक	मलेरिया	हैजा
१९५४-५५	६०	२,९४३	११६
१९५५-५६	७२	१,९७२	शून्य

*४८---**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिला के स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कितने वैक्सीनेटर कार्य करते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला स्वास्थ्य अधिकारी देवरिया के अधीन २६ वैक्सीनेटर तथा ३ अपरेन्टिस वैक्सीनेटर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ३ वैक्सीनेटर और भी हैं जो कि देवरिया नगरपालिका में कार्य करते हैं।

देवरिया जिले में कोढ़ रोग फैलने की शिकायत

*४९---**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिले में कोढ़ रोग तीव्रता से फैल रहा है? यदि हां, तो उसके रोकथाम के लिये क्या कार्य किये जा रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सिविल सर्जन देवरिया एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी देवरिया से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि कोढ़ रोग देवरिया जिला में अधिक नहीं है और न तीव्रता से फैल रहा है।

बाराबंकी जिले में अस्पताल की इमारत में खराबी की शिकायत

*५०---**श्री हरिप्रसाद**---क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिले में कई लाख रुपये की लागत से अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जा रही है और अभी से उसका प्लास्टर भी उखड़ने लगा है?

श्री बनारसी दास---जी हां। परन्तु यह गलत है कि जो इमारत बन चुकी है उसका प्लास्टर उखड़ने लगा है।

श्री हरि प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा यह जांच कराई गई कि प्लास्टर वहां गिर नहीं रहा है?

श्री बनारसी दास---इसकी सूचना वहां के सिविल सर्जन से मंगाई थी और १० अप्रैल का उनका तार है कि यह सूचना गलत है।

श्री हरि प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट पर कोई दूसरे दो आदमियों की कमेटी बना कर जांच करायेंगे

श्री बनारसी दास—कमेटी की जरूरत नहीं है । सिविल सर्जन काफी जिम्मेदार अधिकारी हैं। कोई वजह नहीं है कि उनकी रिपोर्ट पर अविश्वास किया जाय ।

मुरादाबाद जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोयला

*५१—**श्री जगदीश प्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि क्या इस वर्ष मुरादाबाद जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को सहायतार्थ सरकार ने ईंटें बनाने के लिये कुछ कोयला एलाट किया था? यदि हां, तो कितना ?

श्री बनारसी दास—जी हां। मुरादाबाद जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ निम्नलिखित कोयला चूर एलाट किया गया:

नवम्बर	१९५५	में	१०० वैगन ।
फरवरी	१९५६	में	१०० वैगन ।
		कुल	२०० वैगन ।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगें कि इस कोयले का वितरण किस प्रकार हुआ?

श्री बनारसी दास—वितरण के लिये यह तय किया गया था कि जहां आवश्यकता जिले में हो और जो रजिस्टर्ड किलन आनर्स हों उनको दिया जाय। इसकी तफसील मेरे पास नहीं है कि किसको कितना दिया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद—क्या यह कोयला केवल बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में बांटा गया या दूसरे क्षेत्रों में भी बांटा गया?

श्री बनारसी दास—जहां पर बाढ़ आयी उन्हीं जिलों के लिये यह दिया गया यह जिन लोगों का नियमित कोटा है उसके अतिरिक्त है। तो आदेश तो यह था कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर दिया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस कोयले का बहुत थोड़ा कोटा बाढ़पीडित क्षेत्रों में उपयोग हुआ ।

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है लेकिन २०० वैगन्स में से करीब-करीब २५ प्रतिशत वहां पर पहुंचा ही है ।

*५२—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[हटा दिया गया।]

*५३—**श्री गजेन्द्रसिंह** (जिला इटावा)—[२३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद में टी० बी० एसोसिएशन द्वारा स्थापित अस्पताल को सरकारी प्रबन्ध में लेने का आश्वासन

*५४—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के टी० बी० सैनीटोरियम के अधिकारियों ने सरकार से सैनिटोरियम को चलाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस सैनीटोरियम को अपने अधीन लेने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब प्रयाग पधारे थे तो उन्होंने वहां के लोगों से कहा था कि यह अस्पताल सरकार के कब्जे में ले लिया जायगा।

श्री बनारसी दास---इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आया कि सरकार इसको अपने प्रबन्ध में ले ले।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब इलाहाबाद पधारे थे तो क्या उन्होंने वहां के लोगों से यह कहा था कि यह अस्पताल सरकार के हाथ में ले लिया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने जिस अस्पताल के सिलसिले में कहा था वह तो वही अस्पताल है जिसको सरकार के पैसे के द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और एक सलाहकार समिति ने बनाया जो टी बी० एसोसियेशन या टी० बी० लीग द्वारा स्थापित की गयी थी । वही अस्पताल बनाया गया है और उसका प्रान्तीयकरण सरकार के द्वारा होगा । वह अस्पताल प्रान्तीय सरकार द्वारा चलाया जायगा । जहां तक पुराने सेनीटोरियम का विषय है उसको लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले में सुगंधित तेलों के उद्योग को बढ़ाने का आयोजन

*५५---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में चमेली के तेल तथा इत्र के प्रसिद्ध कारोबार को देखते हुये इसकी उन्नति करने के हेतु वह क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बनारसी दास---इस उद्योग की उन्नति के लिये जौनपुर में एक शिक्षा एवं प्रदर्शन केन्द्र खोलने का आयोजन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। सुगंधित पौधों व पुष्पों की कृषि की उन्नति व विकास करने-आर्थिक सहायता प्रदान करने और शिक्षार्थियों को इत्र व तेल निर्माण की उन्नति विधियां सिखाने और उसके लिये छात्रवृत्ति देने का भी आयोजन है।

श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोग इस कारोबार को करते चले आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री बनारसी दास---जैसा कि अभी बतलाया कि यह चेष्टा है कि वहां किस प्रकार उन्नत ढंग से इस उद्योग को उन्नत किया जाय। अभी तक जो लोग इस उद्योग में लगे हुये हैं उनके लिये आज भी वह सुविधायें प्राप्त हैं जिनका वह लाभ उठा सकते हैं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिक्षा प्राप्त करने के लिये जायेंगे वह किस आधार पर भर्ती किये जांयगे ?

श्री बनारसी दास---आधार तो यही है कि जो लोग काम सीखना चाहेंगे उनको वहां पर कार्य सिखाया जायगा क्योंकि वह उद्योग पहले से चालू है और उन्हीं लड़कों को लेने में प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद) क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि ५४-५५ में वहां के तेल और इत्र की पैदावार में वृद्धि हुई या कमी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, आंकड़े मिल सकते हैं क्योंकि सेल्स टैक्स विभाग इस प्रकार के आंकड़े इत्यादि एकत्रित करने का प्रयास करता है। कदाचित उस विभाग से यह आंकड़े हमें मिल सकें ।

लखनऊ में रेंट कंट्रोल ऐक्ट के विरुद्ध शिकायतें

*५६—**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आया लखनऊ में बहुत से व्यक्ति रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के विरुद्ध बगैर किसी एलाटमेन्ट आर्डर के रह रहे हैं। और क्या उनके बारे में शिकायतें सरकार तक पहुंची हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। ऐसी कुछ शिकायतें रेन्ट कन्ट्रोलर के पास आई हैं। जो शिकायतें सरकार तक आती हैं वे भी जिलाधीश को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी जाती हैं ?

*५७—**श्री जगदीश प्रसाद**—अगर ऐसा है, तो क्या सरकार कोई विशेष प्रबन्ध उसके बारे में जांच करने के लिये और उसको रोकने के लिये करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसे मामलों की जांच के लिए जिलें में समुचित प्रबन्ध है। सरकार का इस बारे में विशेष प्रबन्ध करने का कोई विचार नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो शिकायतें कार्यवाही के लिये सरकार ने भेजी हैं उन पर क्या सरकार ने कोई पता लगाया। यदि नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रेन्ट कन्ट्रोल का महकमा एक ऐसा महकमा है जिससे जो व्यक्ति संबंधित होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। मकान कम होते हैं और मकान चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जिस किसी व्यक्ति को मकान नहीं मिलता है उसी को शिकायत हो जाती है। इस प्रकार शिकायतों की भरमार हो जाती है। यदि किसी शिकायत में तथ्य जान पड़ता है तो वह जिलाधीश के पास भेज दी जाती है और जिलाधीश इंक्वायरी करने के बाद कार्यवाही करते हैं। लखनऊ के विषय में जहां तक कहा गया यहां पर मकान बहुत कम है और मांगने वाले बहुत हैं। जो यहां रेंट कन्ट्रोलर हैं वे एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से संचालित करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ऐसे व्यक्ति जो बिना एलाटमेन्ट के मकानों पर अधिकार किये हुए हैं उनमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट गांव में डिग्गी का निर्माण

*५८—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिलान्तर्गत द्वाराहाट गांव में ड्रेनेज के नाम से कुछ हौज बनाये गये हैं, जहां गन्दा पानी इकट्ठा होता है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ड्रेनेज किसके द्वारा बनायी गयी है और इस पर कितना खर्चा हुआ है ?

श्री फूलसिंह—यह तो इस प्रश्न से उठता नहीं है। जो डिग्गी बनी हैं वे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के मशविरे से बनायी गयी हैं।

*५९-६०—श्री उमाशंकर—[२३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले में सिधौली, कमलापुर तथा अटरिया में गन्ना सोसाइटी बनाने की मांग

*६१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५३ ई० को सिधौली-कमलापुर अटरिया (सीतापुर) में गन्ने की सोसाइटी बनाये जाने के हेतु श्री ताराचन्द माहेश्वरी, एम० एल० ए० द्वारा केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*६२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में सोसाइटियां बना दी गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*६३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो अभी तक सोसाइटी न बनाये जाने के कारण को मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिधौली कमलापुर अटरिया सेन्टरों से खैराबाद केन डेवलपमेन्ट यूनियन द्वारा गत कई वर्षों से हरगांव मिल (सीतापुर) को गन्ना उत्पादक अपना गन्ना ठीक प्रकार से दे रहे हैं । इन केन्द्रों से बहुत कम गन्ना खरीदा जाता है जैसा कि संलग्न तालिका में दिये हुए आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा । ऐसी स्थिति में उक्त सेन्टरों में गन्ने की कम उपज और उनके हरगांव मिल से बहुत दूर होने के कारण नई सोसाइटी खोलना आर्थिक दृष्टि से गन्ना उत्पादकों के लिये हानिकारक होगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३३० पर)

फाइलेरिया की रोकथाम के लिए कार्य

*६४—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फाइलेरिया के नियन्त्रण के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक कौन-कौन सी विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रान्त में फाइलेरिया नियत्रंण के लिये प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियत्रंण प्रोग्राम की १९५५ में स्थापना की जिसके अन्तर्गत बलिया में एक फाईलेरिया कन्ट्रोल यूनिट और तीन फाइलेरिया सर्वे यूनिट बस्ती जौनपुर और गाजीपुर में स्थापित की गई ।

वर्तमान सभी यूनिटों में सर्वे का कार्य हो रहा है जिससे यह ठीक तौर से पता चल जाय की निम्नलिखित जिलों में फाईलेरिया का कितना प्रकोप है । बलिया, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गाजीपुर, देवरिया, बनारस, आजमगढ, जौनपुर, फैजाबाद और सुलतानपुर । इस सिलसिले में अधिकांश मात्रा में मनुष्यों में खून की जांच की जा रही है फाईलेरिया नियत्रंण निम्नविधियों द्वारा किये जाने का विचार है :

१—मच्छरों के अन्डे बच्चों का नाश

२—मच्छरों का नाश घरों में दवा छिड़कने के द्वारा

३—बहुधायक मात्रा में रोगियों की दवाओं द्वारा चिकित्सा जैसे डाईथिलकार बैमाजीन

६५—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्त के किन-किन जिलों में इस रोग का विशेष प्रकोप रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फाईलेरिया प्रान्त के निम्नलिखित पूर्वी जिलों में अधिक प्रचलित है :

बलिया, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बाराबंकी, बहराइच, गाजीपुर, देवरिया, बनारस आजमगढ, फैजाबाद, जौनपुर और सुल्तानपुर । इसके प्रकोप का ठीक अनुमान यहां के सर्वे हो जाने के बाद किया जायगा ।

*६६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[२१मई, १९५६ के लिए प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खटिमा-विकास प्रसार-सेवा खण्ड, जिला नैनीताल के अन्तर्गत कार्य

*६७—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटिमा—विकास—प्रसार—सेवा खंड, जिला नैनीताल में पिछले वर्ष क्या—क्या विकास कार्य किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खन्ड, खटीमा जिला नैनीताल द्वारा १९५५ में किए गए विकास कार्यों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

रतना शुगर मिल को शाहगंज से हटाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*६८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि रतना शुगर मिल शाहगंज को शाहगंज से हटाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रत्ना शुगर मिल्स शाहगंज का एक प्रार्थना-पत्र भारत सरकार की Development Council for Sugar Industries के द्वारा सन् १९५५ के पूर्वार्ध में प्राप्त हुआ था पर उस प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया था कि फैक्टरी को अपने स्थान से हटने के बजाय उसके क्षेत्र को पर्याप्त रूप से विकसित कर देने में ही लाभ होगा । अतः वह प्रार्थना-पत्र वास्तव में फैक्टरी के क्षेत्र के समुचित विकास के लिए था ।

*६९—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय पर भारत सरकार द्वारा निर्मित विशेषज्ञ कमेटी की बैठक ने दिल्ली में विचार किया और उसने यह स्पष्टतः कहा कि रत्ना मिल्स के क्षेत्र के अविकसित होने का कारण यह है कि फैक्टरी ने अपने क्षेत्र के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया और काफी रुपया इस पर खर्च नहीं किया । कमेटी ने यह आशा प्रकट की कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो सरकार की विकास योजना है उससे लाभ उठाकर फैक्टरी अपने क्षेत्र का समुचित विकास कर लेगी ।

इन्दारा, जिला आजमगढ़ में चीनी मिल खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश

*७०—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कोई चीनी मिल खोलने पर विचार हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---भारत सरकार की डेवलपमेंट कांउन्सिल फार शुगर इंडस्ट्रीज ने कुछ समय हुआ राज्य सरकार से नयी शुगर फैक्टरियों के लिये उपयुक्त स्थानों की सूची मांगी थी। वह सूची उन्हें भेज दी गयी थी और उसमें अन्य स्थानों के अलावा इन्दारा का नाम भी था जो कि आजमगढ़ जिले में है ।

बरेली नगर के खण्डसारियों में भारी कमी

*७१---**श्री जगदीश सरन** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार का ध्यान अभी हाल में हुये यू० पी० गुड़ व खंडसारी सम्मेलन की, जिसका उद्घाटन ४ दिसम्बर, १९५५ को माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी द्वारा हुआ, उस शिकायत की ओर गया है कि इस वर्ष में ३० से ४० प्रतिशत तक खंडसारी व्यवसायी निरन्तर घाटे से विह्वल होकर अपने कार्य को छोड़ने को विवश हो चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां ।

*७२---**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)---क्या सरकार केन्द्रीय इक्साइज द्वारा आवश्यक जानकारी करके बतायेगी कि गत वर्ष बरेली नगर में कितने खंडसारियों ने खंडसार उत्पादन के लिये लाइसेंस प्राप्त किये थे और इस वर्ष ३० नवम्बर तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९५४-५५ में बरेली नगर में खंडसारी उत्पादन के लिये १६२ लाइसेंस स्वीकृत किये गये तथा सन् १९५५-५६ में नवम्बर, १९५५ तक ९१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ।

*७३---**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)---क्या सरकार गुड़ के धंधे तथा खंडसारी धंधों को प्रोत्साहित करने के बारे में कुछ विचार कर रही है या करने को तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां ।

*७४---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[२३ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में सीमेंट तथा लोहे की कमी

*७५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किस मात्रा में सीमेंट और लोहे का प्रयोग (सरकारी कामों को छोड़ कर) होता है और मांग पूर्ति में कितनी कमी रह जाती है ?

श्री बनारसी दास---सरकारी कार्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में गत वर्ष में लगभग, १,७३,८४० टन सीमेंट तथा १६,००० टन लोहा दिया गया जो जनता की मांग से कहीं कम रहा ।

चूंकि जनता की मांगों का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता अतः यह बताना कि जनता की कितनी मांग पूरी नहीं हो पाती सम्भव नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारियों के पास प्रतिवर्ष कितनी मांगें आती हैं और उनकी पूर्ति सरकार किन कारणों से नहीं कर पाती है ?

श्री बनारसी दास---जनता और सरकार की आवश्यकतायें हमारे प्रदेश में लगभग ६० हजार टन प्रतिमास सीमेंट और ८ हजार टन प्रतिमास लोहा की है लेकिन लगभग ३२ हजार टन सीमेंट और २ हजार टन लोहा प्रति मास हमें मिलता है । इस प्रकार काफी कम कोटा मिलता है तथा उसके मुकाबिले में जनता और सरकार की मांग अधिक है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि जब लोहे पर नियंत्रण नहीं था तो वह जनता को आसानी से मिल जाता था लेकिन अब नहीं मिलता है ?

श्री बनारसी दास---केन्द्रीय सरकार ने कोटा कम कर दिया है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की आवश्यकतायें काफी बढ़ गयी हैं, इसलिये नियंत्रण करना पड़ा । लोहा भी मारकेट के अन्दर कम आ रहा है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लोहे और सीमेंट के कोटा को बढ़ाने के लिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कुछ लिखा पढ़ी की है । यदि हां, तो क्यों और नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय में केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है । उनका ध्यान इन आंकड़ों की कमी की ओर आकर्षित किया गया है आखिर पत्र जो यहां के कामर्स मिनिस्टर साहब महोदय को भेजा गया है उसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इसके पूर्व भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया था । उन्होंने अपनी दिक्कतों और परेशानियों का जिक्र किया । हमें यह भी बताया गया कि आगे आने वाले पांच सालों में सरकारी विकास के कार्य बहुत होने वाले हैं इसलिये ये चीजें जिस मात्रा में हम चाहते हैं, वे नहीं दे सकते । ताहम इन आंकड़ों की बुनियाद पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनको यह भी लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश को उसकी आवश्यकताओं और जनसंख्या के अनुपात में ये पदार्थ मिलने चाहिये ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार सीमेंट और लोहे के कोटे को और घटाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं आयी है । पिछले माह में एक मीटिंग स्टील के वितरण के विषय में हुयी थी जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लिये तादाद बतायी गयी थी । उसमें जो निर्णय हुये हैं वे कदाचित अभी केन्द्रीय सरकार के निर्णय माने जा सकते हैं । उनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अब जो निर्णय होने वाले हैं उनसे और कमी हमारे लिए होने वाली नहीं है ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिलों में सीमेंट का मिलना पब्लिक के लिये कठिन हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह हो सकता है क्योंकि सीमेंट के मिलने में कठिनता कुछ बढ़ सी गयी है क्योंकि मांग और अधिक है और प्राप्ति हमें कम होती है इसलिये उसको कुछ नियमों के अनुसार ही वितरण करना पड़ता है । पहली प्राथमिकता सरकारी कामों को दी जाती है, फिर लोकल बाडीज के कामों को, फिर शिक्षा संस्थाओं के कामों को । ऐसी अवस्था में जो व्यक्तिगत मकान बनाने वाले हैं कभी-कभी उनको सीमेंट मिलने में कुछ दिक्कत हो जाती है । पश्चिमी इलाके में और भी अधिक दिक्कत हो गयी है क्योंकि जिन फैक्टरियों का सीमेंट उनको दिया जाता था उनका सीमेंट अब कम कर दिया गया है इसलिये वहां के लोगों को और भी दिक्कत हो गयी है । इन्हीं दिक्कतों के कारण केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपनी आवश्यकताओं की तरफ आकर्षित कराया गया है कि वह इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिक सुविधा देने की कृपा करें ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय नियोजन मंत्री जी ने कल मैंने जो एक पत्र उनकी सेवा में भेजा है उसको पढ़ा है और क्या वह उन बातों के सम्बन्ध में और लोहे और सीमेंट के तथ्यों के साथ कोई वक्तव्य सदन में देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे उनका वह पत्र आज दस बजे मिला, मैं यहां नहीं था और मेरे अधिकारी जो इस को डील करते हैं वह भी यहां नहीं थे। दुर्भाग्य से मैं उसको यहां भी नहीं ला सका, अभी पी०ए० वगैरा नहीं आये थे फाइल वहीं थी वर्ना मैं अभी आंकड़े रख देता और जो पत्र यहां से लिखा गया है उस का भी मैं जिक्र कर देता, वह अगर इसकी आवश्यकता समझते हैं तो जब मुझे फाइल मिल जायगी तो मैं इसका जिक्र सदन के सामने कल या परसों कर दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश को लोहे और सीमेंट का कोटा और प्रदेशों के मुकाबिले में कम मिलता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो स्टील का वितरण किया गया है वह भी अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में यहां के लिये कम है और सीमेंट का कोटा भी अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में कम है। वितरण की पद्धति अब वहां की बदल गयी है। वह वितरण पहले क्वार्टरली होता था लेकिन अब स्टील का कोटा इयरली कर दिया गया है और यह जो २३,००० टन जो लोहा है, यह आंकड़े मैं याददाश्त से दे रहा हूं, यह १८ लाख टन स्टील के आंकड़ों से संबंधित है जो कि केन्द्रीय सरकार लोहे की प्राप्ति करेगी यानी अब तक अपने देश में वह दस लाख टन पैदा होता था, उस में २ लाख टन और बढ़ा है और ६ लाख टन केन्द्रीय सरकार बाहर के देशों से मंगाने जा रही है और जहां तक सरकारी कामों का सम्बन्ध है उनके लिये वह सबसिडाइज्ड रेट पर दिया जायगा। और २५ प्रतिशत के हिसाब से उसमें से हमारा हिस्सा जो प्रदेशों को दिया गया है, २३ हजार टन आता है। कोटे के वितरण के उनके कुछ नियम हैं। उनको हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि एक नियम के अन्तर्गत तो वह जनसंख्या के हिसाब से देते हैं और दूसरे के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिये देते हैं और तीसरे नियम के अन्तर्गत वह उद्योग धंधों के लिये कोटा देते हैं। जहां तक उद्योग धंधों और डेवलपमेंट वर्क्स के हमारे कोटे का सम्बन्ध है उसका अगर हम दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों से मुकाबिला करें तो हमारा और इतना कम है कि जितना हमारे यहां स्टील का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता था उससे भी कम पड़ता है। पर जितना जनसंख्या के अनुपात में दिया है वह अवश्य हमारी जनसंख्या के अनुपात से ठीक है लेकिन डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के लिये जो वितरण किया है वह न तो आवश्यकता के अनुपात में किया है और न वह हमारे लिये काफी हो सकता है। उन्होंने कुछ पिछले आंकड़ों का औसत मानकर कोटा बांट दिया है लेकिन पिछले सालों में तो स्टील का फ्री कोटा था हर आदमी मंगा सकता था, इसलिये इस तरह से कोटा बांधना न्यायसंगत नहीं था और इसकी ओर हमने केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है और उन से हमने निवेदन किया है कि वह इस कोटे में परिवर्तन करें और चूंकि यहां उद्योग धंधे लगाये जा रहे हैं और विकास का कार्य बढ़ रहा है इसलिये यहां का कोटा अधिक मात्रा में बढ़ाया जाय।

अलीगढ़ जिले में लोहे और कोयले का कोटा बढ़ाने की मांग

*७६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के लिये लोहे तथा सीमेंट का कितना कोटा स्वीकृत है ? क्या सरकार इसका कोटा और बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लोहा---औसतन १७० टन प्रति त्रय मास

सीमेंट---पिछले चार त्रय मास में अलीगढ़ जिले का कोटा निम्न प्रकार था:---

	(आंकड़े टन में)			
जिले का कोटा District Quota	२-५५	३-५५	४-५५	१-५६
नियोजन कोटा Planning Quota	९९०	१,४७४	१,६२८	८१४
	२४२	२४२	२२०	१३२
योग	१,२३२	१,७१६	१,८४८	९४६

नोट---तारांकित प्रश्न ७५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश का लोहे तथा सीमेंट का कोटा अपर्याप्त होने के कारण जिले का कोटा बढ़ाने का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक भारत सरकार उत्तर प्रदेश का कोटा नहीं बढ़ाती ।

पीलिया रोग की रोकथाम के लिए कार्य

*७७—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में पीलिया की बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और उक्त रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या सन् ५४ के अपेक्षा सन् ५५ में चौगुनी हो गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किये गये रोगियों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पीलिया रोग सन् ५४ की अपेक्षा ५५ में केवल किसी हद तक बढ़ा है । विभिन्न जिलों में इलाज किये गये रोगियों के आंकड़े सन् ५४ तथा सन् ५५ में निम्नलिखित थे :

सन् १९५४	११,४१६
सन् १९५५	१२,३३८

*७८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उक्त बीमारी की रोकथाम के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निम्नलिखित पीलिया निरोधक कार्य राज्य के समस्त सिविल सर्जनों, नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं जिससे कि रोग संक्रामक रूप धारण न कर सकें :

१—स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना ।

२—मक्खियों की संख्या को न्यूनतम करना ।

३—रोगियों की प्रथकता एवं चिकित्सा का प्रबंध करना ।

४—रोगियों के मल मूत्र को निःसंक्रामीकरण करके उचित सफाई का प्रबंध करवाना ।

५—चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं में उच्च स्तर के स्वच्छ रसोई घरों का प्रबंध करना ।

६—चिकित्सालयों तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्य संस्थाओं में पिचकारी एवं सुइयों का निःसंक्रामीकरण करके प्रयोग में लाया जाना ।

७—सिविल सर्जनों की आवश्यकताओं पर गामा ग्लोबिन के वितरण का भी प्रबन्ध किया गया है ।

बरेली जिले में नवीन चिकित्सालय खोलने की मांग

*७९—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के परगना शाही और अजाऊं में कितने अस्पताल हैं और उनमें से कितनी संख्या ऐसी है जहां रोगी शैय्याओं तथा अन्य सज्जा का भी प्रबंध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परगना शाही में—एलोपैथिक १ डंका में (सरकारी) यूनानी (सरकारी) १ चक्रपुर लमकान में आयुर्वेदिक (सरकारी) २ मीरगंज व शेरगढ़ में ।

जिला बोर्ड—१ शाही में ।

परगना अजाऊं में कोई नहीं ।

परगना शाही में किसी चिकित्सालय में रोगी शैय्याओं तथा अन्य सज्जा का प्रबंध नहीं है ।

*८०--श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५४ और १९५५ में प्रदेश में कितने चिकित्सालय किन २ जिलों में खोले गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३३२-३३३ पर)

*८१---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार बरेली जिले के शाही, शेरगढ़, मीरगंज, शीशगढ़ आदि महत्वपूर्ण कस्बों में इस वर्ष कोई अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मीरगंज और शेरगढ़ में सरकारी आयुर्वेदिक और शाही में जिला बोर्ड का आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्य कर रहा है । ग्राम शीशगढ़ में चिकित्सालय या औषधालय खोलने के प्रश्न पर यदि जिला चिकित्सालय परामर्श-दात्री समिति सिफारिश करेगी तो विचार हो सकता है ।

रामसरन दास डफरिन वीमेन अस्पताल, गाजियाबाद से सम्बद्ध दुकानों का किराया

*८२---श्री तेजासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद के रामसरन दास डफरिन विमेन अस्पताल के साथ कितनी दुकानें हैं, इन से क्या किराया वसूल हो रहा है, इनको किस आधार पर किराये पर उठाया जाता है और किराया कौन वसूल करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न का उत्तर देने के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही उत्तर दे दिया जायगा ।

हाथरस तहसील में जिला नियोजन समिति द्वारा किये गये काम

*८३---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या नियोजन मन्त्री प्रथम पंचवर्षीय योजना में तहसील हाथरस में अब तक जो कार्य हुए हैं उनकी तालिका मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*८४---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि योजनानुसार इस तहसील में १९५५ के पूर्व के ऐसे क्या-क्या कार्य हैं, जो आरम्भ तो हो गये हैं परन्तु वे पूरे नहीं हो सकते हैं ? इसकी भी एक तालिका मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*८५---क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि ये अधूरे कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे और उनके लिये श्रमदान को छोड़ कर कितना अनुदान व्यय होने का अनुमान है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला नियोजन समिति के तत्वावधान में किये गये कार्यों की †सूची आदरणीय सदस्य की इच्छानुसार मेज पर रखी हुई है ।

अतारांकित प्रश्न

पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में चमड़े के कारखाने की आवश्यकता

१---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा के पिठौरागढ़ नामक स्थान पर चमड़े का कारखाना खोलने की उसकी योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में अस्पताल व प्रसूति केन्द्र खोलने की मांग

३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में कहां-कहां और कब तक अस्पतालों के खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

४—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में जो प्रसूति केन्द्र खोले जायेंगे उनके भी स्थान व तिथि बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खोलने पर विचार

५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में कहां और कब N. E. S. Blocks खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष (१९५६-५७ में) पिथौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में क्रमशः पिथौरागढ़ व चम्पावत में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्य वर्षों में, उक्त तहसीलों में अन्यत्र, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड कब और कहां खोले जायंगे—इस विषय पर अभी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता ।

सर्वश्री राज नारायण, राम नारायण त्रिपाठी, गजेन्द्र सिंह तथा रामेश्वर लाल को कारावास और जुर्माने के दण्ड की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं जो कि जुडिशियल आफिसर, लखनऊ के द्वारा भेजी गयी है । उन्होंने लिखा है कि—

"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि श्री राजनारायण सिंह, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश, का जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए ७ अप्रैल, १९५६ को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, आज मैंने मुकदमा किया । मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत उन्हें सिद्ध दोष घोषित करूं और उन्हें १५ दिन के सादा कारावास का दंड तथा ५० रुपया जुर्माना, जिसको अदा न करने की दशा में एक सप्ताह का और सादा कारावास दिया जायगा, दंड दूं ।" यह ११ अप्रैल का उनका पत्र है ।

दूसरी सूचना यह है कि श्री रामनारायण जी के सम्बन्ध में और इसमें भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के सिलसिले में १८८ धारा दंड विधान में उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी १५ दिन की सजा और ५० रुपया जुर्माने की सजा मिली और जुर्माना न देने पर एक सप्ताह के लिये उन्हें भी दंड दिया गया। यह दूसरी सूचना भी श्री बलराम सिंह, जुडीशियल आफिसर ने दी है।

तीसरी सूचना उन्होंने ११ अप्रैल को श्री गजेन्द्र सिंह के बारे में दी और वह भी इसी प्रकार है। उनको भी दंड इसी दफ़ा के मातहत १५ दिन का सादा कारावास और ५० रुपये जुर्माना की सजा हुई और जुर्माना न देने पर एक सप्ताह की सजा उनको और भी मिली।

चौथी सूचना श्री रामेश्वर लाल जी के सम्बन्ध में है। उन्हें भी १५ दिन की इसी तरह से सजा और ५० रुपया जुर्माना का दंड इन्हीं दफ़ाओं में हुआ है। यह सूचना १७ अप्रैल सन् १९५६ को दी गई और उसी रोज फैसला भी सुनाया गया था।

सलाहकार समितियों की सलाह लिये बिना सरकार द्वारा ऋण देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी ने भेजा है और वह इस प्रकार है---

> "उत्तर प्रदेश की सरकार ने ३ करोड़ ९ लाख रुपये के लगभग कर्ज़ देने का निर्णय अभी कुछ दिन पहले किया है। सार्वजनिक कोष की इतनी बड़ी रक़म देने के लिए जो विशेष सलाहकार समितियां राज्य में बनी हुई हैं उनकी भी सलाह नहीं ली गई। साथ ही इस कर्ज़ के लौटाने की गारंटी और उद्योगों की सफलता सन्देहास्पद है। राज्य के करदाताओं से कठोरतापूर्वक एकत्र किया धन इस प्रकार अनधिकृत तथा अवांछनीय तरीके पर वितरण करने तथा उद्योगों में "पब्लिक सेक्टर" की उपेक्षा करने से जो व्यापक असंतोष और क्षोभ का वातावरण प्रदेश में उत्पन्न हो गया है, उस पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय पर मैं गेंदा सिंह जी से जानना चाहूंगा---महत्व का विषय तो यह है और निश्चित भी है---इसकी अर्जेंसी के सम्बन्ध में किस प्रकार वह समझते हैं कि यह अर्जेंट है जिसके लिये काम स्थगित करना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बोझ तो बहुत हल्का हो गया। महत्व का यह प्रस्ताव और निश्चित भी है यह आपने घोषणा कर दी। केवल मुझे आपसे यह निवेदन करना है और माननीय सदन से कि आवश्यकता, इसलिये है कि इस रुपये को अगर हम यह नहीं कहते हैं कि इसका वितरण अनुचित है या अवांछनीय है या ऐसे काम में इस रुपये को लगा रहे हैं जिसके लौटने की गारंटी नहीं हो सकती इस पर अगर सदन का मत नहीं मालूम होता है तो यह रुपया उनको दिया जा सकता है। जो रुपया दिया जा चुका है उसके बारे में आज बड़ा कठिन हो गया है कि उसके बारे में हम कुछ करें लेकिन ज्यादातर रुपया जो हमने और सरकार ने फैसला किया है देने का वह रुपया अभी तक दिया नहीं गया तो मैं समझता हूं कि अगर सदन का मत जानने का अवसर मिले कि सदन के लोग इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी रखते हैं कि अगर यह रुपया दिया गया तो शायद रुपये के लौटाने की गारंटी नहीं हो सकती, रुपये की जो उपयोगिता हम समझते हैं वह उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती तो इस पर मैं यह

[श्री गेंदा सिंह]

समझता हूं कि यह आवश्यकता है कि इसको जानने के लिये लोगों का मत जाना जाय और उन माननीय सदस्यों का मत जाना जाय जो अपना मत इस सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहते हैं और इससे मैं समझता हूं कि कम से कम सरकार को रोशनी मिलेगी कि सरकार ने भूल की है फैसला करने में। सरकार अपने फैसले को बदल सकती है और जिनको रुपया दिया जायगा उनको न दे। इसलिये मैं समझता हूं यह आवश्यक है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि माननीय गेंदा सिंह जी ने मुझ से या माननीय नियोजन मन्त्री जी से कुछ जानकारी करने की तकलीफ की होती तो इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की आवश्यकता न होती। इसमें कुछ उनको गलतफहमी हुई है और एक ही नहीं कई गलतफहमियां हुई हैं।

एक तो यह कि विशेष सलाहकार समितियां जो राज्य में बनी हैं उनसे सलाह नहीं ली गयी। यह उनकी गलतफहमी है। मैं इसके ब्यौरे में जाना नहीं चाहता।

कर्ज लौटाने की गारन्टी संदेहास्पद है, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैंने सिर्फ अरजेन्सी के सम्बन्ध में, कि यह विषय किस तरह से अर्जेंट है या नहीं उसी के सम्बन्ध में आपसे मत जानना चाहा था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक मिनट में मैं बता देता हूं।

और सब से बड़ी बात यह है कि ३१ मार्च, के पहले जितना रुपया था सारा का सारा दिया जा चुका है। जो भी माननीय गेंदा सिंह जी का संदेह था कि न दिया जायगा तो रोका जा सकेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि रुपया सब दिया जा चुका है। लौटाने का सवाल नहीं होता इतना ही मैं कह रहा था।

तीसरी गलफहमी यह भी है कि पब्लिक सेक्टर की उपेक्षा की गयी है। अगर उन्होंने तकलीफ की होती तो पूरी जानकारी हो जाती कि ऐसा नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि क्या कैबिनेट का जो फैसला हुआ रुपया देने का, वह फैसला तो ३१ मार्च के बाद हुआ। तो ३१ मार्च के पहले रुपया दिया कैसे गया? इस पर जरा मुख्य मंत्री जी रोशनी डालने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैसला भी पहले हुआ और रुपया भी पहले दिया जा चुका है और यदि मैं भूलता नहीं हूं तो सप्लीमेंटरी बजट में सदन द्वारा मंजूर भी हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—मैंने सिर्फ यही प्रश्न पूछा था कि इसकी अर्जेंसी क्या है जिसके कारण तत्काल ही इस पर विचार होना चाहिये। ऐसी अर्जेंसी होने पर ही कामरोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा था और गेंदा सिंह जी ने जो उत्तर दिया उसमें यह था कि उनका खयाल था कि बहुत सा अंश कर्ज का अब तक दिया नहीं जा सका है इसलिये उसे रोकने का एक मौका मिल सके। लेकिन चूंकि कर्जा दिया जा चुका है तो जहां तक इस पर तत्काल विचार करने का प्रश्न है, इतनी उसमें अर्जेंसी नहीं रहती। अगर वह इसके ऊपर ब्योरे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस विषय को वह किसी दूसरे तरीके से, प्रस्ताव के द्वारा या प्रश्नों के द्वारा इसका स्पष्टीकरण सरकार से प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिये अर्जेंट न होने के कारण मैं इसकी मंजूरी नहीं देता हूं।

बनारस में रेलवे वर्कशाप निर्माण के लिये किसानों की भूमि लेने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री टीकाराम जी का है। वह मैं पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं। कोई बनारस में कारखाना बन रहा है उसके लिए जमीन हासिल करने का प्रश्न है और उनकी शिकायत इस विषय में है कि खेती की जमीन हासिल की जा रही है उस कारखाने के लिये और उससे किसानों को बड़ा नुक्सान होगा।

लेकिन यह कारखाना रेलवे का है। इसलिये उसका केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध होने के कारण, इस सरकार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं आता। इसलिये इस विषय पर इस सदन को विचार करने का अधिकार न होने के कारण मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

लखनऊ में धारा १४४ के विरोध में हुई गिरफ्तारियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा काम रोको प्रस्ताव रामसेवक जी का है। लखनऊ में १४४ दफा को तोड़ने के सम्बन्ध में जो गिरफ्तारियां हुईं और सजाएं वगैरह हुईं उससे बेंच में दफा १४४ लगाने के बारे में और उसके बाद जो कार्यवाही हुई उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उन्होंने उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं एक दफ़ा फ़ैसला दे चुका हूं कि यह केवल स्थानीय शासन से सम्बन्धित प्रश्न है। दूसरे जो फैसले हुए हैं वे अदालत के फ़ैसले हैं उनके विषय में भी कोई भी काम रोको प्रस्ताव लाकर उसके ऊपर वाद-विवाद नहीं हो सकता। तो ऐसी अवस्था में इसको भी मैं ऐसा विषय नहीं समझता हूं कि जिसके ऊपर मैं इजाजत दूं कि वाद विवाद हो सके। यह भी मैं अवैध करार देता हूं।

विधान सभा के गिरफ्तार सदस्यों को २४ घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित न करने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब श्री राम सेवक जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया। वह मैं पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है—

"मैं आप की आज्ञा से श्री देवेन्द्र सेन, सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ़ पुलिस, लखनऊ तथा श्री एस० एम० कुलश्रेष्ठ, सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार तथा सदन की मानहानि का प्रश्न उठाता हूं। आपको मालूम है कि सदन के ६ माननीय सदस्य, सर्वश्री राजनारायण, रामनारायण त्रिपाठी, रामेश्वर लाल, सालिगराम जायसवाल, नारायण दत्त तिवारी तथा गजेन्द्र सिंह जी को लखनऊ में लगी दफ़ा १४४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तोड़ने के फलस्वरूप दफ़ा १८८ आई० पी० सी० में सजा भोग रहे हैं। इन ६ माननीय सदस्यों में से किसी को भी संविधान की धारा के अनुसार २४ घंटे के भीतर सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया गया। इस तरह इन सभी सदस्यों को गैरकानूनी तरीके से जेल में रख कर उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने विशेषाधिकार की अवहेलना तथा आदरणीय सदन की मानहानि की है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।"

[श्री अध्यक्ष]

यह मेरे पास अभी कोई ११ बजे के थोड़ी देर पहले विशेषाधिकार का यह नोटिस आया है। तो मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी हासिल करने का भी मेरे सामने प्रश्न है कि यह बात कहां तक सही है और फिर उसके वैधानिक पहलू का भी विचार करना है इस कारण कल या परसों जब मुझे जानकारी हासिल हो जायगी, फ़ैसला दूंगा। मैंने सिर्फ यह नोटिस प्राप्त कर लिया और समय पर सदन को उसका नोटिस मिल जाय, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा विषय सदन के सामने आना चाहिये, इसलिये पढ़ कर सुना दिया है और फ़ैसला उसके ऊपर बाद को दूंगा।

१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल)

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ मार्च, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने २४ मार्च, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २६ मार्च, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३३४–३३८ पर)

'गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड ट्रस्ट, कानपुर' के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रममंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, "गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड ट्रस्ट, कानपुर" के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, 'गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, ट्रस्ट, कानपुर' के लिये एक सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इसके अनुसार जो मुझे अधिकार दिया गया है तो मैं निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार रखता हूं—

नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ३० अप्रैल, १९५६, सांयकाल ४ बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय २ मई, १९५६ सांयकाल ४ बजे, सचिव विधान सभा के कमरे में। नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ८ मई, १९५६ को सांयकाल ५ बजे तक। निर्वाचन की तिथि तथा समय एवं स्थान, यदि आवश्यक हुआ, तो बाद में सूचित किया जायगा।

सरकार द्वारा दिये गये ऋण का व्यय रोकने के लिये प्रार्थना

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार जारी रहेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि यह तो निर्णय हो गया कि वह रुपया दिया जा चुका है ३ करोड़ कुछ लाख . .

श्री अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं कि यह समय तो नहीं है . . . .

श्री गेंदा सिंह---केवल मैं एक बात कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब कार्यक्रम शुरू होने के बाद यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कल आप किसी वक्त उठकर यह कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह---२४ घंटे में तो बड़ी बर्बादी हो जायगी, अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय सदन में किसी को भी आपत्ति न हो तो उन्हें निवेदन करने की इजाजत मैं दे दूं।

(किसी ओर से आपत्ति न होने पर)

अब आप निवेदन कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह---मैं केवल इतनी बात कहना चाहता था कि रुपया तो दिया जा चुका है लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है, मैं उसे यहां कहना नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी रुपया दिया गया है . . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप भाषण प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां रुपया गया है या जिस जगह भी वह है, सरकार इस बात की व्यवस्था करे जब तक कि वह और लोगों के मतों को न जान ले कि वह रुपया इस वक्त उन लोगों के हाथ में जाकर खर्च न होने पावे, इतना मैं कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जिस किसी को भी रुपया दिया गया है, स्टेट बैंक आफ इंडिया और चार्टर्ड बैंक आफ इंडिया की जमानत पर दिया गया है, और उसके लिये उनकी जो प्रापर्टी है वह एक-एक पैसा मार्गेज रखी जायगी और वह भी इस शर्त पर कि जो भी कानूनी तरीके पर उसकी वैल्यू होगी, अगर १०० रुपये वैल्यू है तो ६० रुपये पर वह मार्गेज रखी जायगी। इसलिये जब इन दोनों बैंकों की गारंटी है और मार्गेज की ये कंडीशंस हैं तो कोई एक क्षण के लिये भी सन्देह करने का कारण नहीं है।

*उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सीताराम शुक्ल जी ने प्रस्ताव रखा है कि "स्वाधीनता संग्राम के सैनिक (उर्फ राजनीतिक पीड़ित) तथा" यह बढ़ा दिया जाय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उनकी मंशा है राजनीतिक पीड़ित लोगों को सहूलियत देने की उस मंशा की मैं कद्र करता

---

*१८ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†६ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामसुभग वर्मा]

हूं लेकिन श्रीमन्, किसी भी स्वतंत्रता की लड़ाई में जो सैनिक शरीक होते हैं उनको सुविधा देने की बात जब वह देश स्वतंत्र हो जाते हैं तो यह बात आती है और यह इस सरकार ने भी जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिये थे, उनको येन केन प्रकारेण सहायता दी। श्रीमन्, जब इस सरकार ने अपने हाथ में शासन की बागडोर लिया उस वक्त में जो राजनीतिक पीड़ित थे जो इस लड़ाई में भाग लिये थे उनको उन्होंने पहले पहल उनकी सुविधा के लिहाज से उनको सहूलियत देने के ख्याल से उनको कुछ सुविधायें दीं। उन्होंने शुरू-शुरू में कपड़ा नमक, तेल इत्यादि तक के परमिट बांटने का यह सारा अधिकार उनको दे दिया। श्रीमन्, आपको भी ज्ञात होगा इस विषय को लेकर वह पवित्र सैनिक जो कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सारा सर्वस्व न्योछावर करके जेलों में गये, यहां की यातनायें सहीं, और इस स्वतंत्रता की लड़ाई को पवित्रता के साथ पूरा किया, तो जब सरकार ने बागडोर अपने हाथ में ली तो उसने उनको यह थोड़ी सी सहूलियतें देकर नमक, कपड़ा, तेल इत्यादि के परमिट वगैरह बांटने का, उनको इस तरह से बदनाम कराया और ऐसा धब्बा उनको लगा कि वह अब तक धुल न सका।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं सदन में शांति नहीं हो रही है। आपस में बातें बहुत सी हो रही हैं, वक्ता का भाषण मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। माननीय सदस्य जरा शांति कायम रखें।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उन सुविधाओं से जो सरकार ने उन राजनैतिक सिपाहियों को दी है उन्हीं से उनकी जितनी बदनामी है और जो धब्बा उनको लगा, जिसे वे अब तक नहीं भूले हैं, फिर भी इस सरकार ने हर तरह से उनको सहायता दी है। पेंशन और जमीनें दीं, कौंसिल का मेम्बर बनाया, नौकरियों में स्थान दिया, दूक दिया और अनेकों प्रकार से सुविधायें दीं। लेकिन आज भी जिस तरह से हरिजन भाइयों को हर बात में प्रिफरेंस दिया जाता है, ठीक उसी तरह से पोलिटिकल सफरर्स के नाम से पुकारे जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलती है। श्री शुक्ल जी यह संशोधन लाये हैं कि उनको वही अधिकार दिये जायं जो नाबालिगों को, विधवाओं और अपाहिजों को प्रिफरेंस दिया जाता है कि उनको भी अपनी जमीन से शिकमी को बेदखल करने का अधिकार हो और जब चाहे बेदखल कर दें। जिन राजनैतिक सिपाहियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में इस पवित्रता से भाग लिया उनको यदि इस प्रकार के अधिकार दिये गये तो इससे उनकी बदनामी अधिक होगी और जनता को भी इनकी ओर उंगली उठाने का मौका मिलेगा। इस मंशा से मैं इस तरमीम का घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

***श्री राम सेवक यादव** (जिला बाराबंकी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शुक्ल जी का प्रस्ताव है मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सदन में बजट के सिलसिले में बात होती थी कि इस देश को बनाने के लिये हमें कुछ कुर्बानी करनी है और टैक्स अदा करने वालों से हमने खास तौर से अपील की थी और विशेषतया सरकारी पक्ष के लोगों ने। तो इस तरह से जो यह तरमीम आयी है संशोधन के रूप में वह भी उसी प्रकार की है। आज राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर पहले ही उनको काफी सुविधायें मिल चुकी हैं, जैसा कि रामसुन्दर पांडेय जी ने बताया कि उनको जमीनें दी गयी और राजनीतिक पेंशनें भी दी गयीं और बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के मेम्बर इसी कारण हैं कि वह राजनैतिक पीड़ित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि सीताराम जी की ओर से कोई इस प्रकार की तरमीम आयेगी जो इस धारा को और ज्यादा संकुचित करेगी, पर आज उल्टे कुछ राजनीतिक पीड़ितों के नाम पर लोगों के लिये और ज्यादा अधिकार और सुविधायें मांगी जा रही हैं ताकि वह स्त्रियों और कुछ दूसरे लोगों की तरह शिकमियों को बेदखल कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके अपनी जमीन से, जैसी कि कहावत है, तुलसीदास जी ने कहा है, "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।" एक तरफ हम आप कुर्बानियों की बात करते हैं और फिर यके-बाद-दीगरे हम कानून के जरिये कुछ सुविधायें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहिये तो यह था कि माननीय सदस्य जो सुविधा लेते हैं उनका परित्याग कर दें, और मंत्रिगण भी यही करते और उसी तरह का संशोधन हमारे सामने पेश होता। पहले ही राजनैतिक जीवन इतना गंदा हो चुका था कि हम अगर जनता में जायं या बाहरी लोग जो राजनीति में काम करते हैं वह जायं, तो लोग उंगली उठाते हैं कि ये तो परमिट और कोटा लेने वाले लोग हैं, त्याग नहीं करना चाहते, खद्दर के कपड़े पहिन कर सहज लोगों के साथ ४२० ही बात करते हैं और उसमें सबूत के तौर पर सदन में इस तरह की तरमीम माननीय सदस्य रखें तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और इस सदन के अपमान की बात और क्या हो सकती है? तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करूंगा इस सदन के सदस्यों और माननीय प्रस्तावक महोदय से कि अच्छा होगा उनके लिये भी, इस सदन के लिये भी और जिस पार्टी के वे सदस्य हैं उस पार्टी की हितरक्षा के लिये भी कि वे इसे वापस ले लें क्योंकि इस पर बहस की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई बड़ा भारी मसला नहीं है। उनके लिये यह शोभा नहीं देता कि दर्शनी हुन्डी की तरह से राजनीतिक पीढ़ियों के लिये भुनाने का साधन उत्पन्न कर दिया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मान्यवर, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां पर स्त्रियों को रखा गया है, पागल रखे गये हैं, अक्षम रखे गये हैं उनकी श्रेणी में पोलिटिकल सफरर्स को भी रखा जाय न इसमें कोई सिद्धांत है और न सार। श्रीमन्, हर नियम के पीछे कोई न कोई सिद्धांत हुआ करता है। जहां तक पोलिटिकल सफरर्स की बात है उन्होंने त्याग किया है सराहनीय है। उसके एवज में सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे और जिस तरह से उनका स्तर कायम रह सके उनको सहायता पहुंचावे इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु कानून के रूप में पोलिटिकल सफरर्स के लिये एक ऐसा क्लाज रखा जाय कि उनको बेदखली का अधिकार रहे जबकि बेदखली ऐसी चीज है जिससे सभी भागते हैं और यह भी देखा जाय कि जहां पर बेदखली की इजाजत है कितने लोग बेदखल कर पा रहे हैं या कितने लोग इससे बेदखल कर रहे हैं।

ऐसी सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय शुक्ल जी तो इस सदन में सही सलाह दिया करते हैं। उनको क्या हो गया है? क्या त्रुटियां हैं जिनकी वजह से वे ऐसी गलत सलाह देने पर उतारू हो गये हैं? मैं इन थोड़े से शब्दों में उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संशोधन वापस ले लें।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी, सोशलिस्ट पार्टी के सभी भाई भूतपूर्व जमींदार साहबान बिलकुल सब के सब बिलइत्तिफाक राय हैं कि मेरा संशोधन वापस हो जाय। किसी वजह से कहीं आज उनमें एकता है, परमात्मा यह एकता और बढ़े, लोग मिल कर रहें तो बड़ा अच्छा हो।

उस दिन श्री शिवनारायण जी ने फरमाया था, अफसोस है वे आज यहां हैं नहीं कि शुक्ल जी तो लठिया गये हैं लिहाजा संशोधन ले आये हैं। उनकी बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब वे बोलते हैं तो सदन उनकी बातों का आनन्द लेता है इसलिये वे जो चाहें और जिस मजमून पर वे बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप साठ से कम हैं?

(हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, मैं कहने ही वाला था किंतु आप जरा जल्दी कर गये कि साठा तब पाठा ऐसी भी कहावत है। मैं अर्ज न करूं उनकी बाबत तो गलतफहमी दिक्कत की बढ़ेगी। "जाके पैर न फटी बेवाई, ते का जाने पीर पराई।" जब अंग्रेजी राज्य था तब जो दूर से तमाशा देखते थे, वालन्टियर्स पिटते थे, देशभक्तों पर कस कर जुर्माने होते थे, उनकी चीजें नीलाम होती थीं तब दूसरे लोग तमाशा देखते थे और बोली बोलते थे। उन्हें नहीं पता है कि जेलखाने में क्या तकलीफें होती हैं। उन्हें नहीं पता है कि बेंत खाने से क्या दर्द होता है। उन्हें नहीं पता है कि वे नवजवान जिन्होंने अपने घरबार को, अपने बच्चों को, अपने आराम को ठोकर मार दी और जेल में चले गये थे उन्हें क्या तकलीफें हुयीं। उन्हें क्या मालूम है, जाके पैर न गयी बेवाई वह क्या जाने पीर पराई कि पोलिटिकल सफरर्स को क्या तकलीफ है वे जो चाहें वह कह सकते हैं मुझे कोई शिकायत नहीं है। वह क्या जानें। कल तक झोपड़े में थे, दूर से तमाशा देखते थे और अब कांग्रेस का राज्य आने के बाद फायदा उठा रहे हैं। वे पहले भी आराम में थे और आज भी आराम में हैं। जरा उनसे पूछिये जो वर्कर्स स्वराज्य मिलने के बाद भी आज नंगे पैर घूमते हैं। बाहर निकलिये। मैं अभी दिखला सकता हूं कि जेलखाना काटे हुये वर्कर यहीं इस गर्मी में नंगे पैर घूम रहे हैं। सब पोलिटिकल सफरर्स की इमदाद नहीं हो पायी है गोकि गवर्नमेंट चाहती है उनकी इमदाद करना। लाल टोपी वाले भाइयों ने आपत्ति की। मुझे उनसे शिकायत नहीं है। लाल रंग तो हमेशा ही रोकता है। लाल झंडा दिखा कर गाड़ी रोक दी जाती है। श्रीमान् की लाल रोशनी जब हो जाती है तो स्पीकर रुक जाता है। वक्ता भाषण देना बन्द कर देते हैं। चन्द स्वतंत्र और भूतपूर्व जमींदार भाइयों ने जोरदार शब्दों में कहा कि कानून बना कर अपना फायदा उठाना चाहते हैं 'काफिर नहीं है छूटती मुंह को लगी हुयी।' अब उनसे मैं क्या कहूं। यही कह सकता हूं कि मालूम होता है वे मुझे जानते नहीं हैं करीब से। मैं भी जमींदार के घर पैदा हुआ था लेकिन मुझे इस बात का फख्र और नाज है कि कोई भी बेदखली मैंने दाखिल नहीं की, किसी काश्तकार पर मैंने बकाया लगान दाखिल नहीं किया। इस तरह से मैंने हुकूमत की कि बेदखली करने की जरूर नहीं पड़ी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कोई वैयक्तिक हमला नहीं हुआ है।

श्री सीताराम शुक्ल—पहले दिन हुआ था हालांकि जो बिल पेश है वह बनारस के लिये है जहां मेरी एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। बस्ती जिले के लिये यह कानून नहीं बन रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां वैयक्तिक हमला करने की कोशिश की गयी वहां लोगों को रोक दिया था। तो उसका जवाब देने के लिये इस सदन में कोई आवश्यकता नहीं है और मैं इजाजत नहीं देता हूं कि कोई वैयक्तिक हमला करें।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, जो हमला हो गया है उसका जवाब ?

श्री अध्यक्ष—मैं तो उसी समय रोक देता हूं, अब जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—तो भगवान ने मुझे पहले भी जमीन दे रखी थी और आज भी काफी दे रखी है। जो मेरे पास है मुझे उसी को देखने की फुर्सत नहीं मिलती है, दूसरों को ले कर मैं क्या करूंगा। वैसे मैं आज भी जितनी जमीन चाहूं मेरे मित्र मुझे खुशी से दे सकते हैं। मगर मुझे अपनी ही देखने की फुर्सत नहीं है। यहां तो

'प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाय,
भरी सराय रहीम लखि, आप पथिक फिरि जाय।'

जिसके सामने पब्लिक वर्क है वह प्राइवेट काम नहीं कर पाता है। जो प्राइवेट काम करता है वह पब्लिक का काम नहीं कर पाता है। आप जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे आदमी चले गये, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ गये अपने बच्चों के लिये। महात्मा गांधी चले गये, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी अपने बच्चों के लिये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं

माननीय मंत्री महोदय से। मैं देख रहा हूं कि वह कोई किताब पढ़ रहे हैं मेरी प्रार्थना है कि वे मेरी बात सुनें। मैं जो उस दिन कह चुका था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मेरा खयाल है कि शायद उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना था। मेरा खयाल है कि हम लोग एक रास्ते के पथिक हैं। हम भी मुल्क का भला चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। मैं भी पोलिटिकल सफरर्स की भलाई चाहता हूं, आप भी उतना ही चाहते हैं। आप भी पोलिटिकल सफरर हैं, मैं भी हूं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि आपकी राय बदल जाय। आपने फरमाया यह कि इस संशोधन को अगर कोई दूसरा लाता तो ठीक था।

श्री चरण सिंह---मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि अगर दूसरी पार्टी की तरफ से आता तो पोलिटिकल सफरर इन्कार करते इसका फायदा उठाने से।

श्री सीताराम शुक्ल---अब मैं भीतर की बात को क्या अंजेज करूं। प्रोसीडिंग उठा कर देखिये तो यही निकलेगा जो सीताराम शुक्ल कह रहा है। अपने से संकोच होता है कि हम खुद कानून बनायें अपने आदमियों के लिये। तो आप तो इसलिये नहीं बनायेंगे कानून कि कहीं गलतफहमी न फैल जाये कि इन्होंने अपने आदमियों के साथ पक्षपात किया और जब विरोधी आयेंगे तो वे क्यों बनायेंगे। क्योंकि वह यह समझेंगे कि यह ज्यादातर कांग्रेसी है इसलिये यदि इनको आर्थिक स्वतंत्र कर देंगे तो हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे। आप इसलिये नहीं करेंगे कि गलतफहमी न हो जाय और विरोध इसलिये नहीं करेंगे कि वे विरोधी ही हैं। अच्छी दिल्लगी रही, दोस्त के साथ भी फायदा नहीं है और विरोधी से तो हो ही नहीं सकता है। एक बात और है वह यह कि गलतफहमी का खयाल जरूर करना चाहिये, लोकोपवाद से जरूर डरना चाहिये लेकिन यदि हम इस हद से ज्यादा डर जायेंगे तो उल्टे नुकसान होगा। आप कुर्सी पर हैं अगर कोई आपका रिश्तेदार आया कि उसको अफसर बनाया जाय और वह उसके लिये योग्य है, काबिल है और आप यदि उसको इसलिये नहीं बनाते कि लोगों को गलतफहमी न हो जाय तो आप उसके साथ और देश के साथ अन्याय करेंगे और यदि आपने किसी अयोग्य रिश्तेदार को बना दिया तो भी अन्याय किया। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो दोस्त और दुश्मन की क्या बात है, जो भी आये और अगर योग्य है तो उसको जगह दे दो। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि गलतफहमी का एक वजन है जहां तक उसका लिहाज करना चाहिये और जहां तक नहीं करना चाहिये। अब कहां तक गलतफहमी से डरा जाय, कहां तक न डरा जाय, किस हद तक झुका जाय और किस हद तक न झुका जाय, इसके लिये कोई स्कूल नहीं है, इसके लिये बुद्धि हुआ करती है और आत्मबल हुआ करता है जैसा बुजुर्गों ने दिखाया।

एक सदस्य---आप तो इसे वापस लेंगे ही।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर आप बीच में इंटरप्ट और हस्तक्षेप न करते तो अच्छा होता क्योंकि दखलन्दाजी से मेरी स्पीच खराब नहीं होगी।

मैं कह रहा था कि बड़े लोग कैसे करते हैं। देशभक्त तीन प्रकार के होते हैं। (१) सात्विक (२) रजसी और (३) तामसी। सात्विक वह है कि:---

"नत्वहं कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्कामये दुख तप्तानाम् प्राणीना मार्तिनाशनम्" जिन्हें न स्वर्ग चाहिये न मोक्ष चाहिये और न राज्य चाहिये सिर्फ दुखियों के दुखों को दूर करना चाहते हैं। वह ऐसे हैं कि "परवाह नहीं है चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो सीधा व साफ है। वे लोग इस प्रकार के होते हैं कि लोग चाहे खुश हों या नाखुश हों लेकिन वह सही रास्ता नहीं छोड़ेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें लीडरी जरूर मिले। वह देखते हैं

[श्री सीताराम शुक्ल]

कि कुर्सी मिलती है तो गलत काम भी करने को तैयार रहते हैं और कुछ लोग आपोरच्यूनिस्ट (अवसर वादी) होते हैं जैसे :—

आंच भी न आये जनता भी अपनायें, नित सम्पत्ति कमायें, सदा बात अपनी रहे, ऐसी चले चाले पांचो घी में बनी रहे, त्याग भी कर रहे और पास भी बनी रहे । ताड़ भी सके न कोई मुझमें और उनमें, जाकि भीतरी मनी है और बाहरी बनी रहे । भोली जनता भी मेरे जाल में फंसी ही रहे, शान मान से ये मेरी लौंडरी बनी रहे ।

इस तरह तीन प्रकार के देशभक्त होते हैं । पहले वाले आदमियों की तरह काम करना चाहिये । गांधी जी थे उन्होंने लौंडरी की परवाह नहीं की, बल्कि सचाई की परवाह की ।

श्री अध्यक्ष—आप अपने संशोधन पर आ जायें । जरा आप आगे बढ़ गये ।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, मैं याद दिला रहा हूं कि गलतफहमी से डरने की जरूरत नहीं है । मौलाना आजाद से सारा जमाना खिलाफ था लेकिन उन्होंने वही किया जो ठीक था । इसी तरह से सन् १९४७ में दिल्ली के अन्दर जब भीड़ ने बेकसूर मुसलमानों को लूटना आरम्भ किया तो पंडित जवाहरलाल जी ने लोगों को बचाने के लिये हुक्म दिया कि भीड़ पर गोली चलाओ । किन्तु सिपाहियों ने गोली नहीं चलाई तो पंडित जी ने खुद मोब पर गोली चला दी और बेकसूरों को बचा लिया । और ठीक रास्ते पर चलने के कारण कुर्सी उनके पीछे पीछे चलती है और जो कुर्सी की तरफ चलता है कुर्सी उससे दूर भागती है । इसके प्रतिकूल एक बात कही जा सकती है कि यह ठीक है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है अपनी जमीन शिकमी पर दे देंगे और देशसेवा करने के बजाय घूमेंगे सो ठीक है, बहुत सम्भव है कि कुछ लोग दुरुपयोग करें, किन्तु कुछ लोग तो हर एक चीज का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उससे कानून नहीं बनाना बन्द कर दिया जाता । आज भी कुछ कानून का दुरुपयोग हो रहा है, आप देखेंगे कि अभी अख्तियार दिया गया है कि शिकमी पर जो खेत देंगे वह चला जायगा । इसका फल आज क्या हो रहा है । हमारे एक वर्कर थे तहसील खलीलाबाद ग्राम में सी० टी० करके और वह अपना खेत गल्ले पर दिये थे । जब यह कानून बना तो उन्होंने पब्लिक लाइफ छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया । हमारे एक साथी हैं बस्ती में परमेश्वर दत्त शुक्ल । उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मुकदमा दायर कर दिया है उससे निपटने के बाद सार्वजनिक काम पुनः करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर नाम किसी का न लीजिये । वह सज्जन यहां पर सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल—और इसलिये वह छुट्टी लेकर वहां चले आये । एक कार्यकर्ता को टी० बी० हो गई, उन्होंने गल्ले पर दे रखा था किन्तु अब किसान ने उनकी जमीन छोड़ने से इन्कार कर दिया । इसलिए अर्ज करता हूं कि दुरुपयोग आज भी हो रहा है और कल भी होगा, लेकिन देखना यह है कि ज्यादा लोग इस कानून से फायदा उठा रहे हैं या नुकसान । मेरा कहना यह है कि लोग हवाई जहाज से कभी-कभी गिर पड़ते हैं तो क्या उसका चलाना बन्द कर दिया जायगा । आग से बदमास लोग मकान फूंक देते हैं तो क्या दुनिया से आग को बुझा दी जायगी और खाना कच्चा खाया जायगा ? रेल में, हवाई जहाज में दुर्घटनायें हो जाती हैं, तो क्या उनको छोड़ कर लोग बैलगाड़ी में सफर किया करें ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि उस ड्राइवर को ज्यादा सचेत करना चाहिये, उसको उसकी गलती के लिये सजा दी जानी

चाहिये, उससे और ज्यादा एहतियात बरती जानी चाहिये। न कि काम ही बन्द कर दिया जाय। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि पोलिटिकल सफरर्स को मदद दी जायगी और इसके लिये विभाग भी खोला गया है। यह खुशी की खबर है, ठीक है। लेकिन मैं उन्हें एक अफसोस की खबर भी सुनाता हूं कि जो अधिकारी हैं वह काफी परिश्रम करते हैं, गवर्नमेंट चाहती है उनको मदद दी जाय, लेकिन दस हजार दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और अभी एक हजार को भी मदद नहीं दी जा सकी। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ गौर फरमाइये। एक बात हमारे दोस्त साहब ने फरमाई थी, यहीं बैठे हैं कि उन्होंने त्याग के लिये काम किया था न कि बदला पाने के लिये, इसके उत्तर में मैं कहता हूं कि जिसने त्याग के लिये काम किया उसकी तो इज्जत और ज्यादा होनी चाहिये। जिसने स्वार्थ के लिये काम किया था उसकी मदद और इज्जत भले ही बाद में की जाय, लेकिन जिसने त्याग के लिये काम किया उसको तो प्रथमता और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिये। साथ ही उसको व्यक्त करने का क्या हक है, जोकि बारह सौ रुपये माहवार, बंगला भत्ता आदि लेते हैं। हमें, अथवा स्वयं जो कि दो सौ रुपया माहवार मिलता है, दस रुपया रोज लेते हैं, फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं, लेता हूं और दूसरों से कहूं कि भाइयो तुम त्याग करो? अगर हम भी छोड़ें तो उनसे कहें कि इसको लेने की जरूरत नहीं है, हमने तो यह त्याग के लिये किया था, हमें आज भी त्याग पूर्वक काम करना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह मुफ्त की फौज है, मुफ्त के आजमाये हुए सिपाही हैं और उन्हें पब्लिक की सेवा करने का शौक है। आप सोचिये कि फौज के सिपाहियों को अपनी जमीन को देने का अख्तियार है, लेकिन जिसने देश के लिये त्याग किया था, देश की सेवा में अपना तन-मन लगा दिया था, उसको यह अख्तियार नहीं है? मैं सिपाही हूं और अगर मेरी दलीलों को सुन कर आप गौर करेंगे मेरी बात को मानेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर इत्तफाक नहीं करेंगे तो संशोधन वापस ले लूंगा। इसलिये कि जिद करके, अलग होकर मैं काम कर पाऊंगा, मैं तब पब्लिक की खिदमत कम कर पाऊंगा जब मैं डिसिप्लिन में न रहूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना पर गौर फरमायेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब पिछली बार बोला था इस विषय पर तो जो सब आपत्तियां थीं माननीय शुक्ल जी के संशोधन के विषय में, वह सब अर्ज कर चुका था, और आज भी जो उनकी तकरीर हुई है वह इतने ऊंचे पैमाने की हुई है कि मेरे लिये उसका जवाब देना प्रायः असंभव सा ही है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—समझ पाते हैं आप?

श्री चरण सिंह—समझ तो पाता हूं कुछ-कुछ। एक मैं यकीन उनको दिला देना चाहता हूं कि मुझे यह मुगालता नहीं है कि हम मंत्री जो यहां बैठे हैं वह त्याग के बल पर यहां हैं। मुझ से तो कई गुना त्याग किये किये हुए लोग हैं ऐसे, कि जो एम० एल० ए० भी नहीं हो पाये। यह इत्तिफाक की बात है कि मैं मंत्री हूं। लेकिन मुझे इसमें जरा भी मुगालता नहीं है कि मैं त्याग की वजह से मंत्री हूं।

मैं इस संशोधन के मुताल्लिक उस दिन पहले अर्ज कर चुका हूं और उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं केवल एक बात को दोहराना चाहता हूं और वह यह है कि यह हम राजनैतिक पीड़ितों के साथ अन्याय करेंगे यदि उनके राजनैतिक पीड़ित होने के एवज में जो कानून हम सारे प्रदेश के लिये बनाने के लिये जा रहे हैं और सारी जनता के लिये बनाने जा रहे हैं उसमें उनके लिये कोई किसी प्रकार का अपवाद किया जाय। मैं अभी तक उसी मत का हूं जो कि मैंने उस दिन कहा था। शुक्ल जी ने जो कुछ फरमाया है बावजूद उनके फरमाने के मैं अपनी राय को बदलता नहीं हूं और इन शब्दों के साथ उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल---"युक्तियुक्तमुपादेयम्, वचनं बालकादपि ।
अन्यत् तृणमिवत्याज्यं, यदुक्तं पद्मजन्मना ।।"

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अब बहस का मौका नहीं है। आप बतलाइये कि आप इसको वापस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री सीताराम शुक्ल---मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर लिखित व्यक्तियों के परिवार में कोई वयस्क वारिस निहित होने के दिनांक पर न रहा हो।"

श्रीमन्, मैं इस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के अनुसार बेदखल करने का अधिकार बनारस राज्य में उन लोगों को दिया जा रहा है जो अपने को अक्षम समझते हैं। इस धारा से बहुत से लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं। एक परिवार में कई तरह के लोग होते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें बालिग लोग भी रहते हैं नाबालिग के नाम पर जो खेती होती है उसके लिये इस धारा के जरिये अधिकार दिया जाता है कि यदि कोई खेत पर कोई शिकमी काश्तकार काबिज हो तो नाबालिग लोग उसको बेदखल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात प्रदेश में बहुत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उस परिवार में कोई बालिग हो तो नाबालिग या अक्षम्य लोगों को अधिकार बेदखली का नहीं होना चाहिये। इस प्रतिबन्ध का यही मतलब है और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता, कारण यह है कि बनारस स्टेट के लिये केवल हम संशोधन ला रहे हैं। सारी स्टेट में जो कानून है वही कानून बनारस में भी होना चाहिये। किसी तरह से बनारस में कोई खास अन्तर डिस्क्रिमिनेशन हो ऐसा कारण नहीं मालूम होता है। माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि यदि हम कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हाईकोर्ट इसको मंजूर नहीं करेगा। कोई और कारण भी नहीं है कि बनारस के लिये ऐसा प्रतिबन्ध हो जो और सारी स्टेट में न हो। जो चीज सारी स्टेट में हो वही वहां होनी चाहिये। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको वापस लेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जो बात माननीय चतुर्भुज जी ने कही है उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है। माननीय रामसुन्दर जी पांडेय जो प्रतिबन्ध चाहते हैं वह यह है कि ऊपर लिखित व्यक्तियों के परिवार में कोई वयस्क वारिस निहित होने के दिनांक पर न रहा हो। परिवार के मायने वह क्या लगाते हैं ? डेट आफ़ वेस्टिंग के दिन एक परिवार में ५० आदमी हो सकते हैं और यदि कोई नाबालिग या बेवा या इनफ़र्म हो जो खेती नहीं कर सकता हो तो परिवार में दूसरे गांव, जिले और सूबे के लोग भी आ सकते हैं। तो यदि परिवार में १ हजार आदमी हैं और उनमें से कोई भी वयस्क रहा तो ऐसी परिस्थिति में वह इस कानून का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर उसका अंग्रेजी में तो फ्रेमिली होता है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि एक ही परिवार के लोग बहुत सी जगह रह सकते हैं और कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिलता जो कि सन् ५२ में या बाद को

निहित हो तो कोई बालिग़ उस परिवार में न हो। इस संशोधन से केवल एक कटुता उत्पन्न होती है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह क़ानून क्या, बल्कि इसे एक तमाशा समझा जायगा और यह हमारे बौद्धिक विकास के लिये उन्नतिशील बात नहीं होगी। मैंने माना कि मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि यह एक डाइनामिक या ट्रांजीटरी पीरियड है, हर चीज स्टेटिक नहीं रह सकती है, लेकिन हर चीज की कुछ सीमा तो होनी चाहिये।.....

श्री अध्यक्ष---मन्त्री जी तो आप के ही पक्ष में हैं

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपमन्त्री जी ने कहा है कि केवल बनारस जिले के लोगों ने कोई ऐसा ख़राब कार्य नहीं किया है कि वहां के असमर्थ व्यक्ति, विधवा या असमर्थ लोग, अपनी जमीन दूसरों से न जुतवा सकें। अगर वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो यू० पी० के क़ानून में वह संशोधन ला सकते हैं क्योंकि जो वह चाहते वह करा ही लेते हैं। तो केवल यह दलील देना कि वहां के लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक नहीं जचता है। यदि वह यह कहें कि वह करना ही नहीं चाहते हैं तो ठीक हो सकता है। माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा है कि परिवार के लोग अलग-अलग हो सकते हैं। मेरा बनारस जिले का तो नहीं, लेकिन दूसरे जिलों का अनुभव है और बनारस जिले में भी वही व्यवस्था होगी। जब से जमींदारी उन्मूलन क़ानून बना है और जब से पास होने से पहले इसकी चर्चा थी तो पहले से ही लोगों ने जमीन खान्दान में किसी विधवा या नाबालिग के नाम कर दी है भले ही पिता मौजूद हो। मेरा ऐसा अपना निजी अनुभव है और अगर कोई कमेटी बिठाई जाय तो चाहे जिस जिले या तहसील को लिया जाय इस तरह की जमीन ५० परसेंट नहीं तो मेरा अनुमान है कि ४० परसेंट आदमी ऐसे मिलेंगे जो इस प्रकार से जमीन का दुरुपयोग करते हैं और जिनके लिये जमींदारी अबालीशन कानून पास हुआ है उनके प्रति अन्याय करते हैं और उस कानून को निरर्थक बनाते हैं। इसलिये मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर उनकी यह धारणा है और जिस अच्छी भावना से उन्होंने यह क़ानून बनाया है तो उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिये भी उसी भावना और साहस का परिचय दें ताकि जो जमीन जोतता है उसकी वह हो सके और कोई भी आदमी विधवा या असमर्थ या नाबालिग की आड़ में जमीन का दुरुपयोग न कर सके और यहां की अन्न की उपज बढ़े।

*श्री राम सेवक यादव---मैं माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। जो चीजें तजुर्बे में आई हैं उनमें यही आजकल कचहरियों और गांवों में हो रहा है कि विधवाओं या नाबालिगों के नाम दरअसल ग़लत मुक़दमें शिकमी किसानों को बेदख़ल करने के लिये चल रहे हैं। जहां सरकार का यह इरादा है कि विधवाओं को या नाबालिगों को अपनी जमीन उठाने का अधिकार मिल सके, उनकी सुरक्षा हो सके, वहां साथ-साथ सरकार को यह देखना चाहिये कि किसी तरह से जमीन का दुरुपयोग न हो। यह भी हमारा कर्त्तव्य है। इस कानून में जो रोक इस संशोधन द्वारा लगाई जा रही है उससे यह होगा कि परिवारों में बहुत से नाबालिग़ होते हैं और अगर कोई बालिग़ है और उसके परिवार में दूसरे लोग हैं तो वह उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस संशोधन के बिना बहुत से शिकमी काश्तकारों का भला नहीं होगा। उपमन्त्री जी ने कहा कि शायद इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सके। यह केवल बनारस जिले के लिये ही है और दूसरे जिलों के लिये दूसरा कानून होगा। यही हमने मन्त्री जी से और ट्रेजरी बेंचेज से बार-बार सुना है कि अगर तजुर्बे में कोई चीजें इस प्रकार की आयेंगी कि जिस इरादे से कानून बनाया जाता है उसका उल्टा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर संशोधन करने में कोई हिचक नहीं होगी। तो इस तरह का बनारस के लिये कानून बना कर साथ में हम जमींदारी विनाश कानून को भी तरमीम कर सकते हैं। मैं आप के द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसेवक यादव]

सदन की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि आज इस तरह के षड़यंत्र रचे जा रहे हैं कि एक ही परिवार में अगर मुश्तर्का काश्तकार हैं या मुश्तर्का भूमिधर हैं, एक नाबालिग हैं और दूसरा बालिग है, तो उसमें ग़लत तरीके से बटवारे का मुक़दमा दायर कर के या उसे फर्जी ऐतराज़ करा के बेदखल कराने का कार्यवाही की जाती है। तो जब कानून में यह प्रतिबन्ध नहीं लगेगा और इस प्रकार की गुंजाइश रहने दी जायगी तो हज़ारों लोग सिर्फ इस बुनियाद पर कि नाबालिग या विधवा की जमीन है, बेज़मीन के हो जावेंगे। देश में वैसे ही बेकारी बहुत है और वह और अधिक हो जायेगी। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इसमें रोकथाम लगावें और यह प्रतिबन्ध यह कार्य करता है।

परिवार के विषय में माननीय सदस्य ने कहा कि परिवार की परिभाषा या भाषा पर उनको आपत्ति है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उसकी परिभाषा बतला दें मैं तो यह समझता हूं कि परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से है। लखनऊ और फ़ैज़ाबाद में रहने से कोई परिवार अलग-अलग नहीं हो सकता है। आज खेती का कार्य इस तरह से हो रहा है और लोगों के पास एक ही एक रोजगार नहीं कई-कई हैं। शहरों में रोजगार हैं, नौकर हैं फिर भी खेतों पर हावी हैं। इस कानून का मतलब उन लोगों को फायदा पहुंचाने का नहीं हो सकता। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी और उपमन्त्री जी की एक आवाज रही। दोनों ही एक राय के हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाय क्योंकि इससे उसका अर्थ काफी व्यापक हो जाता है। यही नहीं, अगर स्त्रियां हैं, और उनका कोई लड़का बालिग है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिये। केवल बेवा होने से बेदखल नहीं करना चाहिये। इसलिये यह मामूली सा संशोधन है। इससे बड़ा भारी फर्क होने नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी उसको कबूल कर लेंगे और इसमें अधिक बहस की आवश्यकता न होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के समर्थन में कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। माननीय अवधेश प्रताप जी और उपमंत्री जी के विचार एक हैं। इसमें हमें कोई शुबहा नहीं है और अवधेशप्रताप जी भी उसी राय का समर्थन करते हैं जिसका समर्थन सरकार किया करती है। श्रीमन् हमारा विचार सिर्फ इतना ही है कि बेदखली उन लोगों की न हो सके जो सही मानों में खेती बारी करते हैं और उसके मालिक नहीं हैं। इस संशोधन और इस प्रतिबन्ध के यही मानी हैं कि जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और उस परिवार में यदि कोई बालिग आदमी है तो वह आदमी अपने परिवार की खेती का इन्तजाम कर सकता है। खेती बारी करा सकता है। लेकिन श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी को मेरे ख्याल से काफी जानकारी होगी कि बहुत से ऐसे परिवार हैं और ५९ लाख आदमी हमारे प्रदेश में शिकमी किसान हैं उनमें से अधिकतर किसान ऐसे हैं जो ऐसे अक्षम लोगों की खेती को जोतते बोते हैं। उनमें बहुत से मालिक और खेती बारी करने लायक हैं। ऐसे लोगों के रहते हुए अक्षम लोगों के नाम से बेदखल कराने का अधिकार देना कोई ठीक बात नहीं है। यह नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स लखनऊ का रहने वाला है वह लखनऊ में भी खेती करता है फैजाबाद में भी करता है। लखनऊ में भी हजारों एकड़ खेती होती है और आजमगढ़ में भी होती है। आजमगढ़ की सारी जमीन नाबालिग लड़के के नाम लिख दी और यहां की अपने नाम पर लिखा दी और दूसरी जगह की अपनी औरत, बहन के नाम पर लिखा दी। इस प्रकार से बहुत सी गड़बड़ियां इन भूतपूर्व जमींदारों ने की हैं क्योंकि वह जानते थे कि हमारी इस प्रकार की साजिश कामयाब होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस प्रतिबन्ध के जोड़ देने से लाखों किसानों को लाभ हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि इस तरह की सूचना मिली है कि जिलों में कोई ऐसी सूची तैयार की जा रही है कि कितने ऐसे किसान हैं जो अक्षम लोगों के खेतों पर काबिज हैं। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इसकी जानकारी जल्दी ही हो जायगी कि ५९ लाख किसान जिनको सीरदारी का हक दिया गया है उनमें से कितने बेदखल होने वाले हैं। मैं समझता हूं श्रीमन्, यह संख्या लाखों की तादाद में होगी। माननीय उपमंत्री जी द्वारा कहा गया कि केवल बनारस राज्य के लिए यह कानून है। इस सारे प्रदेश में इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं है तो केवल बनारस राज्य में ही क्यों रखा जाय। यह दलील कोई दलील नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी एकले बार नहीं, बीसों बार कह चुके हैं और इस सदन में ऐसे कानून बने हैं। पहले यह कानून बनारस में लागू नहीं हुआ अब हो जायगा। अलग-अलग कानून बने इसलिए यह उनकी दलील एक थोथी दलील है कि बनारस राज्य के लोगों को वहां के शिकमी किसानों को इस प्रकार के अधिकार अपने खेतों पर रहें कि वे खेतों से बेदखल न हो सकें। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रतिबन्ध मान लिया जाय और सारे उत्तर प्रदेश में इस प्रतिबन्ध को लगाया जाय तो उचित होगा। हाई कोर्ट की दलील दी गई। मैं हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड की बात क्या कहूं? माननीय उपमंत्री जी को उसकी ज्यादा जानकारी होनी ही चाहिए और मेरा ख्याल है होगी ही। इन धाराओं के बारे में वह कहते हैं, लोगों से जिक्र करते हैं कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया। इस पर हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा यह तो राजस्व मंत्री जी ही कहने के अधिकारी हैं। मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रतिबन्ध के जरिये आप किसानों को ऐसा अवसर प्रदान करें कि शिकमी किसानों की बेदखली रोकी जा सके। जो लोग अक्षम हैं जिनके परिवार में कोई बालिग नहीं है खेती बारी करने वाला नहीं है ऐसे लोग अगर बेदखली कराते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग अक्षम नहीं हैं वह भी इसके जरिये से शिकमी किसानों को बेदखल करा देंगे और इस तरह से बहुत से किसान बेदखल हो जायंगे और उनकी तादाद लाखों में हो जायगी। मैं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी का यह इरादा नहीं है इसलिए उनको हमारा यह संशोधन कर स्वीकार लेना चाहिए।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर जी पांडेय के संशोधन का मतलब यह है कि मान लो एक खाता है उसके दो हिस्सेदार हैं। एक समर्थ है दूसरा असमर्थ। एक बालिग है दूसरा नाबालिग है। वह चाहते हैं कि नाबालिग हिस्सेदार ने अपनी जमीन किसी गैरदखिलकार काश्तकार को दे दी है तो वह गैर दखिलकार काश्तकार बेदखल नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा हिस्सेदार उसका समर्थ है। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसी आशय से अपना संशोधन पेश किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैंने परिवार की बात कही थी। एक परिवार में तो कई खाते होते हैं।

श्री चरण सिंह---मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा था। अगर ऐसा है तो यह बात बिल्कुल माकूलियत से दूर हो जाती है उस खाते के हिस्सेदारों को देखना चाहिए न कि खान्दान वालों को। श्रीमन् मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना है। यह बिल्कुल

[श्री चरण सिंह]

ऐसी चीज है जो न तो उठाई जा सकती है और न धरी जा सकती है। तकरीर यह हुई है कि हिस्सेदारों में अगर कोई आदमी समर्थ है अक्षम नहीं है तो उसके काश्तकार को बेदखल नहीं होना चाहिए।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---जो बात वह कह नहीं रहे उसे आप क्यों समझ रहे हैं?

श्री चरण सिंह---मैं उसको माकूलियत का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे हमने धारा १५७ का जो एक्सप्लेनेशन असमर्थ लोगों को अपनी जमीनों को शिकमियाना तौर पर उठाने का अधिकार देने का रखा है उसमें हमने साफ लिख दिया है कि बावजूद इस बात के कि दूसरा हिस्सेदार खाता एबिल बाडीज है वह खाते के अपने हिस्से को उठा सकता है लेकिन जो पुराना कानून था वह यह था कि खाते के सारे हिस्सेदार डिसएबिल्ड हों। मान लीजिए एक देवर है, एक भावज है या एक बालिग है और एक नाबालिग है तो उसके लिए कानून में इस बात को रखा गया है कि वह अपने हिस्से की जमीन उठा सकते हैं। इसलिए माननीय रामसुन्दर जी पांडेय और रामसेवक जी को बेदखली हो जाने का जो अन्देशा है उसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अल्फाज हैं वह इस तरह से हैं--

"Nothing in Sub-section (1) shall apply to a tenant of *Sir* if his land holder was."

यानी क्षेत्रपति के सारे के सारे हिस्सेदार डिसएबिल्ड होने चाहिये थे लेकिन अब जो रक्खा गया है उससे सारा मंशा पूरा हो जाता है। इसलिये उनकी जो दलील है वह बिल्कुल निराधार है और इसके अलावा जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा कि वह तो केवल बनारस के लिए कह रहे थे। इसलिए मैं इसकी जरूरत नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर लिखित व्यक्तियों के परिवार में कोई वयस्क वारिस निहित होने के दिनांक पर न रहा हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री राम सेवक यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में उपखंड (२) के भाग (६) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० एकड़ या स्वतः एक हल बैल से जितनी जमीन जोती बोई जा सके---उसके तिगुने (दोनों में से जो कम हो) उससे अधिक जमीन रखने वाले उपरोक्त व्यक्ति सीरदार को बेदखल नहीं कर सकते।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा सिर्फ मंशा यह है कि जिन लोगों को इस प्रकार की सुविधायें सरकार द्वारा दी जा रही हैं कि अगर किसी प्रकार की फिजिकल इंफर्मिटी हो, या नाबालिग हो, स्त्री हो या किसी विदेशी सर्विस में हो उसके अलावा लोग बेदखल नहीं कर सकते, यही लोग बेदखल कर सकेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिबन्ध के द्वारा इसका अर्थ यह हो जायगा कि वे लोग जिनके पास तीस एकड़ जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है या अपने ही परिश्रम से हल बैल के जरिये---मशीन के जरिये नहीं--- जितनी जमीन वे जोत सकते हैं उससे तिगुनी से अधिक जमीन हो (दोनों में से जो कम हो) उतनी तक वे बेदखल कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त अगर जमीन हो तो बेदखल नहीं कर सकते तो यह प्रतिबन्ध काम में आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में क्या, सारे देश में विनोबा जी जो भूमि का दान मांगते फिरते हैं और सरकार की ओर से और खासतौर से कांग्रेस की ओर से बड़े बड़े नेता यह कहते हैं कि भूमि का दान होना चाहिये, जमीन का बराबर से वितरण होना चाहिये वे उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक उसूल का सवाल है इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं और रात दिन यह कहा करते हैं कि भूमि का वितरण होना चाहिये और सीलिंग लैण्ड की मुकर्रर होनी चाहिये। इस तरीके से जमीन किसी के पास नहीं रह सकेगी। तो इस संशोधन के द्वारा यह जो रोकथाम की जा रही है उसका प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह आशय जरूर है कि तीस एकड़ से अधिक भूमि वाले को वे बेदखल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि वह तीस एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकेंगे। जिनके पास कम जमीन है, शिकमी जोत पर है इस कानून की जद में आकर उनसे जमीन छीनी जायगी तो बजाय जमीन का वितरण होने के वह जमीन जिनके पास अधिक है उनके पास आ जायगी। तो अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री मान लेंगे तो उनके पास जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास भी जमीन हो जायगी, वह भी जमीन का मालिक हो जायगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो गरीब है, जो कमजोर है, या फिजिकली इंफर्म है, स्त्री है, नाकाबिल है उनको थोड़ी सुविधा देने की जरूरत है। सिर्फ तीस एकड़ उनके पास रहे। इससे उनका काम भी चल जायगा और किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं होगी। इससे अधिक जमीन है तो उन लोगों को जमीनें दी जायं जिनके पास नहीं है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम अगर वह यह कहते हैं कि भूमि का दान होना चाहिए दान कौन करेगा? जिसके पास अधिक जमीन होगी। तो जब वह इसको उसूली तौर पर मानते हैं तो कार्यरूप में परिणत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय अवश्य मान लें। यही मेरा संशोधन है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि जो कमजोर व्यक्ति हैं, जैसे स्त्री या नाबालिग या जिसका दिमाग खराब हो या उन व्यक्तियों को जिनको खास वजह से शासन विशेष सुविधाएं देता है, जैसे सिपाहियों को अगर वे सरकारी या फौजी काम कर रहे हैं और अपने खेत पर मौजूद नहीं हैं तो उन की आराजी में अगर कोई दूसरा जोतता है तो उसको सीरदारी के हकूक नहीं मिलेंगे। संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि अगर जोत तीस एकड़ से ज्यादा हो तो उसके ऊपर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कारण यह है कि सिद्धान्ततः यह बात कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को तीस एकड़ से ज्यादा भूमि रखने की इजाजत न दी जाय। लेकिन जब तक यह सिद्धान्त लागू नहीं होता या मान्यता प्राप्त नहीं करता तब तक इसको हर जगह लगाना मुनासिब नहीं है और अगर आप लगायेंगे भी तो वह वैधानिक रूप से जायज नहीं होगा। वह विधान की दृष्टि से एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा। या तो आप इस प्रकार का कानून बना दें कि कोई व्यक्ति तीस एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता, आप सीलिंग कर दें---लेकिन जब तक आप सीलिंग नहीं करते हैं और केवल कुछ लोगों के लिये आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वह डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन हो जायगा और वह संविधान के विपरीत जायगा। इसके अतिरिक्त जो तीस एकड़ की बात कही जाती है सम्भवतः यह हो सकता है कि सिपाही के दो

[श्री शिवनाथ काटजू]

छोटे बच्चे हों और उसके लिए कहा जाय कि चूंकि वह सिपाही है, बाहर है, और उसके पास तीस एकड़ से ज्यादा आराजी है लिहाजा तीस एकड़ से ज्यादा आराजी रखने का उसको कोई अख्तियार नहीं है तो सिद्धान्ततः कागज पर यह भले ही ठीक हो, लेकिन अगर उसके तीन छोटे-छोटे लड़के हैं तो उसके साथ आप अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब तक कि एक खास कानून लागू न हो जाय कि कोई तीस एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता तब तक इस प्रकार का संशोधन वैधानिक नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेटरी होगा और नाजायज होगा। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है जो माननीय काटजू जी ने कहा है उससे मैं सहमत हूं और उसके साथ-साथ आपके द्वारा मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि इसके साथ यह कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि जिसके पास तीस एकड़ जमीन है उसके पास खुदकाश्त भी हो। परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जब किसी क्षेत्रपति के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि हो और वह नाबालिग हो या फौज में हो या किसी भी तरह से वह डिसएबिल माना जाता हो तो उसके लिए यह कहना कि वह कुछ भी बेदखल न कर सके और कुछ भी जमीन अपने खाने पीने के लिए न ले सके, मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित होगा। मेरे दोस्त ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि माननीय मंत्री महोदय ने इसका पहले भी इन्तजाम कर रखा है, यदि मैं भूलता नहीं हूं कि जब तक उसके पास आठ एकड़ से ज्यादा आराजी न हो तब तक वह बेदखल कर सकेगा। उसके बाद उनके लिए कोई भी अधिकार नहीं है कि वह बेदखली हो सके।

श्रीमन्, यह मैं देखता रहा कि हमारे मंत्री महोदय एक नामाकूलियत को माकूलियत का जामा पहनाने की कोशिश करते रहे। और जो कि मंत्री महोदय ने कहा है वह हो सकता था अगर वे उस पद पर पर न होते और इधर बैठे होते। हमारे बहुत से माननीय दोस्त यह समझते हैं कि सीरदार भी बेदखल हो सकते हैं। तो अगर कानून इस नुक्तेनजर से पढ़ा गया है, वह इस कदर कानून पर हावी है तो मैं इतना कह सकता हूं कि उसको वह न भूले कि जहां पर यह एक लेजिस्लेशन कराना चाहते हैं वह किसी भाव से भी, किसी सूरत से भी वह संविधान के रहते हुए वैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। मैंने यह देखा है कि यह आज जो संशोधन आ रहे हैं उसमें न सिद्धान्त है, न सार है केवल एक जिद है हठवादिता है। एक चीज उनके सामने यह रही है और उनको यह फिक्र है कि बेदखलियां इस सूबे में बहुत ज्यादा तादाद में हो रही हैं। जहां पर यह कहा जा सकता है दूसरी तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि यह केवल उनका भ्रम है। अगर वह चाहते हैं तो मंत्री महोदय इसकी फिगर्स इकट्ठी करें और समझावें कि किस हद तक लोग बेदखल किये जा रहे हैं।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय दोस्त इस पर विचार करेंगे। यह संशोधन उनका नहीं है, पार्टी के नाते ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि वकील होने के नाते वह स्वयं इससे सहमत न हों। परन्तु परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन यदि पढ़ा जाय तो इससे साफ प्रगट होता है, जैसा इसमें लिखा हुआ है—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० एकड़ या स्वतः एक हल बैल से जितनी जमीन जोती बोई जा सके उसके तिगुने (दोनों में से जो कम हो) उससे अधिक जमीन रखने वाले उपरोक्त व्यक्ति सीरदार को बेदखल नहीं कर सकते।"

कोई कानून जब बनाया जाता है सबसे बड़ी चीज जो उससे होनी चाहिये वह यह है कि उसको प्रीसाइज होना चाहिये, उसे बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये, बिल्कुल ठीक-ठीक उसका अर्थ जो कोई भी कानून न जानता हो वह भी उसका अर्थ लगा सके, तभी वह कानून कहा जा सकता है। इसके पढ़ने से यह मालूम होता है कि संशोधन जो रखा गया वह 'बेग' है। अस्पष्ट है। अगर यह होता कि ३० एकड़ से अधिक जिसके पास भूमि है वह अपने शिकमी को बेदखल न करे तब तो यह ठीक होता, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि एक हल बैल से जोतने की जितनी जमीन हो उससे तिगुनी। कहीं-कहीं पर जमीन ऐसी है जो एक हल बैल से १० बीघे ही जोती जा सकती है और कहीं-कहीं पर २० बीघे भी जोती जा सकती है। तो ऐसा बेग संशोधन नहीं रखना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा माननीय काटजू साहब ने कहा कि जब तक आप सीलिंग निश्चित नहीं करते तब तक सिर्फ बनारस में एक विशेष कानून लागू कर दें, यह मेरी भी समझ में उचित बात नहीं प्रतीत होती है। जब तक सारे सूबे के लिये सीलिंग नहीं मुकर्रर की जाती तब तक सिर्फ बनारस के लिये ऐसा कर दिया जाय और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये जो माइनर हैं, रंडी हैं, जिनका जिक्र सबक्लाज १० में किया गया, मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा और इस संशोधन को प्रस्तुत करके किसी की भलाई नहीं की जा सकती बल्कि एक "कन्फ्यूजन" पैदा किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि संशोधन कर्ता महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून हम अपने प्रान्त के लिये पेश करें वह कम से कम ऐसा होना चाहिये कि जो सारे प्रान्त पर अच्छे प्रकार से लागू हो सके। यह जो हम अपने कानून में संशोधन कर रहे हैं यह सिर्फ एक हमारा हिस्सा जो अभी हमारे राज्य में विलीन हुआ है बनारस का उसके लिए है। जो कानून हमारे प्रान्त के और दूसरे हिस्सों में लागू है इस संशोधन का यह प्रस्ताव है कि उस कानून को बदलकर के इस हिस्से के लिये कुछ दूसरी तरह का कानून रखा जाय। मैं यह समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है। कानून एक प्रान्त में, एक सूबे में सब जगह यकसां ही होना चाहिए जिससे कि लोग उसके अर्थ को भली प्रकार से समझ सकें और कानून को अदालतों में सही मायने उसको पहनाये जा सकें। अगर यह व्यवस्था हमने अपने प्रान्त में की कि एक इलाके में एक तरह का कानून और उसी विषय का दूसरे इलाके में दूसरे तरह का कानून, तो इस तरह से तो हमारे यहां कानून की एक ऐसी अव्यवस्था हो जायगी कि जो न कचहरियों में समझी जा सकेगी और न जनता ही उसको भली प्रकार से समझ सकेगी। जो यह संशोधन हमारे साथी ने पेश किया है मैं समझता हूं सर्वथा अनुचित है क्योंकि हमारे प्रान्त के दूसरे हिस्सों में जहां जमींदारी कानून लागू है वहां पर जो कानून जिस प्रकार का है वह उसी प्रकार से बनारस में भी लागू होना चाहिये जिससे कि सही तरीके पर इस बात को समझा जा सके, जैसा अभी माननीय मिश्र जी ने बतलाया कि एक हल जो लिखा गया है कि जितना एक हल से जोता जा सके यह एक ऐसी अनिश्चित चीज है जिसका मैं समझता हूं हर एक समझदार आदमी विरोध करेगा। पिछले दिनों में एकड़ की तारीफ पढ़ रहा था कि एकड़ क्या था कैसे इसकी रचना हुई और

[श्री बलवंत सिंह]

किस प्रकार से यह शब्द चला। इंगलैण्ड में एकड़ वह माना जाता था कि जितनी भूमि एक हल बैल जोत ले। फिर उसके बाद में घोड़े इस्तेमाल होने लगे तो वह ज्यादा जोतने लगे। तो वह जितना घोड़े जोतने लगे उतना एकड़ माना जाने लगा। अगर कोई बढ़िया घोड़े इस्तेमाल करने लगा तो वह और भी ज्यादा जोतने लगा, तो वह भी एकड़ माना जाने लगा। तो इस तरह से हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से जो अमेंडमेंट आया है वह बिल्कुल उसी ढंग का है जैसा कि इंगलैण्ड का एकड़। हमारे पश्चिम में तो एक-एक हजार रुपये की जोड़ी होती है और पूरब में दो-दो चार-चार सौ रुपये की बैल की जोड़ी होती है। अब जो पूरब की भूमि होगी वह इस तरह से छोटी हो जायगी और हमारे पश्चिम में बहुत बड़ी हो जायगी। तो कम से कम जिस वक्त हम अमेंडमेंट पेश करें तो उस वक्त जरा देखें कि उसके लिए लेजिस्लेचर के बाहर लोग हमें क्या कहेंगे और जैसा कि हमारे दोस्तों ने कहा कि पहले ही यह कहा जाता है कि कानून ऐसे लोग बना रहे हैं जिनको शायद कानून बनाना नहीं आता, तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस वक्त यह कानून पेश हो तो हमारे सोशलिस्ट भाई उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, न कि उसको बिगाड़ कर के ऐसा खराब कर दें कि उसका और मजाक उड़ने लगे।

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय बलवन्त सिंह जी की दलीलों को सुना। मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस तरह से अपनी दलीलें दे रहे हैं। आया वह उनकी सच्चाई को कुछ समझते भी हैं उन्हें उनका पूर्ण विश्वास भी है या नहीं। इसमें साफ दिया हुआ है कि "३० एकड़ या"। ३० एकड़ दिया हुआ है जिसको कि हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है कि ३० एकड़ से अधिक जमीन कोई नहीं खरीद सकता।

जिसके पास ३० एकड़ से कम है वह ३० एकड़ तक खरीद सकता है, उससे अधिक नहीं। उनका संशोधन कहता है कि जिन लोगों के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है वह लोग सीरदारों को बेदखल न कर सकें। तो मैं समझता हूं कि वह एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक हद जमीन की रख दी कि जिसके पास ३० एकड़ जमीन है वह अधिक जमीन न खरीद सकें। इसी प्रकार से यह दूसरा प्रावीजन है कि जिन लोगों के पास ३० एकड़ से अधिक है वह ३० एकड़ तक तो रख सकें, उससे अधिक में से लोगों को बेदखल न कर सकें। जहां तक भूमि के एरिया की बात है तो बुन्देलखंड के लिए रखा गया है कि ६० एकड़ तक वहां कर दिया गया है। मालूम पड़ता है कि बलवन्त सिंह जी को इसकी जानकारी नहीं है कि भूमि का भिन्न इलाकों में एकड़ का एरिया दिया हुआ है कि किस जमीन को कितनी खरीद सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह---एकड़ तो एक ही है।

श्री जोरावर वर्मा---जी हां, लेकिन जमीन की हद में तो कुछ अन्तर है।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार आदमी इस प्रकार का संशोधन कानून में पेश नहीं कर सकता है कि एक एरिया के लिए इस प्रकार का और दूसरे एरिया के लिए दूसरे प्रकार का। मैं नहीं समझ सकता हूं कि उन्हें अपनी समझदारी पर कितना विश्वास है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि अगर उस एरिया के लिए संशोधन मान लिया जाय तो दूसरा क्षेत्र जो यू० पी० का है, उसके लिये वह कल ही संशोधन को पास कर सकते हैं कि जो बनारस क्षेत्र के लिए हमने क्षेत्र निर्धारित किया है वह उत्तर प्रदेश भर में लागू कर दिया जाय। क्योंकि यह सरकार तो उस परिस्थिति में अध्यादेश द्वारा भी भिन्न-भिन्न प्रकार के कानून को बदला करती है। अगर वह समझती है कि जरूरत है और उस परिस्थिति में जब कि जनता उन कानूनों के विरोध में

होती है। तो इस प्रकार की दलील देना और अपनी समझदारी की तारीफ करना, मैं समझता हूं उस कहावत का चरितार्थ करना है कि "अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना"। यह बुद्धि तो इनकी बुद्धि पर खुद ही परिहास करती है कि सरकार सर्वशक्ति सम्पन्न है, उसे पूर्ण अधिकार है कि किसी भी समय वह कानून को बदल सकती है। तो अगर बनारस के लिए यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो हमारे मंत्री जी आज भी इस कानून के आधार पर फौरन उत्तर प्रदेश भर के लिए यही कानून लागू करने के विधेयक ला सकते हैं। तो इस प्रकार की दलील देना कि समझदार आदमी कोई इस प्रकार का संशोधन पेश नहीं कर सकता है, मैं समझता हूं यह उस समझदारी से बेहतर है कि किसी भी समय अध्यादेश द्वारा कानून लागू किया जा सकता है। तो मैं इस बात की ताईद करता हूं कि यह जो संशोधन पेश किया गया है वह बिल्कुल उचित है, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं लोगों ने पहले से अधिक जमीन दूसरों को उठा रखी है और दूसरों से जुतवा रहे हैं और उन्हीं लोगों को यह कानून बेदखल करने का अधिकार दे रहा है जिसके कारण, जिस उद्देश्य से यह भूमि-व्यवस्था अधिनियम पास किया गया था वह बेकार हो जाता है। पता नहीं बीच में क्या सरकार का विचार हो गया कि इस प्रकार के संशोधन लाये गये जिसके कारण बेदखल करने की व्यवस्था उसमें निहित कर दी गयी। जो जमींदारी का नारा है कि उसको अबालिश करके किसानों और भूमि-हीनों को और जो जमीन जोतते हैं उनको पूर्ण अधिकार दिया जाय, अब उसके विपरीत कार्य हो रहा है। मैं समझता हूं यह उसी प्रकार की नीति है एक हाथ से देना और दूसरे से छीन लेना। तो वास्तव में यदि सरकार चाहती है और उसका मंतव्य भी वही है कि जो जमीन जोते उस पर उसी का अधिकार हो तो ऐसे लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिये जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस मौके पर असंगत है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, कारण यह है कि सवाल यहां सीलिंग फिक्स करने का नहीं है। सीलिंग फिक्स करने में क्या पालिसी हो क्या हाउस तय करे यह दूसरा सवाल है। यहां न बेदखली का सवाल है न और किसी सीलिंग फिक्स करने का। यह तो है जो डिसएबिल्ड परसन्स हैं उनकी जमीन पर किसी को कोई हक सीरदारी उस जमीन पर नहीं होगा। जब डिसएबिलिटी हुई तो जो उसकी जायदाद है और जब यह डिसएबिलिटी में नहीं होता है तब उसकी वह जायदाद होती है उसको उसी जायदाद को डिसएबिलिटी के वक्त कोई कंसेशन देना चाहिये। जब और लोगों के लिये ही कोई कानून नहीं है कि तीस या चालीस या १२ एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं तो फिर डिसएबिल्ड परसन्स के लिये इस तरह से कानून बनाना और खास कर बनारस की एक तहसील के लिए उचित नहीं है। अब जितना एक हल बैल से जोता जा सकता है, माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा था कि यह जरा इंडेफिनिट है कहीं एक हल बैल से ज्यादा जोता जा सकता है और कहीं कम लेकिन खैर वह भी छोड़ दीजिये तो भी सीलिंग की बात इसमें नहीं है। हम डिसएबिल्ड परसंस को एक कंसेशन देना चाहते हैं और चूंकि वह बनारस की एक तहसील से ही ताल्लुक रखता है इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि जब सीलिंग अभी और लोगों के लिये फिक्स नहीं है तब डिसएबिल्ड परसन्स को जो एक ऐडवान्टेज मिले और वह भी बनारस की एक तहसील के लिये उसको रोकना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

***श्री रामसेवक यादव**—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष में सिर्फ वर्मा जी ही बोलें और ट्रेजरी बेंचेज के सभी माननीय सदस्य जो बोलें और एक माननीय मित्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव]

जो विरोधी हैं उन्होंने भी सरकार की हां में हां मिलायी। इस सदन के कुछ सदस्यों ने पता नहीं क्यों परेशानी का अनुभव किया क्योंकि उनको तिलमिलाहट हुई। किसी ने बताया कि कहीं हाथी, कहीं घोड़ा, कहीं बैल ज्यादा जोतेगा। एक साहब ने कह दिया कि एकड़ की तारीफ ढूंढ़ने में इंगलैण्ड और अमेरिका को लाकर रख दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रिमिटिव स्टेज नहीं है। अब वह जमाना नहीं है जब माननीय सदस्य के पुरखे जंगलों में रहा करते थे और नंगे घूमा करते थे। अब जमाना काफी बढ़ चुका है। एकड़ की नाप-जोख सब मौजूद है। अब एकड़ के हिसाब में कोई वेगनेस का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात कहीं बैल ज्यादा जोतते हैं और कहीं कम जोतेंगे उसके लिये यदि माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन को पढ़ने का कष्ट किया होता तो इस तरह की बात सदन में न उठाते। उपाध्यक्ष महोदय, कटाक्ष किया गया कि सदन के बाहर लोग कहेंगे कि लोग कानून नहीं बनाना जानते हैं और कानून बनाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस बुद्धिमानी का परिचय आज सदन में दिया गया है इसको अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। एक हल बैल से जितना जुते उसका तिगुना तो तीस एकड़ से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है यानी तीस एकड़ या उसके तीन गुने से जो एक हल बैल से जोता जा सके इन दोनों में जो कम हो वह रखा जायगा। अगर एक हल बैल से जोते का तिगुना तीस एकड़ से कम होगा तो वह रखा जायगा और अगर तीस एकड़ कम होगा तो वह रखा जायगा, बिल्कुल साफ है कहीं पर कोई वेगनेस नहीं है। जरा अपने दिमागों पर जोर दीजिये। हमारे एक माननीय साथी ने कहा कि वेग है। पता नहीं कि क्या चीज उसमें वेग है। साफ बात है। हर एक आदमी उसको समझ सकता है। हम इस संशोधन के द्वारा सिर्फ यह चाहते हैं कि जिन लोगों को सुविधायें प्राप्त हो नहीं हैं उनके काश्तकार जो शिकमी हैं वे सीरदार न हो सकें तो उनको और सुविधायें महदूद तादाद तक नहीं-उसको महदूद करते हैं कि तीस एकड़ जमीन या जितने एक हल बैल से खेती होती है उसका तिगुना उसमें जो कम हो उसको रेजिस्ट्रक्ट करता है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वेग है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वेग इसलिये है कि इससे कुछ गरीब किसानों को फायदा पहुंचता है। अवधेश प्रताप साहब को तो यह बात खलेगी। ये तो चाहते हैं कि ३० एकड़ नहीं ९० एकड़ हो जाय, डेढ़ सौ एकड़ हो जाय या इसकी कोई लिमिट ही न रखी जाय और इसका कारण हम सब जानते हैं और हम सभी लोगों से ज्यादा माननीय सदस्य जानते हैं।

अनकांस्टीटूशनल होने की बात कही गयी। रोज संशोधन हुआ करते हैं। आज बिक्री कर का अध्यादेश जारी होता है टैक्स लादने के लिये। तो मैं यह मानता हूं कि केवल बनारस के लिये हो क्यों, सारे प्रदेश के लिये हो तो मैं इसका वेलकम करूंगा अगर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से आता है कि सारे प्रदेश के लिये यह कानून लागू होगा। तब प्रदर्शन नहीं होंगे, काले झंडे नहीं दिखाये जायेंगे अगर इस प्रकार का अध्यादेश जारी करते हैं कि वे काश्तकार बेदखल नहीं होंगे जिनके सीरदार ३० एकड़ जमीन से अधिक रखते हैं। ३० एकड़ तक ही वे बेदखल हो सकते हैं। एक आवाज यह आयी कि यह तो आप अधिकार नहीं देना चाहते उनको जो अमाहिज हैं इसमें साफ है कि ३० एकड़ जमीन तक वे बेदखल कर सकेंगे। ३० एकड़ की हद तक जो शिकमी काश्तकारान हैं उनके वे असामी हो रहेंगे। ३० एकड़ गुजर के लिये काफी है। उन लोगों का अगर आप खयाल करें जिनके पास भूमि बिलकुल नहीं है, चार पांच बीघे शिकमी के तौर पर हैं उनसे जमीन अगर बेदखल हो जाती है तो इसका ध्यान नहीं है आपको। एक के पास ५ बीघा न रहे और एक साहब हैं कि ३० एकड़ ही नहीं चाहे किसी हद तक बेदखल करते चले जायें और काश्तकार बने रहें और जो वाकई खेती करता है उसकी जमीन छीनी जा सकेगी।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक बात फर्माई बड़ी मजेदार। पता नहीं कहां की दलील लाये खोज कर के, बड़ी दूर की कौड़ी लाये। उन्होंने कहा कि साहब, बेदखली का सवाल कहां उठता है। हम तो सिर्फ प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे सीरदार बने रहेंगे। जिन्होंने जमींदारी एबालिशन कानून को पढ़ा है वे सब जानते हैं कि धारा २०२ के अन्तर्गत उन लोगों को जो अपनी जमीन के असामी हैं उनको बेदखल करने की व्यवस्था की गयी है। कौन बेदखल होगा जो असामी है और जब हम इस कानून के अन्दर यह जगह दे रहे हैं कि जो असली काश्तकार है सीरदार या भूमिधर अगर वह डिसएबिल है किसी तरह से तो उसके शिकमी असामी होंगे, यह सीधी सी बात है। और कानून में खुली छूट है कि धारा २०२ के अन्तर्गत वे सभी असामी बेदखल हो सकेंगे। तो हमारे उपमंत्री जी ने एक बड़ी बात कह दी कि बेदखली का प्रश्न नहीं है। पता नहीं यह कहां से ले आये। मैं फिर आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह तरमीम बिल्कुल साफ है और यह कानून जिसके लिये मंत्री महोदय कई बार कह चुके हैं कि बड़ा क्रान्तिकारी है और यह हमारा कानून इतना मुकम्मिल है कि आने वाली पीढ़ियों को छूना नहीं पड़ेगा, तो मैं आपके द्वारा नेकनीयती से अपील करूंगा कि इस तरमीम को आप मान लें। सीलिंग का प्रश्न क्या है। जहां आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्दर ही यह व्यवस्था दे रखी है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन कोई खरीद नहीं सकता तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको रोकती है कि यह इसके अन्दर व्यवस्था न दें कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और वह डिसएबिल्ड है तो वह अधिक जमीन का सीरदार नहीं हो सकता, बल्कि शिकमी काश्तकार, सीरदार होगा। तो मैं कहूंगा कि इन दफियानूसी कानून में एक आध बात तो अच्छी हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से अनुरोध करूंगा कि जरा दिमाग पर जोर देकर सोचें और इन तरमीम को कबूल फरमायें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई खास बात यादव जी ने नहीं कही। मैंने एक बात कही थी वह यह कही थी कि यह जो आदमी सीरदार हो सकते हैं कानून के अनुसार अगर डिसएबिलिटी से पहले उनको सीरदार होने का हक था तो वह हो जायंगे, लेकिन अगर डिसएबिलिटी शुरू हो जाय पर फिर डिसक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है और जो लोगों के लिये कानून लागू है वही उनको दिया जायगा। मान लीजिये कोई माइनर है, उसके पिता मर जाते हैं, अगर कोई आदमी उसकी जमीन पर काबिज था और उसको अधिकार मिल सकता है तो मिलेगा। लेकिन मायोनारिटी के जमाने में वह दूसरे को उठा सकता है। यह सीधी सादी बात है। जब यहां सीलिंग नहीं है तो डिसएबिल्ड के लिये सीलिंग मुकर्रर कर देना गलत होगा और वह भी केवल बनारस स्टेट के लिये। मैं समझता हूं कि माननीय यादव जी इसको समझ लेंगे और उनको वापस लेने में कोई हानि नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में उपखंड (२) के भाग (६) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० एकड़ या स्वतः एक हल बैल से जितनी जमीन जोती बोई जा सके उसके तिगुने (दोनों में से जो कम हो) उससे अधिक जमीन रखने वाले उपरोक्त व्यक्ति सीरदार को बेदखल नहीं कर सकते।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन २(घ) को मैं पेश करना नहीं चाहता हूं और यह २ (ङ) संशोधन खंड ७ का है यहां गलत छप गया है। मैं संशोधन २ (च) को पेश करना चाहता हूं।

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

खंड ४ का प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) के भाग (६) के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २० एकड़ तक की खेती से अधिक खेत अक्षम व्यक्तियों द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकेगा।"

श्रीमन्, मैं इसमें जरा संशोधन करना चाहता हूं।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २० एकड़ तक के खेत की पूर्ति के लिये बेदखली हो सकेगी।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन आउट आफ आर्डर हो जाता है, क्योंकि श्री रामनारायण त्रिपाठी का संशोधन ३० एकड़ तक के लिये था उसको हाउस ने मंजूर नहीं किया तो यह संशोधन भी नहीं आ सकता है और यह भी गिर गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह तो २० एकड़ का संशोधन है।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह ५० एकड़ का होता। उससे ज्यादा जमीन सीर की उनके पास है। अधिवासी, असामी या सीरदार के पास से ले ली जाय और तकसीम कर दी जाय तो उतनी बेदखल न की जाय तब तो ठीक था। लेकिन यह तो कमी का सवाल है। जो ज्यादा जमीन है वह बेदखल न की जाय और जब ३० एकड़ वाला संशोधन रिजेक्ट हो जाता है तो यह उसी में शामिल हो जाता है। अगर यह होता कि उससे ज्यादा है तो बेदखल न हो तो इन आर्डर होता लेकिन यह नामंजूर हो गया तो यह कहना कि २० एकड़ से ज्यादा हो तो बेदखल न हो यह मीनिंग लैस बात है।

श्री शिवनाथ काटजू—मैं यह चाहता हूं अपने मित्रों से कि क्या उनके दल ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया है; अभी तक वह लोग ३० एकड़ की दुहाई देते थे, अब वह २० पर आ गये है। इसका स्पष्टीकरण वह कर दें तो अच्छा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरे संशोधन का यह अर्थ नहीं है कि २० एकड़ से कम अगर खेत हो तो वह बेदखल अक्षम किसान करे। श्रीमन्, जो रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन था उसका यह मतलब था कि ३० एकड़ तक खेत रखने के लिये खेत बेदखल करा सकता है। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ३० एकड़ से ज्यादा अगर किसान के पास है, अक्षम आदमी के पास, ऐसे बहुत से परिवार हैं कि कुछ लोगों के नाम से इंदराज है, अक्षम आदमी के नाम से और उस आदमी का दूसरा खेत दूसरे आदमी के नाम से इंदराज है, तो रामनाराण जी का यह मतलब था कि ३० एकड़ तक उसकी पूर्ति के लिये वह बेदखल करा सकता है। श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि उस किसान के पास अगर खेत चाहे जितना हो, लेकिन अगर वह बेदखल कराना चाहता है शिकमी किसान से तो वह २० एकड़ से ज्यादा न होना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन में और मेरे में अन्तर है। यह जो कहा जा रहा है कि ३० एकड़ में २० एकड़ आ जाता है, उसको मैं समझता हूं कि उसके फर्क को राजस्व मंत्री जी समझेंगे। इसको मान कर आप श्रीमन्, जो मेरा संशोधन है उसको प्रस्तावित करने की आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि पहला संशोधन अस्वीकृत हो जाने के बाद उसको आप पेश नहीं कर सकते। यह वैधानिक नहीं रहता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा १३१ के खंड (ग) के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५२ निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम अथवा तत्समय की धारा १३१ प्रवृत्त अन्य किसी विधि के निदेशों के अधीन अथवा अनुसार का संशोधन। किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले।"

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा १३१ के खंड (ग) की पंक्ति ३ में "प्रकार के आगे के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :---

"१५ एकड़ के नीचे के जमीनों पर सीरदारी का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।"

यह इस प्रकार है कि "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के निदेशों के अधीन अथवा अनुसार किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले," अब यह इस प्रकार से हो जायगा इस संशोधन को इसमें जोड़ने के बाद कि "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के निदेशों के अधीन अथवा अनुसार किसी अन्य प्रकार १५ एकड़ से नीचे की जमीनों पर सीरदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन का मंशा यह है कि माननीय मंत्री जी ने तो भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक के अन्दर एक संशोधन लाकर ५९ लाख लोगों को सीरदारी का अधिकार देकर उपकार किया है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत लोगों का अपकार भी हो रहा है। सीरदार का अधिकार यह है कि उसमें जो लोग सीरदार हैं, जो अधिवासी सीरदार हो गये उनके लिये कानून का मंशा सीरदार के अधिकार देने का है किसी कोई बड़े जमीन वाले की जमीन छोटे लोगों के कब्जे में दबी हुई है तो वह उसकी जमीन हो जाय। हमारे इस प्रदेश में अधिकतर बड़े-बड़े लोगों के पास जमीन है उसको छोटे लोग किसी न किसी तरह से बटाई लेकर या हलवाहे के तरीके पर या और-और प्रकार से इन खेतों को लेकर जोतते रहे हैं उनका नाम बराबर चला आता रहा है और वह आज उस जमीन पर सीरदार हो गये है और यह अच्छा हुआ कि वे बेदखल नहीं हुये और वह जमीन के मालिक हो गये, लेकिन इसके साथ-साथ इस जमीन पर प्रतिबन्ध नहीं लगायी गयी कि वे इतनी जमीन पर सीरदार के हक प्राप्त करेंगे। इसमें श्रीमन्, ऐसा देखा गया है कि जिनके पास १० गट्ठा जमीन है या ५ गट्ठा खेत है अगर संयोग से वह बीमार पड़ गया या बाहर चला गया और किसी को एक साल के लिये जोतने के लिये दे गया और उसका नाम शिकमी दर्ज हो गया जिसको क्षेत्रपति ने दिया है तो वह भी आज उसके नाम से जमीन होने के कारण उस पर सीरदारी का हक प्राप्त करेगा। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है और पटवारी की गलती से छोटे क्षेत्रपति के जमीन पर शिकमी के खाने में बड़े काश्तकार का ही नाम दर्ज हो गया तो बड़े-बड़े काश्तकार कानून की दृष्टि से सीरदार हो गये और छोटे काश्तकार जमीन से बेदखल हो गये। इसी प्रकार से ज्यादा से ज्यादा केसेज हैं जो देहातों में पाये जाते हैं। तो हमारे इस संशोधन का आशय

[श्री राम सुभग वर्मा]

यह है कि जो कम जमीन जोतने वाले किसान हैं और उस पर किसी का नाम है तो अगर सीरदार का हक उनको उस पर होता है तो वह नहीं होगा। जिनके पास ज्यादा जमीन है और किसी प्रकार से उनको जोतने नहीं पाते उनके जमीन पर सीरदारी का हक प्राप्त होगा। लेकिन १५ एकड़ से नीचे के काश्तकार जो जमीन को जोतते हैं उनको उस पर सीरदार का हक प्राप्त नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सौभाग्य मुझे आज ही प्राप्त हुआ कि १२ बजे से जब से इस विषय पर वादविवाद चल रहा है दुर्भाग्यवश मुझे संशोधनों का विरोध ही करना पड़ रहा था जिसके लिये मुझे दुख था और उसके लिये बहुत से माननीय दोस्त जैसे वकील साहब मुझसे कुपित भी थे यह सच है कि जो १५ एकड़ से नीचे वाले क्षेत्रपति हैं उनके किसानों को यह हक न दिया जाय तो बहुत से लोग जिनके पास बहुत कम आराजी है और कभी उनको हरवाहे के रूप में जमीन दी गई थी और जिसके बारे में उनको आशा थी कि वह गाढ़े वक्त में उनको मिल सकेगी लेकिन अब कानून को देखते हुये और माननीय मंत्री जी की प्रगति को देखते हुये मैं नहीं समझ सकता कि वे अपने हक को अब छोड़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि दूसरे भाई भी इसका समर्थन करेंगे और माननीय मंत्री जी हमारी नहीं तो अपने पुराने दोस्त की बात मान लेंगे। वह तो आपके ही पुराने मित्र हैं उनकी बात आप क्यों नहीं मानते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि सुबह से माननीय मंत्री महोदय कहते थे कि यह नामुकम्मिल बातों को मुकम्मिल बनाने के लिये जामा पहना रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब कोई मुनासिब बात कही जाय तो उसको उन्हें मानने को तैयार रहना चाहिये।

श्री चरण सिंह----मैं आप को, उनको एक मानता हूं केवल टोपी का फर्क मानता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---सब चीज एक हो जाय तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारे मित्र जो विरोधी दल में हैं, वह जिस वक्त संशोधन रखा करें तो कम से कम उस संशोधन को जरा कानूनी दृष्टि से भी थोड़ा सा देख लिया करें तो मुनासिब होगा और उनके दल में काफी योग्य व्यक्ति हैं उनकी कमी नहीं है, वह अगर थोड़े से वैधानिक दृष्टिकोण से उसे देख लिया करें तो सदन का समय बच जायगा; मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे मित्र राजा साहब ने जो बारीकी निकाली उसका माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया. मैं ज्यादा उस संबंध में नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक इस संशोधन का विषय है यह संशोधन जिस जगह रखा गया है वहां वह बिलकुल असंगत है। खंड ५ की दफा १३१ में यह एक क्लाज बढ़ाई गई है। उसमें किस तरह से सीरदारी कायम हो सकती है उस के बारे में कहा गया है और ३ वजूहात बयान किये गये हैं कि उसके अन्दर सीरदारी का हक मिल सकता है। यहां खंड ५ में एक चौथी वजह भी लगाई गई है कि अगर दूसरी वजह से भी सीरदारी का हक मिले तो उससे भी सीरदार बन सकता है, लेकिन माननीय मित्र ने जो संशोधन पेश किया है उसमें वह चाहते हैं कि १५ एकड़ की इसके लिए लिमिट लगा दी जाय। देखना अब यह है कि जब ३ दफात में ऊपर कोई लिमिट नहीं है और जब सीरदारी का हक १५ एकड़ के ऊपर भी हो सकता है तो यहां ऐसा प्रतिबन्ध लगाना कहां तक उचित होगा वह तो एक तमाशा हो जायगा; अब तो यहां किसानों का सवाल है, जमींदारी खत्म हो गई, राजा साहब चले गये अब तो, यहां सब किसान हैं, गरीब और बड़े आदमी का सवाल नहीं है, किसानों का ही केवल सवाल है चाहे उनमें १९-२० का भले ही कुछ मत भेद हो। इसलिये इस तरह से आंख बन्द करके १५ या २० एकड़ की बात करना असंगत और बेतुका होगा और जब ३ जगह वह १५ एकड़ की सीमा नहीं है तो यहां चौथी जगह कैसे लगाई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे स्मरण है इस प्रकार का संशोधन इस सदन में कभी नहीं आया होगा और विशेषकर उस पक्ष की ओर से । इसमें न तो कानून की दृष्टि से कोई सिद्धांत है और न सिद्धांत की दृष्टि से कोई सिद्धांत है। १५ एकड़ की बात तो क्या सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर कोई एक एकड़ जमीन भी शिकमी को देता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है और देने वाले से जमीन छिन जाती है, मैं समझता हूं कि यह तो सिद्धांत का एक ऊपर का स्तर है लेकिन कहा जाता है कि १५ एकड़ जमीन में पेजेंट प्रोप्राइटर्सशिप की जाय। इस अर्थ का अनर्थ कहां जा कर पड़ेगा। इस पर विचार नहीं किया गया है। क्या बात है कि १५ एकड़ की जमीन में कोई आदमी १५ एकड़ जमीन को जोतने को दे और उसे कोई अधिकार प्राप्त न हो इसके पीछे क्या सिद्धांत है। इसमें तो किसानों के अधिकारों को छीना जाता है। समाजवादी ढांचे के दृष्टिकोण से इसमें उसकी गंध भी नहीं है। पता नहीं, माननीय मित्र ने क्या सोचकर इस संशोधन को यहां पर उपस्थित किया है। इसके अन्दर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो समर्थन के योग्य मानी जाय। १५ एकड़ की जमीन के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति उसे जोते तो उसको सीरदारी का अधिकार प्राप्त न हो इसके जैसा कि पहले कह चुका हूं मूलभूत सिद्धांत क्या है? जब कहा जाता है कि लैंड टिलर आफ दी स्वायल का है, भूमि जोतने वाले की है तो यह संशोधन वेग सा प्रतीत होता है इसमें मूर्छा है, विवेक का नामोनिशान नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता हूं कि अब उस पर विवाद को छोड़ कर शनैः शनैः अपने संशोधन को वापस ले लें, क्योंकि इसमें बुद्धि का दीवालियापन है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन देखकर कि श्री रामसुभग वर्मा जी द्वारा जो सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य होने का दावा करते हैं, उपस्थित किया गया है बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब पहले एक धारा मूल अधिनियम में थी कि ८ एकड़ तक की बेदखली नोटिफाई करके गवर्नमेंट खोल सकती है। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसका खासा विरोध किया गया कि किसी तरह से कोई बेदखली नहीं खुलनी चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने वह ८ एकड़ वाला क्लाज भी निकाल दिया और जो भी जिस जमीन पर काश्त कर रहे थे उनको उस पर अधिवासी का हक मिल गया, बाद में सीरदारी का हक मिल गया। अब माननीय मित्र उस ८ एकड़ को कौन कहे १५ एकड़ तक चाहते हैं कि १५ एकड़ तक वाली जमीन दूसरे को काश्त करने को दें और जब चाहें बेदखल कर दें। फिर उनका क्या होगा जो सब सीरदार बन चुके हैं। उनकी तरमीम का मतलब शायद यह है कि जितने काश्तकार सीरदार बन चुके हैं १५ एकड़ वालों की तरफ से जो सीदार हुये हैं सब बेदखल कर दिये जायं। तो वह सोशलिस्ट पार्टी का वह सिद्धांत जिसको गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि कोई भी बेदखली नहीं होनी चाहिये और सबको सीरदारी का हक दे दिया गया, आज उस सिद्धांत को छोड़कर इस संशोधन के द्वारा वह कहना चाहते हैं कि १५ एकड़ तक के लोग अपनी जमीनों को उठा दें और जिनको वे उठावें उनको सीरदारी का हक न मिले। १५ एकड़ एक आदमी के लिये, एक परिवार की काश्त के लिये जरूरी है। अब उसे काश्त करना चाहिये या दूसरे को उठाना चाहिये जो इनवेलिड हैं उनके लिये तो पहले ही कानून बन चुका है। जो इनवैलिड हैं उनकी जब जमीनें दूसरों को उठेंगी तो वह आसामी होगा लेकिन इस संशोधन के द्वारा वह यह चाहते हैं कि इनवैलिड न हो और १५ एकड़ तक रखता है तो वह जमीन दूसरों को उठाता रहे। तो यह किस सिद्धांत किस उसूल के मुताबिक है।

जब हमने यह कहा कि जो जमीनों की काश्त करेगा वही जमीन मालिक होगा और ८ एकड़ वाले क्लाज को भी निकाल दिया तो १५ एकड़ वाले के साथ आप यह रिआयत चाहते हैं, मानो १५ एकड़ काश्त वह नहीं कर सकता अगर आप यह कहते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वह काश्त नहीं कर सकता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन १५ एकड़ को ही वह दूसरों को उठाता रहे वह कुछ उसूल समझ में नहीं आता। १५ एकड़ उस काश्तकार

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

के लिये काफी है तो दूसरों को नहीं देगा। अगर दूसरों को उठाता है तो खुद काश्त करना नहीं चाहता। तो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैं इसे समझूं या रामसुभग वर्मा का व्यक्तिगत समझूं, इसमें कानूनी जितने नुक्स पैदा होते हैं वह तो माननीय काटजू साहब ने और माननीय रामलखन मिश्र जी ने बता दिये। आखिर वह धारा २० कहां जायगी, और धाराओं के जरिये से जो सीरदारी के हक मिल चुके हैं वह कहां जायेंगे? एक किसी खास तरीके पर जो सीरदारी है उसमें जोड़ दिया जाय कहीं न कहीं चाहे बैठता हो या न बैठता हो। तो यह बिलकुल असंगत, बिलकुल सिद्धांत के प्रतिकूल, बिलकुल एक हास्यास्पद संशोधन है और इसे माननीय सदन अस्वीकार कर दें, मैं यही निवेदन करूंगा।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को जिसे माननीय रामसुभग जी वर्मा ने प्रस्तुत किया है मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी और दूसरे लोगों से सुनने का मौका मिला कि क्या सोशलिस्ट पार्टी अपने सिद्धान्त से विचलित हो गयी है, जो इस प्रकार के संशोधन पेश करने लगी। तो मेरी समझ में यह रामसुभग वर्मा जी का संशोधन है, सोशलिस्ट पार्टी का संशोधन नहीं है क्योंकि जिस प्रकार राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में रखा गया माननीय सीताराम जी शुक्ल का संशोधन उस पार्टी का या उनकी गवर्नमेंट का नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति विशेष की अपनी धारणा हो सकती है और मैं समझता हूं कि उनकी है। यह जरूर है कि सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य होने के नाते उन्होंने यह संशोधन रखा। पता नहीं उनको गलतफहमी हो गयी है। मुझे बिलकुल विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि यह संशोधन पता नहीं उन्होंने क्यों रखा है, मैं समझता हूं कि यह संशोधन उसी प्रकार की धारणा से प्रेरित हो करके उन्होंने रखा है जिस प्रकार माननीय सीताराम जी शुक्ल ने एक संशोधन रखा था कि राजनीतिक पीड़ितों को भी वही सुविधाएं दी जायं, जो कि अपाहिजों और असमर्थ लोगों को दी गई हैं। जब गवर्नमेंट ने यह सिद्धान्त बना लिया कि जो भूमि को जोतेगा, भूमि उसी की होगी तो संशोधन को माननीय मंत्री जी कैसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी पिछले संशोधन प्रस्तुत हुए थे उसमें बताया था कि वह सीलिंग निश्चित नहीं करने जा रहे हैं कि अधिक से अधिक जमीन किसके पास कितनी होगी। जब तक वह इसका निर्णय नहीं कर देते तब तक यह सिद्धान्त स्वीकृत हो ही नहीं सकता। माननीय काटजू जी ने भी इसको बता ही दिया है कि कानूनी दृष्टि से अनियमित है और सिद्धान्त की दृष्टि से भी जहां तक मेरा विचार है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्त के भी प्रतिकूल है और किसानों के सिद्धान्त के बिलकुल ही प्रतिकूल है। पता नहीं कि माननीय वर्मा जी ने किस सिद्धान्त की प्रेरणा से यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य इस संशोधन का समर्थन नहीं करेगा और संशोधन पेशकर्ता स्वयं इसको वापस कर लेंगे, और सरकार तो स्वीकार कर ही नहीं सकती क्योंकि जिस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं यह उसके बिलकुल विपरीत है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्र सोशलिस्ट साथी श्री रामसुभग वर्मा के इस संशोधन पर जो उन्होंने १५ एकड़ तक जमीन उठाने के सम्बन्ध में पेश किया है बहुत ही आश्चर्य हुआ। समझ में नहीं आया क्या सोचकर अपने सिद्धान्त या अपनी पार्टी के सिद्धान्त पर इस तरह का संशोधन उन्होंने सदन के सामने लाने की हिम्मत की। हो सकता है जल्दबाजी में बिना समझे-बूझे अथवा केवल संशोधन लाने की भावना से ही उन्होंने इस हाउस में इस तरह का संशोधन लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन न केवल अव्यवहारिक, सारहीन ही नहीं बल्कि एक जमींदारी प्रथा कायम करने वाला है। अभी बड़ी जमींदारियां और

ताल्लुकेदारियां गयीं और बड़े काश्तकार भी जा रहे हैं। लेकिन १५ एकड़ जमीन कोई कम जमीन नहीं होती। इस तरह का अगर संशोधन पास होता है तो एक तरह से जमींदारियों को फिर पुनरावृत्ति होगी, जो प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने अपना एक दावा जनता के सामने पेश किया है, मैं समझता हूं कि इस तरह के दावे इनके अक्सर सारहीन साबित होते रहते हैं, उसी तरह से यह भी दावा सारहीन है। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हाउस के सभी माननीय सदस्य इसको अव्यावहारिक और सारहीन समझते हैं और इतना ही नहीं उसे जमींदारी प्रथा कायम करने का एक काला कानून समझते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और अपने साथी से यह अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुभग वर्मा जी के संशोधन को यह हाउस स्वीकार नहीं करेगा, गवर्नमेंट तो इसको किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिये नहीं कि यह किसी खास विशेष पार्टी की तरफ से यहां आया है बल्कि यह कि इस सरकार की जो नीति है उसके यह खिलाफ पड़ता है। हमने जो जमींदारी एबोलीशन का कानून पास किया तो अगर रामसुभग वर्मा जी का संशोधन मान लिया जाय तो ८०-९० प्रतिशत जमींदारी, एबोलीशन तो आप खत्म कर देंगे और उनके देवरिया जिले में तो ९५ फीसदी तक। क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है वहां छोटे-छोटे जमींदार बहुत काफी हैं। होल्डिंग वहां इतनी छोटी-छोटी है कि १५ एकड़ का जमींदार काफी बड़ा जमींदार ही वहां माना जायगा। जहां एक एक बीघे की होल्डिंग हैं वहां पर १५ एकड़ से नीचे के जो हों उनको कोई हक न मिले तो इसके माने यह हैं कि राम सुभग वर्मा जी यह प्रस्ताव रखते हैं कि जमींदारी एबोलीशन जो आपने की है वह कम से कम देवरिया में वापस ले लें। यह सरकार इस मामले को, रामसुभग वर्मा को या और किसी को खुश करने के लिये या उनकी पार्टी की तरफ से कोई संशोधन आया है और वह रीएक्शनरी है तो उसको जाहिर करने के लिये अपनी नीति छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो नीति अपनायी है वह किसानों के फायदे के लिये अपनायी है। माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि उसी तरह का संशोधन है जिस तरह का सीताराम शुक्ल जी ने किया था। उनके संशोधन में तो जनता में एक बहुत थोड़े हिस्से पर असर पड़ता, आखिर पोलिटिकल सफरर्स इस सूबे में थोड़ी सी तादाद में होंगे और फिर उसमें सेंस है कि वह पोलिटिकल सफरर्स को देना चाहते हैं। लेकिन यह कांग्रेस सरकार की ही नीति है कि वह उनको भी कोई कन्सेशन नहीं देना चाहती, जहां छोटे काश्तकारों का ताल्लुक है। इसलिये उस ऊंची नीति के कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने जो संशोधन रखा था वह रीऐक्शनरी है। अगर मेरे मित्र चीन का कानून पढ़ें तो मालूम होगा कि उन्होंने अपने कम्यूनिस्टों को और जो पोलिटिकल सफरर्स हैं उनको अपनी जमीन दूसरों को जोतने के लिये उठाने का अधिकार दिया है। अपने को सोशलिस्ट कहने वाले भी जो भाई हैं उनके मुकाबले में यह गवर्नमेंट ज्यादा प्रगतिशील है और उसने वह सिद्धान्त रखा है जिसके अनुसार सीताराम शुक्ल का जो संशोधन था उसको भी अस्वीकार कर दिया। तो अब कुछ ज्यादा कहने की बात नहीं है हाउस इसे मंजूर नहीं करेगा। मेरे खयाल में उन्होंने कुछ गलतफहमी से कहा और उन्होंने इसके कोई बारीक का नक्शा अपने विभाग में नहीं बैठाया। आखिर जिसके पास १५ एकड़ जमीन होगी और दूसरे से जुतायेगा तो वह या तो वकील होगा या दूसरे रोजगार करता होगा, और फिर राजा साहब ने एक चीज निकाल दी थी कि किसी हलवाहे को दे दे। तो भूमिहीन के साथ तो ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत है कि क्यों न उसे जमीन मिले और ऐसे लोगों का जहां नाम लिखा है और जिन्हें जमीन मिली है उनको हक मिलना चाहिये। तो मेरा हाउस से यह निवेदन है कि इस संशोधन को पास न करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि साथी रामसुभग वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है वह अनजान में हो गया है और वह उसे वापस भी ले लेंगे। लेकिन श्रीमन्, उधर से बहुत छींटाकशी की गई हमारी पार्टी के ऊपर और श्रीमन्, उन लोगों की ओर से की गई जिन्होंने एक बार दो बार नहीं बीसों बार गलतियां की हैं, उसको श्रीमन्, मैं गिनाने लगूं और गिनाना चाहिए। जब से यह सरकार कायम है और आज तक की, किस-किस प्रकार के प्रतिक्रियावादी कानून बने हैं, तो माननीय राजस्व मंत्री जी को परेशानी महसूस होगी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट की बात मैं नहीं करना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के हक में किस तरह के कानून बनाये। लेकिन जब से राजस्व मंत्री जी के हाथ में विभाग आया है श्रीमन्, तभी से मैं यह गिनाने लगूं और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को सुनाने लगूं तो राजस्व मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं। श्रीमन्, जब उस ओर से कहा जाता है, और जब कि माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य, श्री चतुर्भुज शर्मा जी की जगह पर थे, हमारी पार्टी की तरफ से श्रीमन्, एक बार नहीं बीसों बार कहा गया था कि शिकमी काश्तकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये जायं, शिकमी किसान जो खेतों को जोतते हैं उसका सही इन्दराज कराने का कानून बनायें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी से कि क्या उन्होंने स्वीकार किया पहले इस बात को। नहीं, आन्दोलन के पहले स्वीकार नहीं किया। जब उधर से छींटाकशी की गई किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी विशेष के ऊपर और उसके ऊपर प्रतिक्रियावादी होने का दोषारोपण किया गया तो उसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि इस सरकार की जो प्रतिक्रियावादी नीति है वह नीति कोई नयी नहीं है। कहा जाता है कि...

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पार्टी की सफाई और इस गवर्नमेंट ने क्या-क्या गलतियां कीं, या उन्होंने गलतियां कीं इनसे इस संशोधन से क्या वास्ता है। संशोधन की अगर मुआफिकत करना हो तो मुआफिकत करें और अगर विरोध करना हो तो विरोध करें। यह सारी गिनती करना कि क्या कौन था और क्या हुआ, तो इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य के एतराज को ठीक समझता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, जो उधर से कहा गया है सिर्फ उसका उत्तर मैं दे रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्रीमन्, उस कानून को मनवाने के लिए इस प्रदेश में क्या-क्या नहीं हुआ। सत्याग्रह हुए, जेलखाने लोग गए। राजस्व मंत्री जी ने और द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने श्रीमन्, कहा कि गलत इन्दराज नहीं है, और गलत इन्दराज था श्रीमन्, और आज भी है, और उसको दुरुस्त करने का आयोजन सरकार की ओर से क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को या तो समर्थन करना चाहिये या उसका विरोध करना चाहिए। बाकी बातों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---हमने श्रीमन्, निवेदन कर दिया कि वह इसको वापस ले लेंगे। लेकिन श्रीमन्, जो छींटाकशी हमारे ऊपर की गई उसके बाद उसका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। यदि आप यह आदेश देते हैं कि उत्तर दिया जाना चाहिए तो इतनी इजाजत हमको मिलनी चाहिए कि हम उसका उत्तर दें। नहीं तो नहीं चाहिए था माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य को और काटजू साहब को कि वह इस प्रकार की बातें, छींटाकशी की न करते। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की छींटाकशी की

तो हमें उसका उत्तर देने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इस आन्दोलन को इसी सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा था कि कि छोटी और बड़ी जाति का झगड़ा है।

श्री चरणसिंह---मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के न बैठने पर)

मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैंने कहा था कि प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं तो माननीय सदस्य का फर्ज हो जाता है कि वह फौरन तशरीफ रखें। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आपने रूलिंग दे दी कि इरेलिवेंट बात न कहें, लेकिन वह फिर भी इसरार करते जा रहे हैं। तो उसका इलाज जो होगा वह तो आपके ही हाथ में है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। जब कोई सदस्य इस सदन में प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाता है तो क्या जो सदस्य बोल रहा हो वह अध्यक्ष के बिना कहे ही बैठ जायगा या कहने पर?

श्री उपाध्यक्ष---जब अध्यक्ष बुलाता है तो बैठ जाना चाहिये। मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार की लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। या तो इसके विरोध में कहें या पक्ष में।

श्री रामसुन्दर पांडेय---चीन सरकार को मैं प्रतिक्रियावादी मानता हूं और यह मानता हूं कि वह सच्ची समाजवादी लोकतन्त्र स्थापित करने वाली सरकार नहीं है, लेकिन शर्मा जी उसको समाजवादी और लोकतंत्रीय मानते हैं, वर्ना उनको सीताराम शुक्ल जी के संशोधन का समर्थन करना चाहिये था, लेकिन उसका उन्होंने विरोध किया। अब खुद शर्मा जी उत्तर दें कि वह चीन सरकार का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा श्रीमन्, कि रामसुभग वर्मा जी के संशोधन पेश करने में पार्टी की कोई बात नहीं है। अभी धारा २३२ के ऊपर १३५९ पर भूमिधरी के खिलाफ जो रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला किया है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि रामसुभग वर्मा अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे और इस प्रकार के संशोधन के आ जाने पर सरकार की ओर से किसी पार्टी के प्रति, पार्टी की नियत पर छींटाकशी नहीं होनी चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव पर घोर-घोर विरोध हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---बड़े जोरों से समर्थन भी हुआ है।

श्री रामसुभग वर्मा---लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के सामने बतलाऊं कि यह पार्टी के आदेश से संशोधन मैंने नहीं रखा। माननीय मंत्री जी ने जो कानून पहले सीरदारी का बनाया, मैं अपने हृदय की बात बतला रहा हूं कि उससे जिनके पास १० बट्टे खेत हैं वह खेत भी बड़े-बड़े लोगों के नाम लिख गये हैं। अब इस कानून से हजारों की तादाद में वह मुकदमें आज खत्म हो रहे हैं और वह उस खेत से बेदखल हो रहे हैं। मेरा मंशा यह था और अगर यह कानून के विपरीत पड़ता हो तो मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं मंत्री जी कुछ कहेंगे?

श्री चरणसिंह---जी, मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि माननीय रामसुभग जी वर्मा ने यह संशोधन अनजाने में नहीं रख दिया। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती है, अगर देती है तो मुझे वह करेक्ट कर देंगे। वह एक प्रस्ताव लाये थे कि ३.१२५ एकड़ या ५ बीघे पुख्ता जमीन जिन लोगों के पास हो उनको आगे अपनी जमीन सबलेट करने का अख्तियार दिया जाय। यह एक दफा रेजोल्यूशन लाये थे और मैंने उनको अपने कमरे में समझाया था कि यह तुम्हारी पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध पड़ता है। तो आज वह संशोधन लाये हैं कि १५ एकड़ जमीन जिनके पास रही हो उनके काश्तकारों को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिये। तो पहले जो रेजोल्यूशन लाये थे, ठीक उसी लाइन में अपने पुराने खयाल के मुताबिक वह और बढ़ाकर लाये हैं कि ३ एकड़ नहीं ५ एकड़ से आगे के लिये। तो तीन एकड़ वालों को अधिकार हो और १५ एकड़ तक के जो मालिक थे, चाहे जमींदार या काश्तकार असली, उनके काश्तकार और शिकमियों को कोई अधिकार नहीं हो यानी सीरदार नहीं बनना चाहिये। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह गलती से तो हुआ नहीं है। यह तो जान बूझकर डेलीबरेटली अपनी मनोवृत्ति के अनुसार संशोधन रखा है। और जिस वक्त माननीय चतुर्भुज जी शर्मा बोल चुके और माननीय रामसुन्दर जी पांडेय खड़े हुये तभी मैंने अपने सहयोगी से कहा था कि आपने यह क्या कह दिया कि किसी गलती के कारण माननीय रामसुभग जी वर्मा ने इस संशोधन को पेश कर दिया है। आपने राज बता दिया है और वही रामसुन्दर जी ने भी कह दिया कि उन्होंने अनजाने में रख दिया है। लेकिन अनजाने में तो यह नहीं किया गया है। इसलिये मैं यह मशविरा देने के लिये तैयार नहीं हूं कि इनका यह संशोधन वापस ले लिया जाय। इसे वापस नहीं होना चाहिये और इसका सदन को मौका मिलना चाहिये कि वह यह तय करे कि सदन को यह स्वीकार है या नहीं, ताकि आगे को डींगें बघारने का मौका न मिले--न हाउस में और न इसके बाहर।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा १३१ के खंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "प्रकार" के आगे के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं---

"१५ एकड़ से नीचे की जमीनों पर सीरदारी का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय---

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६---मूल अधिनियम की धारा १३२ के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३२ का संशोधन।

"(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें ढौंगिया रीति से वन या सामुदायिक फलोद्यान लगाने या म्युनिसिपल सलेज फार्म या गड्ढों में मैला या कूड़ा-करकट जमा करने की भूमि (trending ground) जो इस रूप में किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के स्वामित्व में हो, बनाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है।"

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १३२ का खंड (ग) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, १३२ खंड के स्थान पर जो संशोधन किया जा रहा है वह इस प्रकार है:—

"ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन या सामुदायिक फलोद्यान लगाने या म्युनिसिपल सलेज फार्म या गड्ढों में मैला या कूड़ा-करकट जमा करने की भूमि जो इस रूप में किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के स्वामित्व में हो, बनाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है"

अब मैं मूल अधिनियम का १३२ (ग) आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं :—

"ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने यह गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह इसलिये कर दी गई है।"

श्रीमन्, इस मूल अधिनियम का इस संशोधन से केवल फर्क यह है कि मूल अधिनियम में केवल यह कहा गया है कि टौंगिया रीति से वन लगाये जायं तो ऐसी स्कीम में किसी को सीरदार का हक प्राप्त नहीं होगा। अब जो संशोधन सरकार की तरफ से लाया गया है उस संशोधन में टौंगिया रीति से वन लगाने के अलावा सामुदायिक फलोद्यान लगाने या म्युनिसिपल सलेज फार्म या गड्ढों में मैला या कूड़ा-करकट जमा करने की भूमि जो इस रूप में किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के स्वामित्व में हो बनाने का विचार है या वह इसलिये वह अलग कर दी गई है। इस मूल अधिनियम में से यह सामुदायिक उद्यान लगाने या जो और अधिकार लोगों को दिये जा रहे हैं उसका मैं विरोध करने के लिये और सरकार के इस संशोधन को निकाल देने का प्रस्ताव रखता हूं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो मूल अधिनियम है जिसमें केवल टौंगिया रीति से वन लगाने का अधिकार दिया गया है ऐसे खेतों पर शिकमी किसान कोई होगा तो उसको सीरदार का हक नहीं प्राप्त होगा, केवल उसी को मैं चाहता हूं कि वह वर्तमान रहे और यह जो संशोधन है इसको निकाल देना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा खासकर उन लोगों से पूछना चाहूंगा और राजस्व मंत्री से भी जानना चाहूंगा कि यह संशोधन जो सामुदायिक तरीके से फलोद्यान लगाने का अधिकार दे रहा है यह क्या है? क्या यह समाजवादी ढांचा है? क्या जो नई घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई है? क्या यह यही समाजवादी सहकारी स्वराज्य है? क्या उसकी यही सूरत है? सामुदायिक उद्यान कौन लोग लगायेंगे? मैं यह कहना चाहूंगा कि सामुदायिक सहकारी समितियों को बनाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। पांच छः एकत्रित हो जायेंगे और एक सामुदायिक सहकारी कमेटी बना लेंगे और सहकारी कमेटी बना करके वे चाहेंगे तो सीरदारी किसानों को जिनको सीरदारी हक मिला हुआ है उनको बेदखल कर सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि फलोद्यान किसकी ओर से लगाये जाते हैं? शिकमी किसान की ओर से नहीं लगाये जाते हैं जो औसतन आधा एकड़ खेत जोतता है। फलोद्यान लगाये जाते हैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ऐसे व्यक्तियों द्वारा और माननीय राजस्व मंत्री जी के शब्दों में माननीय रामसुभग वर्मा जी ऐसे आदमियों द्वारा। माननीय राजस्व मंत्री जी संशोधन को बिलकुल सही मानते हैं और उनकी नियत की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसकी नियत का परिचायक है? माननीय मंत्री जी की तरमीम के अनुसार चार, छः आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर फलोद्यान लगाने के लिये बेदखल कर सकते हैं। जो संशोधन हमने रखा है इसको मान लेने से जो मूल अधिनियम है वही रह जाता है और मैं समझता हूं कि मूल अधिनियम ही कुछ माने में अच्छा हो सकता है क्योंकि मैदानी इलाकों में खास करके छोटे-छोटे किसानों की बेदखली को रोकने में समर्थ हो सकेगा और यह जो मंत्री जी का संशोधन है यह लोगों को तबाह करने, उनको भूमिहीन बनाने और भ्रष्टाचार फैलाने का एक तरीका सरकार पैदा करने जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि शर्मा जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र ने इस संशोधन को भली प्रकार से पढ़ने का कष्ट नहीं किया। जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने रखा है उसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि कोई कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा फलोद्यान लगाये जायेंगे या कोई और काम किया जायेगा। इसमें साफ तौर से दो-चार ही बातें हैं और मैं समझता हूं कि उनको भली प्रकार से हमें समझ लेना चाहिये। एक तो यह है कि सामुदायिक फलोद्यान लगाया जायगा। सामुदायिक फलोद्यान का अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि कोई विशेष कोआपरेटिव सोसाइटी या दो चार आदमियों का समूह इस काम को करेगा। सामुदायिक फलोद्यान या तो कोई गांव समाज लगायेगी या कोई म्युनिसिपैलिटी लगायेगी या और कोई इसी प्रकार की लोकल बाडी ही लगा सकती है। आगे चल कर इसमें साफ तौर से दिया गया है कि "म्युनिसिपल सलेज फार्म या गड्ढों में मैला या कूड़ा-करकट जमा करने की भूमि जो इस रूप में किसी स्थानीय प्राधिकारिकी के स्वामित्व में हो, बनाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है।" अब देखने की बात यह है कि स्थानीय प्राधिकारिकी का जो अर्थ है वह सिर्फ लोकल बाडीज को हो सकता है, दूसरे का नहीं। जितनी बातें इसके अन्दर गिनाई गयी हैं उनका किसी व्यक्ति विशेष या किसी ऐसी सोसाइटी जो दो-चार आदमी मिलकर बना लें उससे तात्पर्य बिलकुल नहीं है। इसका तात्पर्य तो लोकल बाडीज से ही हो सकता है चाहे उसमें गांव समाज शामिल किया जाय चाहे म्युनिसिपैलिटीज हों या कोई और ऐसी जमातें जैसे टाउन एरिया वगैरह शामिल किये जायं। अगर आप उनको यह अधिकार नहीं देते कि वे अपने यहां कूड़ा-करकट की जगह समय-समय पर किसी को उठा दिया करें और फिर अपने काम में दोबारा लाया करें तो मैं समझता हूं यह लोकल बाडीज के साथ में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि आमतौर से यह देखने में आता है कि लोकल बाडीज को समय-समय पर भूमि अपने लिये एक्वायर करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस क्लाज को निकाल देते हैं और लोकल बाडीज को भूमि के ऊपर काश्तकारों को अधिकार का मौका देते हैं तो लोकल बाडीज को अधिकार देना होगा कि वह समय-समय पर काश्तकार की भूमि को लेकर ट्रेंचेज बनाये और कूड़े करकट की व्यवस्था करे। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बड़ा आवश्यक था और इसके बगैर हमारी लोकल बाडीज को बड़ी परेशानी और दिक्कत होती थी। तो यह संशोधन अपने स्थान पर बड़ा उपयोगी है और जो श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा है कि इसको निकाल दिया जाय वह भ्रमात्मक है क्योंकि गलती से इसका अर्थ कोआपरेटिव सोसाइटीज से समझे थे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन में किसी प्रकार से कोआपरेटिव सोसाइटी का कोई अर्थ नहीं है। इसलिये जो राम सुन्दर जी ने इसको निकाल देने का संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से संशोधन को पढ़ा है और संशोधन में जो तर्क पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है उनको भी मैं बड़े गौर से सुनता रहा हूं। इसमें मेरा विचार यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके पूर्व जो पहले वाला खंड (ग) था उसमें यह ज्यादा "इम्पूव्ड" है और इसमें ज्यादा अधिकार दिये गये हैं और हर प्रकार से यह सुन्दर है और हमें इसको तो स्वीकार करना चाहिये। परन्तु मालूम यह होता है कि श्री रामसुन्दर जी को भ्रम हो गया है जिसकी बुनियाद पर वह कहते हैं कि इसको भी निकाल दिया जाय बजाय इसके कि वह इसको स्वीकार करते, बजाय इसके कि वह इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देते। मैं कहता हूं कि उनकी पार्टी का जो विचार है और समाजवादी ढांचे को बनाने का उनका निश्चय है और हम लोग भी उनके साथ हो गये हैं तो हमें तो इसमें इसका ज्यादा रूप दिखायी देता है। जो खंड (ग) पहले वाला है उसमें और इसमें यह फर्क हो गया है जिसकी तरफ माननीय बलवन्त सिंह जी ने इशारा भी किया है। आप देखें कि म्युनिसिपैलिटीज तथा अन्य स्वशासन संस्थायें हैं उनको बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बाग लगाने के लिये जमीन नहीं होती है। इसके लिये इसमें साफ कर दिया गया है कि उसको अधिकार होगा। सामुदायिक फलोद्यान लगाने का अर्थ माननीय राम सुन्दर जी ने समझा कि कोई कोआपरेटिव सोसाइटी

नियुक्त की जायगी जो फलोद्यान लगायगी और लोगों की जमीन छीन लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक मैंने इसे समझा है वह यह है कि सरकार एक तरह से व्यवस्था कर रही है कि सामुदायिक रूप से फलोद्यान लगाये जायं।

म्युनिसिपैलिटीज के स्लेज फार्म होते हैं और कूड़ा करकट डालने के लिये भूमि नहीं होती है उसको निर्धारित कर दिया जाय, अर्थात् डिमार्केट कर दिया जाय यह सरकार की मंशा है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां पड़ती हैं। हर माननीय सदस्य जानते होंगे जिनका सम्बन्ध म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा टाउन एरियाज से है कि इसमें कितनी कठिनाई होती है, म्युनिसिपैलिटीज और स्थानीय निकायों को बाग वगैरा लगाने में। हमने इस सिद्धांत को मान लिया है और हम इसका प्रचार करते हैं और जितनी पार्टीज हैं तथा जितने प्रतिनिधि हैं सभी इसको स्वीकार कर चुके हैं कि बाग जहां तक हो सके अधिक से अधिक लगाये जायं।

ऐसी दशा में मैं सदन का समय इस विषय पर अधिक नहीं लेना चाहता हूं। मैं माननीय पांडेय जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को तथा पहले के खंड (ग) दोनों को पढ़ें। ऐक्ट में जो दिया हुआ है उसको देखें और संशोधन को पढ़ें तो मालूम होगा कि यह प्रस्तुत संशोधन ज्यादा इम्प्रूव्ड है, प्रगतिशील है और मैं समझता हूं कि पांडेय जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और जैसा कि संशोधन सरकार ने रखा है उसको उसी रूप में रहने देंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय पांडेय जी ने रखा है, स्वीकार नहीं हो सकता। शायद उन्होंने, जैसा माननीय सदस्यों ने बतलाया, कि उसका सही सही अर्थ नहीं लगाया होगा। यह किसी जिमींदार को, यह किसी सोसायटी को हक देने की बात नहीं है, बल्कि लोकल बाडीज जो कि जनता की चुनी हुयी पंचायतें होंगी, वह चाहे ग्राम समाज हो, म्युनिसिपैलिटी हो या टाउन एरिया की कोई संस्था हों, उनको अधिकार होगा कि निजी आर्चर्ड लगायें और यह पांडेय जी और माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि अपने प्रदेश में बागों की बहुत कमी है। व्यक्तिगत लोग जो बाग लगा रहे हैं वह अच्छी बात है लेकिन इससे जो बगीचे लगेंगे उनसे गरीबों का ज्यादा फायदा होगा। उनसे उनको ज्यादा फल वगैरा मिल सकते हैं और उससे सारे समाज का फायदा होगा। यही समझ कर यह चीज रखी गयी और इसमें कहीं भी किसी को ज्यादा देने की बात नहीं है। सामुदायिक बगीचे जो लगेंगे उनसे गरीबों को ज्यादा लाभ होगा बनिस्बत अमीरों के। और फिर अपने यहां आर्चर्ड्स कम हैं जिसके कारण वर्षा कम होती है, इरोजन होता है और दूसरी तकलीफें हैं। और यह जो अधिकार दिया गया है वह चुनी हुयी संस्थाओं को ही दिया गया है जो सारी पब्लिक द्वारा चुनी जाती हैं, किसी एक वर्ग विशेष को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो उन के लिये यह एक सुविधा और बढ़ाई गयी है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बात को समझ कर माननीय पांडेय जी अपना संशोधन वापस कर लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम की पूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पांडेय जी की तरफ से रखा गया है, मेरा ख्याल है उसको देख कर कि पांडेय जी को शायद कुछ भ्रम हो गया। वैसे टौंगिया रीति से जहां वन लगाये जाने की व्यवस्था थी, उस वक्त भी विरोध कई लोगों ने किया था कि यह रीति अच्छी नहीं है और यह लोगों के अधिकारों के और भूमि व्यवस्था कानून की जो वास्तविक मंशा है उसके विपरीत है। लेकिन चूंकि जब वह संशोधन स्वीकार हो चुका तो उसी प्रकार से यह सामुदायिक फलोद्यान लगाने की जो योजना है कि जिस भूमि पर बगीचा लगाया जाय वहां पर किसी को सीरदारी का अधिकार प्राप्त न हो। संभवतः इस कानून का यही मंशा है। अगर यह मंशा है तब तो सही है और अगर वह मंशा है जैसा कि पांडेय जी ने कहा कि कुछ लोग मिल कर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और उस भूमि

[श्री जोराबर वर्मा]

पर वे वन लगा लें, बगीचा लगा लें तो सचमुच में यह एक अवचनीय बात हो जाती है । लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी मंशा यही है कि जो बगीचा लगायें उनको अधिकार न हो जाय सीरदारी का उस जमीन पर, कि जो परती पड़ी है, या जो किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम समाज को दान में दी गयी है या किसी समय विशेष के लिये फलोद्यान लगाने के लिये दी गयी है । तो इस हिसाब से यह संशोधन जो सरकार की ओर से रखा गया है, बहुत ही सुन्दर है । इसी प्रकार की आगे भी बात है कि म्युनिसिपैलिटी को भी अधिकार होना चाहिये कि जहां कूड़ा कर्कट डालने की व्यवस्था हो वह उस भूमि को उठा सके क्योंकि जिस भूमि पर कूड़ा-कर्कट डाला जाता है वह बहुत खराब जमीन होने पर भी कुछ समय तक कूड़ा-कर्कट डाले जाने से उपजाऊ हो जाती है । इसी प्रकार से वह ऐसे लोगों को उठा दे जो कुछ समय तक खेती करें और उन लोगों को उस पर अधिकार न हो । इसी प्रकार से लोकल अथारिटीज को भी यह लगा होगा कि उनको दूसरे स्थान या वे स्थान जो सुरक्षित हैं या सुरक्षित रहेंगे उन पर कूड़ा-कर्कट डालने के लिये स्थान सुरक्षित रखने में सुविधा होगी । अगर उन लोगों को अधिकार प्राप्त हो जाता है जो वहां पर किसी प्रकार से खेती करते हैं तो यह झंझट हो जायगा और किसी समय म्युनिसिपैलिटी के पास जमीन ही नहीं रह जायगी जहां पर वह इस प्रकार की व्यवस्था कर सके । इसलिये मैं समझता हूं कि जो इसके पहले धारा थी उसमें कुछ और योजना सम्मिलित कर दी गयी है जो पहले से बहुत सुन्दर है और मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, जो संशोधन मूल अधिनियम पर सरकार की ओर से रखा गया है और हमने जो धारा को निकालने के लिये संशोधन रखा है मैं यह नहीं समझता हूं कि हमारा जो संशोधन है वह अच्छा नहीं है । मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संशोधन पर कई माननीय सदस्यों के भाषण हुये और लोगों ने भी कबूल किया कि इस संशोधन को मान लेने से ज्यादा इस कानून में बड़प्पन नहीं रहेगा । मैं इसको जरूर कबूल करता हूं कि ज्यादातर बेदखली को रोकने के लिये बड़प्पन के लायक यह कानून नहीं रहेगा । माननीय मिश्र जी ने कहा कि मुझको इसका स्वागत करना चाहिये तो श्रीमन्, मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता हूं । वही लोग उस विचाराधारा का स्वागत कर सकते हैं । उन लोगों को म्युनिसिपैलिटी का अनुभव भी है लेकिन मुझे अनुभव नहीं है और न मैंने उसका इन्तजाम किया है । मैंने तो म्युनिसिपैलिटी को देखा है । म्युनिसिपैलिटी का जो कूड़ा-कर्कट छोड़ा जाता है उसके लिये खेत में गड्ढा बनाया जाता है और उसमें कूड़ा-कर्कट छोड़ा जाता है और उसकी खाद बनायी जाती है । आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी में भी खाद बनायी जाती है और बेची जाती है । वह गड्ढा वैसे ही पड़ा रहता है । फिर नया गड्ढा हर साल बनाया नहीं जाता है । कूड़ा-कर्कट उसमें डाला जाता है और पहला गड्ढा दूसरे को दे दिया जाय और फिर उसको बेदखल किया जाय यह मैं अच्छा नहीं समझता हूं । पंडित ब्रजबिहारी जी इसको अच्छा समझते हैं मुझे श्रीमन्, भ्रम नहीं है और मैं इस संशोधित धारा को अच्छा नहीं कर सकता हूं । इसलिये कि लोगों को बेदखल करने का हक प्राप्त न हो मेरा ख्याल है कि जो यह संशोधन विधेयक है उसके मूल अधिनियम को लोगों ने जिन्होंने मेरे संशोधन पर विचार प्रकट किये हैं विचारपूर्वक नहीं पढ़ा है । इसमें साफ है कि उस भूमि में सीरदार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । लेकिन उसकी मुखालफत की जाती है । मूल अधिनियम के 'ग' में इसको स्पष्ट कर दिया गया है । उसमें सामुदायिक फलोद्यान लगाने और गड्ढे के लिये सीरदार को हक प्राप्त नहीं होगा । इसलिये मैं यह समझता हूं कि या तो मैंने इसको नहीं पढ़ा है या जिन लोगों ने भाषण दिया है उन्होंने इसको नहीं पढ़ा है । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो धारा 'ग' पर रखा गया है वह ठीक नहीं है । इससे मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया बेदखल करके फलोद्यान लगाना शुरू कर देगी ।

कोआपरेटिव सोसाइटी की बात कही गयी । मैं कबूल करता हूं कि कोआपरेटिव का नाम नहीं है सामुदायिक फलोद्यान का नाम है । सामुदायिक किसको कहते हैं इसका तो शर्मा जी जवाब देंगे । सामुदायिक के मानी सहकारी होते हैं या नहीं संशोधन । विधेयक से लोगों को सीरदारी का हक कम प्राप्त होगा । मैं नहीं समझता कि मैं गलती पर हूं वे लोग गलती पर हैं । लेकिन मैं फिर से आग्रह करूंगा कि मेरे संशोधन को यह सदन स्वीकार करे ।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार जंगलात में कायदा है कि छोटे-छोटे पौधों की परवरिश के लिये जमीन काश्त के लिये दे दी जाती है यद्यपि किसी को कोई अधिकार उस पर नहीं होता है क्योंकि वह जमीन पेड़ लगाने के लिये है मूलतः न कि खेती के लिये, लेकिन कायदा है कि जब तक पेड़ ३-४ साल तक बड़े न हों वह उस पर केवल खेती कर सकता है । ऐसा सब जगह है । हमारे यहां भी सेक्शन ३० यू० पी० टैनेन्सी ऐक्ट में है, जहां तक मुझे याद है । उसी तरीके से गांव पंचायतों के यहां जो अपने बे बागीचे लगा रही हैं प्लानिंग विभाग की कोशिश से, कोई भला आदमी पंचायत का प्रधान हो गया और पंचायत अपने बागीचे लगा रही है, तो जिस प्रकार जंगलात की हिफाजत की आवश्यकता है शुरू में, उसी तरह से बागीचों में भी हिफाजत की जरूरत है । ३-४ साल में जाकर पौधा बड़ा होता है । इस बीच में खेती हो सकती है । उसकी हिफाजत के लिये किसी आदमी की जरूरत है । अगर गांव की पंचायत पौधा लगा कर किसी आदमी को यह कह देती है कि तुम ४ साल तक इसकी हिफाजत करो और साथ में खेती भी कर सकते हो और जो पैदा करो वह तुम्हारा होगा यह जैसा भी उनका तय हो जाय हिफाजत के लिये पौधों की, हिफाजत करने के दौरान में अगर वह आदमी खाली जमीन पर खेती भी करले तो कोई अधिकार सीरदार का प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वहां बागीचा लगाया गया है । अगर सीरदारी का अधिकार उस काश्त करने वाले को हो गया तो वह जमीन पंचायत के हाथ से निकल जायगी । इसी तरह से टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के सलेज फार्म्स हैं या ट्रेन्च ग्राउन्ड्स होते हैं जहां वे मैला जमा करते हैं । मान लिया किसी म्युनिसिपैलिटी के पास ५० बीघा जमीन है, ३५ बीघे में मैला पड़ा है और १५ बीघे किसी काश्तकार को दे देते हैं कि तुम इस पर खेती कर सकते हो, मौजूदा कानून के अनुसार उसे सीरदारी का अधिकार हो जाता है । तो मंशा यह है कि वह सीरदारी का अधिकार हासिल नहीं होना चाहिये क्योंकि वह जमीन खेती के लिये तो है नहीं । वह किसी खास गरज के लिये किसी पब्लिक बाडी के पास सुरक्षित है । लेकिन जब हमारे उधर के दोस्तों ने यह तय ही कर रखा है कि इस गवर्नमेंट की हर चीज की मुखालिफत करेंगे और समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १३२ का खंड (ग) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नये खंड ६-क व ६-ख

श्री रामलखन मिश्र---मैं आपकी आज्ञा से २ संशोधन रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत दिनों से सदन के सामने है तो कृपा करके जो आपके संशोधन हों जो मेरे पास पहले नहीं थे उन्हें समय पर भेज दिया करें तो अधिक अच्छा हो क्योंकि बार-बार नये संशोधनों के ऊपर विचार होना उचित नहीं मालूम होता । इस समय तो मैं इस संशोधन की इजाजत दिये देता हूं लेकिन आयन्दा के लिए इस विषय में मैं चाहता हूं कि आपको संकेत कर दूं और चेतावनी दे दूं कि आयन्दा देर न की जाया करे ।

श्री रामलखन मिश्र—मैं भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के वर्तमान खंड ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ६—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"६—क—मूल अधिनियम की धारा १५४ में

(१) संख्या '३०' के स्थान पर '१२ १/२' रख दी जाय।

(२) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण १ के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में रखा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजन के निमित्त संक्रामण गृहीता (trans feree) के विषय में यह समझा जायगा कि वह स्पष्टीकरण १ में उल्लिखित परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त है, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।

दूसरा यह है कि नये बढ़ाये हुये खंड ६—क के पश्चात् निम्नलिखित खंड ६—ख के रूप में रख दिया जाय :—

६ ख—मूल अधिनियम की धारा १६७ में आये हुए शब्द 'गांव सभा' और शब्द 'या क्षेत्रपति' के बीच में शब्द 'या गांव सभा की ओर से कलेक्टर' रख दिये जावें।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मौखिक भाषण से धुंधला चित्र ही मेरे माननीय मित्रों के सामने प्रस्तुत हुआ है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपके सामने यह प्रस्ताव करता हूं कि ये संशोधन विचार के लिये कल ले लिये जावें जिससे हमारे मित्रों को कोई कठिनाई न हो।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी कि बहस कल हो। आगे का कार्य हम लोग जारी रखें। अगर इस जगह पर ये प्रस्तुत न होते तो एक बाधा यह पड़ सकती थी कि हम आगे बढ़ गये हैं इस कारण संशोधन पेश नहीं हो सकते। इसलिये आज पेश करने की इजाजत दे दी। अब ये कल लिये जायेंगे। जो माननीय सदस्य इन पर संशोधन लगाना चाहें वे भी ला सकते हैं। इस संशोधन की नकल कराके मैं आपको दूंगा।

(विचार स्थगित किया गया।)

खंड ७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१ में नयी धारा १६८—क का रक्खा जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा १६८ के पश्चात् नयी धारा १६८—क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

टुकड़ों का निवारण (Prevention of fragmentation)

१६८—क—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के होते हुये भी, टुकड़ों का संक्रामण कोई भी व्यक्ति किसी भी संहत क्षेत्र (Consolidated area) में स्थित किसी टुकड़े को बिक्री, दान (gift) अथवा विनियम (exchange) द्वारा संक्रामित नहीं करेगा, उन दशाओं को छोड़कर जब ऐसा संक्रामण किसी ऐसे खातेदार के पक्ष में हो जिसका कोई गाटा (plot) उक्त टुकड़े से संलग्न (Contiguous) अथवा यदि संक्रामण ऐसे खातेदार के पक्ष में न हो तो वह पूरा गाटा, जिसका वह टुकड़ा एक भाग है, एतद्द्वारा संक्रमित किया जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया किसी भूमि का संक्रमण निरर्थक (void) होगा।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १६८—क की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में शब्द 'अथवा' के पहले शब्द 'पट्टा (lease)' बढ़ा दिया जाय।

यह धारा १६८—क इसलिये रखी गई है कि जो चकबन्दी हमारे प्रदेश में हो रही है और एक बार चक बनने के बाद फिर संक्रमण के द्वारा चकों के टुकड़े छिन्न-भिन्न न हो जांय उसकी रोक इस धारा के द्वारा की गई है। सीरदार को तो संक्रमण का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह अगर कोई हस्तांतरण करे तो वह वायड होगा और सीरदार स्वयं जिस के हक में वह जमीन हस्तांतरित होगी वह दोनों बेदखल हो जायंगे। केवल अधिकार संक्रमण का भूमिधर को है तो उस अधिकार को इससे रोका गया है यानी जहां चक बन गए हैं अगर वहां भूमिधर हस्तांतरण करेगा और वह हस्तांतरण अगल-बगल वाले किसी दूसरे चक वाले के साथ होता है तो और एक टुकड़े में होता है तो वह बगल वाले के साथ करना होगा लेकिन अगर किसी बाहर वाले के साथ वह करता है तो चक का पूरा खाता हस्तांतरित करना होगा। मतलब यह हुआ कि चक के टुकड़े न बनें और अगर हो तो बगल वाले चक के साथ मिल जायं और पूरा चक बना रहे। मैंने इसमें जो शब्द पट्टा बढ़ाया है वह इसलिये बढ़ाया है कि वैसे तो भूमिधर को अपनी भूमि लीज पर देने का अधिकार नहीं है यानी लीज का अधिकार उस को हो जब वह लीज करे और उस की जमीन लीज की मियाद के बाद वापस हो जाय इसलिये वह पट्टे पर नहीं दे सकता लेकिन अगर दे दे तो नतीजा यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ जमीन पट्टे पर दी जायगी वह उस का सीरदार हो जायगा। इस तरह से अगर भूमिधर किसी को अपनी जमीन पट्टे पर देना चाहे तो वह सीरदार का हक उस को पट्टे के द्वारा मिल जायगा। इसलिये जहां तक कि बिक्री दान और विनियम के द्वारा संक्रमित करने की बात है उसके लिये कहा गया है कि वह वायड होगा। उस के बाद अगर वह जिसके हक में संक्रमण किया गया है काबिज बना रहता है तो फिर क्या चारा होगा। यानी वायड हुआ जिसने संक्रमण कर दिया वह खुद उस को नहीं निकाल सकता तो इसकी रोक होनी चाहिये कि अगर कोई दूसरे को कब्जा देता है तो उस को कैसे रोका जाय। इस तरह से सीरदार बन सकते हैं और वह दसगुना देकर भूमिधर भी बन सकते हैं इसलिये लीज के द्वारा भी जो भूमिधर जमीन दे उसकी भी कुछ रुकावट होनी चाहिए। अगर कोई सेल वगैरह के जरिये उसने दूसरे को दे दिया और वह सेल वायड हो गया लेकिन खुद उसको नहीं निकाल देता है तो जो परपज है वह डिफीट हो जाता है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए मैंने जो "लीज" बढ़ा दिया है मैं समझता हूं कि वह जो परपज डिफीट हो सकता है उसका बढ़ाना जरूरी है। बाकी जो उसे डिफीट करने के जो तरीके हैं उसके कांसिक्वेंसेज भी होने चाहिये यानी कोई व्यक्ति ट्रान्सफर करता है सेल कर दिया और ट्रान्सफर वायड हो गया और अगर वह उसे उस जमीन से नहीं निकालता है तो समझिये कि वह नैचुरल आपरेशन आफ ला से लेसी बन गया। वायड ट्रान्सफर से वह काबिज बना हुआ है तो वह लेसी की हैसियत में आयेगा तो उस लेसी को भी बेदखल होना चाहिये। इसलिये बेदखली का प्राविजन भी होना चाहिये और लीज को भी जोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूं कि लीज का जोड़ा जाना जरूरी है ताकि परपज डिफीट न हो। कांसिक्वेंसेज के बारे में दूसरा संशोधन दिया है। आशा है यह स्वीकार किया जायगा।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर जरूरी है जैसा वह खुद स्वीकार करते हैं कि लीज करने का अधिकार किसी को नहीं है। जिनको अधिकार नहीं है अगर वह करते हैं तो लीज वायड है और सेक्शन १६७ या १६८ के मुताबिक कार्यवाही हो सकती है और जिनको अधिकार दिया है तो उनको अधिकार रहना

[श्री चरण सिंह]

चाहिये । तो इसलिये लीज इसमें रखना बिल्कुल बेकार है। अब उन्होंने एक बात अपनी तकरीर के आखिर में कहीं और वह यह कि कोई ट्रांसफर अगर हुआ और वह वायड तो है लेकिन वह पजेशन में है तो उसको लेसी समझा जायगा । तो वह कैसे बेदखल होगा ? वह लेसी नहीं समझा जा सकता है । वह बेदखल दफा २०९ में होगा । अगर दफा २०९ के मुताबिक कोई आदमी पजेशन रखता है तो इस कानून के खिलाफ या किसी कानून के खिलाफ भूमिधर या सीरदार जो उस आराजी का मालिक है उसकी रजामन्दी के खिलाफ वह पजेशन रखता है तो वह आदमी बेदखल हो सकता है २०९ में। तो २०९ मौजूद है और १६७ और १६८ मौजूद है और लीज वैसे ही नाजायज है । इसलिये लीज इसमें जोड़ना बिल्कुल गैर जरूरी है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने पूरे तौर पर इस पर गौर कर लिया होगा लेकिन मैं अपने समाधान के लिये यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि लीज करने का हक है नहीं और लीज यों ही नाजायज है और दफा २०९ में बेदखल हो सकेगा तो वह तो १६५ में साफ लिखा हुआ है भूमिधर के लिये कि यदि दफा १५७ में अभिदिष्ट भूमिधर से कोई भूमिधर अपने खाते को या उसे किसी को पट्टे पर दे दे तो किसी विधि संविदा या पट्टे के लेख में किसी बात के रहते हुए भी पट्टेदार उस भूमि को मिला कर जो उस पट्टे पर दी गई है उसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं होता है, तो उस भूमि का सीरदार हो जायगा और सीरदार हुआ समझा जायगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिधर अगर पट्टे पर देता है तो जिसके हक में पट्टा होता है वह सीरदार हो जाता है। वह बेदखल नहीं हो सकेगा । सीरदार अगर कहीं पट्टे पर उठाता है तो बेदखल हो जायगा और अगर कोई कायदे के खिलाफ उठाता है पट्टे पर तो बेदखल हो जायगा । लेकिन भूमिधर अगर पट्टे पर दे देता है तो जिसको पट्टे पर दी गयी वह पट्टेदार सीरदार हो जायगा इसलिये . चक के अन्दर भी अगर कोई टुकड़ा लीज पर दे दिया जायगा तो उस टुकड़े का वह व्यक्ति सीरदार हो जायगा और सीरदार की हैसियत से वह मालिक हो जायगा बेदखल नहीं हो सकेगा । दूसरी बात यह है कि जो २०९ में बेदखल होने की बात कही गयी है २०९ में बेदखल करने के लिये अगर कोई व्यक्ति बिना सहमति के काबिज है तो जिसकी जमीन पर बिना सहमति के काबिज है वह बेदखल करेगा ट्रेसपासर को । मेरी जमीन पर अगर कोई ट्रेसपासर है तो मैं बेदखल कर दूंगा । लेकिन अगर कोई उसका कब्जा बना रहने देना चाहता है तो फिर गांव सभा को यह अधिकार होना चाहिये जैसे सीरदार अगर अपनी जमीन को ट्रांसफर करता है तो कंट्रैक्ट वायड होता है और गांव सभा को उसको बेदखल करने का अधिकार दिया गया है इसी अधिनियम में । तो अगर कोई अपने ट्रेसपासर को बेदखल नहीं करता तो फिर वह काबिज बना रहेगा । इसलिये उसका भी उपाय होना चाहिये । इसलिये माननीय माल मंत्री जी का कहना कि २०९ के जरिये से बेदखल होगा —मैं नहीं कहता कि बेदखल नहीं होगा लेकिन अगर वह बेदखल नहीं करता है जिसकी जमीन पर वह काबिज है, वह यह समझे कि मैंने ट्रांसफर कर दिया है, उसको काबिज करा दिया हालांकि वह ट्रांसफर है । वह ट्रेसपासर को बेदखल नहीं करता और वह रहता चला जाता है। तीन साल में उसका राइट डेवलप हो जायगा, मेच्योर हो जायगा । इसलिये दोनों बातें काबिल गौर हैं ।

मैं समझता हूं कि जो यह बात कही गयी कि लीज वायड है वायड होते हुए भी उसको राइट हो जाता है सीरदार का। जिसके हक में लीज दी गयी वह अपनी जगह पर मालिक बन जाता है। इसलिये यह बात मेरी समझ में नहीं आयी जो माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि चूंकि लीज वायड हो जाता है इसलिये कोई हक पैदा नहीं होता। हक तो हो जाता है, इसी कानून के जरिये भूमिधर अगर लीज कर देता है तो लीज वायड होते हुए भी उसको सीरदारी का हक हो जायगा जिसके हक में वह लीज की गयी है। इसलिये वह लीज का होना भी अगर सेल एक्सचेंज वगैरह के जरिये से हम चाहते हैं कि हमारे चक के टुकड़े न बन जायं तो लीज के जरिये से भी बहुत जरूरी उस टुकड़े के बनने को रोकें। वर्ना लीज के जरिये से वह टुकड़ा बनेगा। कानून कहीं भी उसको नहीं रोकता है। किसी धारा के जरिये से इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं किया गया है कि इस लीज के जरिये से अधिकार नहीं होगा। इसलिये मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी जो धारा मैंने उद्धृत की है उसको देखते हुए इस बात को गौर कर लेंगे आया मेरी बात सही है या नहीं। और फिर अगर वह आज्ञा देंगे तो मैं उसे वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैंने गौर किया तो माननीय मौर्य जी की बात में कुछ बल है। वह यह कि वैसे तो कोई आदमी लीज नहीं करेगा लेकिन दरअस्ल करे बेनामा और जाहिर हो, वह लीज इस ख्याल से कर दे कि अगर सीरदार हो जायगा तो कम से कम मालिक हो जायगा, तो ऐसा हो सकता है कोल्यूजिव लीज। दूसरा आदमी सीरदार अगर हो जाता है तो वह लीज करता नहीं। लेकिन दरअस्ल अगर करे बेनामा और कवल लीज की दे तो ऐसी सूरत हो सकती है। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर आज विचार स्थगित कर दिया जाय और कल कानूनी राय लेकर फिर इसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो किसी को आपत्ति तो नहीं है अगर इसको आज स्थगित कर दिया जाय?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

तो इस पर विचार स्थगित किया जाता है।

श्री रामसेवक यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १६८-क की पंक्ति ६ में शब्द 'हो' और शब्द 'जिसका' के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम जमीन हो और"

इसके साथ ही अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त धारा, यदि जमीन किसी भूमि-हीन व्यक्ति को दी जाय, लागू नहीं होगी।"

श्री अध्यक्ष—यह बाद में लिया जायगा। आप दोनों एक साथ न रखें।

श्री रामसेवक यादव—जी अच्छा। अध्यक्ष महोदय, जब जनरल डिस्कशन हो रहा था इस तरमीम पर तो मैंने आपके द्वारा सदन से निवेदन किया था कि जहां पर यह कोशिश की जा रही है इस तरमीम के द्वारा कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े

[श्री रामसेवक यादव]

न हो सकें, फ्रैगमेन्टेशन को रोका जाय। इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए यह तरमीम पेश की गई कि किसी अपने पड़ोसी को ही वह अपनी जमीन दे सकेगा। अध्यक्ष महोदय मैं इस तरमीम द्वारा मंत्री महोदय और सदन से निवेदन करूंगा कि जहां यह एक बात हो सकती है कि फ्रैगमेन्टेशन को रोका जाय तो दूसरी चीज यह हो सकती है कि किसी आदमी के पास अगर ज्यादा जमीन है और इस तरमीम को मान लिया जाय तो उसके पास और ज्यादा जमीन हो जायगी कन्सेन्ट्रेशन आफ होल्डिंग हो जायगा। मंत्री महोदय ने इसका विरोध किया था लेकिन हां एक बात मान ली थी कि संशोधन के रूप में जो मैंने सारांश रखा था कि लैन्ड का कन्सेन्ट्रेशन होगा तो मान लिया था कि यह चीज सिर्फ थ्योरिटिकल है प्रैक्टिकल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय अगर यह थ्योरिटिकल रूप में सही बात हो सकती है तो कहीं-कहीं केसेज ऐसे आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं तो कहूंगा कि जब इसको कार्य रूप में परिणत किया जायगा जब यह लागू होगा और जब यह प्रकाश में कानून आयेगा तो हमको इसमें पता चलेगा कि कहां तक यह चीज प्रैक्टिकल रूप में होगी और कहां तक नहीं। परन्तु अगर थ्योरिटिकली मंत्री महोदय इसको मानते हैं कि हां हो सकता है किसी अंश में कन्सेन्ट्रेशन आफ होल्डिंग और वह कहते हैं कि थ्योरिटिकली होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा तो जब ऐसा नहीं है तो मेरे इस संशोधन को जोड़ दिया जाय। तो मैं आपके द्वारा उससे निवेदन करूंगा कि इस चीज को वह स्वीकार करें कि जिसके पास भूमि ३ १/८ एकड़ से कम हो उसी को वह ट्रांसफर करें। इस तरह के अगर रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिये जायं तो अच्छा होगा और फ्रैगमेन्टेशन भी नहीं होगा और कन्सेन्ट्रेशन का भी खतरा नहीं रहेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जो भाव माननीय रामसेवक जी ने प्रकट किया है उस भाव में और इस संशोधन में कोई मेल नहीं बैठता। जिसके पास कम जमीन है वह और जमीन खरीद ले इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन उसके लिये यह रास्ता तो नहीं है कि अगर उसके पास ३ एकड़ कहीं जमीन है दूसरी जगह तो १/८ एकड़ कहीं किसी के चक में दूसरी जगह जाकर के वह ३ १/८ एकड़ पूरा करे। उसको अपने अगल-बगल के चक वालों से जमीन खरीद करके अपना रकबा ज्यादा बढ़ाने का हक है। जो उसके पास के खाते हैं उसमें से वह जमीन खरीदे जिसका कि प्राविजन किया गया है इस धारा में। तो अगर उनकी बात मान ली जाय तब तो फिर जितने भी ३ १/८ एकड़ वाले हैं जगह-जगह थोड़ा-थोड़ा जमीन खरीदना शुरू करें तो फिर तो सारी चकबन्दी खतरे में पड़ जायगी। थोड़ी जमीन वाले दो एकड़ वाले, ढाई एकड़ वाले इस तरह से टुकड़ों में खरीदने लगें तो मुनासिब नहीं है यह और उनकी इस दलील के जरिये से इस धारा को संशोधित करने से एक ऐसा खतरा पैदा हो जायगा कि जो चक बने हुए हैं उनमें थोड़े-थोड़े करके जगह-जगह उनकी बिक्री होने लगेगी। वह तो जैसा मैंने कहा कि अपने बगल के खातों में से और जमीन खरीद सकता है। यह जो उनको शक है या जो उनकी ख्वाहिश है कि छोटे वाले बेचारे खरीद नहीं पायेंगे तो यह बात तो नहीं है। वह अपने अगल बगल से खरीदें। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है और इससे जो मंशा है इस धारा की वह मंशा ही फेल कर जायेगी इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मौर्य जी ने कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। ऐसा हो सकता है कि जो एडजेसेन्टिंग टेन्योर होल्डर्स हैं उनमें

से एक भी ३.२५ एकड़ से कम का न हो तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई चक होल्डर बेचना चाहता है तो वह बेच ही नहीं सकेगा । तो इस रेस्ट्रिक्शन से बहुत जगह ट्रांसफर बिलकुल इम्पासिबिल हो जायगा । इसलिये यह संशोधन स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री रामसेवक यादव---अध्यक्ष महोदय माननीय मौर्यजी ने जहां तक कहा कि इससे परपज फ्रस्ट्रेट हो जायगा चकबन्दी का तो जहां तक चकबन्दी का कानून है अध्यक्ष महोदय उसमें तो यह भी व्यवस्था है कि छोटे से छोटा चक भी दिया जायगा । किसी की भी थोड़ी जमीन हो तो उसको वहां चक दे दिया जायगा तो इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है और मैं समझता हूं कि अच्छा यही होगा कि मेरा संशोधन मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १६८-क की पंक्ति ६ में शब्द 'हो' और शब्द 'जिसका' के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम जमीन हो और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष ने श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य का नाम पुकारा।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो मुल्तवी करने के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है । उसी के साथ इस पर भी गौर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---यह मैं समझता हूं कि आप इसको उपस्थित कर दें उसी के साथ ही यह पेश होगा तो उपस्थित कर दीजिए और यह कह दीजिए कि कल के लिए इसे भी स्थगित रखा जायगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की प्रस्तावित धारा १६८-क की उपधारा (२) के अन्त में पूर्ण-विराम को हटाकर उसके स्थान पर अर्द्ध-विराम कर दिया जाय और उसके आगे निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय---

"और गांव सभा के बाद पर संक्रमणकर्ता तथा वह व्यक्ति जिसके पक्ष में संक्रमण किया गया हो उस टुकड़े में बेदखल हो सकेगा ।"

श्री चरण सिंह--इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि इसके कल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी । एक संशोधन माननीय रामलखन जी मिश्र ने किया है। उसमें जो आपकी मंशा है वह कानूनी अल्फाज में, वही मंशा माननीय रामलखन जी मिश्र के संशोधन से पूरी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि चूंकि उसके ऊपर विचार आज नहीं करना है तो इसलिये उनका भी पेश रहे और माननीय रामलखन जी का जो है यह तो उपखंड (३) जोड़ने का है । तो वह तो बाद में आयेगा ।

श्री चरण सिंह--अच्छी बात है

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया ।)

श्री रामसेवक यादव---अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त धारा, यदि जमीन किसी भूमिहीन व्यक्ति को दी जाय, लागू नहीं होगी।"

[श्री रामसेवक यादव]

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार यह चाहती है कि जिनके पास भूमि नहीं है, यानी हरिजन, जिनकी कि मदद करने के लिये सरकार कहती है और यह भी कहती है कि अकेले हमारी सरकार के द्वारा ही हरिजनों का कल्याण हो सकता है, तो अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, अगर यह मान ली गयी संशोधन की बात कि जमीन पड़ोसी को ही दी जायगी इसलिये कि फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग न हो सके, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है जिसके पास जमीन न हो तो वह नहीं दे सकता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री चरण सिंह---मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। खंड ७ का मंशा यह है कि तीन एकड़ से कम जमीन अगर है, उसको एक आदमी अगर टुकड़े कर के बेचना चाहता है तब तो एडजाइनिंग टेन्योर होल्डर को देगा और अगर कुल बेचना चाहता है तो किसी आउटसाइडर को भी दे दे। तो अगर वह भूमिहीन को भी उठाता है तो सारा को सारा दे दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दो एकड़ को है और आधा एकड़ बेचना चाहता है तो यादव जी चाहते हैं कि वह आधा एकड़ भूमिहीन को दे दी जाय। तो भूमिहीन उसका क्या करेगा? हल चलायेगा उस आधा एकड़ में? लेकिन क्योंकि वह भूमिहीन है लिहाजा रकबे का लिहाज न रखा जाय तो मुझे यह स्वीकार नहीं है और न यह भूमिहीन के हक में ही है।

श्री रामसेवक यादव---पहले भी मैंने अर्ज किया था और फिर अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के कुछ किसान हैं जिनके पास कम जमीन है और लोग एक एक, दो दो बीघे से काम चलाते हैं। तो जिनके पास कोई रोजी-रोटी का साधन नहीं है उनको कुछ न दिया जाय, इसलिये कि उनके पास कुछ नहीं है, यह उचित नहीं मालूम होता। तो मैं चाहता हूं कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री चरण सिंह---यह जमीन बंट नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त धारा, यदि जमीन किसी भूमि हीन व्यक्ति को दी जाय, लागू नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम सुन्दर पांडेय---मेरा खंड ७ में एक संशोधन है, जो २-ङ पर छपा हुआ है। वहां गलती से छप गया, इसी के लिये मैंने दिया था। मैं यह संशोधन श्रीमन् रखना चाहता हूं कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा दिया जाय:---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस खाते की बिक्री करते समय सबसे पहले उसके वारिस तथा कुटुम्बी को ही खरीदने का प्रथम अवसर प्राप्त होगा।

श्रीमन् जो ११८ (ग) जो इसमें रखा गया है उसमें बताया गया है कि इसमें कोई खातेदार को इसकी चकबन्दी होने के बाद एक अधिकार देना चाहते हैं, पास वाले को खरीदने का हक कानून के अन्दर दिया जा रहा है। हमारा कहना इसमें है कि अगर कोई उसका कुटुम्बी है, उसके परिवार में दो भाई हैं और एक भाई का चक एक जगह है और दूसरे को चक दूसरी जगह मिल गया और वे दोनों भाई अलग अलग हो गये। भाई के मरने के बाद जो अलग हो गया। उसको खेत नहीं मिलेगा, हो सकता है कि पास के चक वाले को हिस्सा दे। बारी बारी से जो आवश्यकता पड़ने पर दो, तीन बार में चक बट सकता है। मैं चाहूंगा कि वह चक यदि बटता है तो उसके पहले ही उसके परिवार वालों को उसके कुटुम्बी को मिलना चाहिये। अगर ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है कि चक भी बना रहेगा और सही मानों में उसके कुटुम्बी और

वारिस को भूमि मिलने का अधिकार प्राप्त होगा जो उसके पास पुश्त दर पुश्त से है उस को रख सकेगा। मेरा ख्याल है कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कानूनी दिक्कत भी नहीं है इसलिये इसको माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री बलवन्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारा यह जमींदारी खात्मे का कानून पास हुआ उससे पहले हमारे प्रान्त में एक प्रिवेन्शन का कानून था और जो बात माननीय पांडेय जी आज अपने संशोधन में रखना चाहते हैं उसी प्रकार की व्यवस्था उस प्रिवेन्शन के कानून में भी थी और हमने यह भी देखा था कि उस प्रिवेन्शन के कानून से हमारे प्रान्त को बजाय नफे के नुकसान ज्यादा हुआ था। उससे लिटीगेशन बहुत ज्यादा होता था और लोग तरह-तरह से उस से बचने की कोशिश किया करते थे। इसका नतीजा यह होता था कि प्रदेश के अन्दर मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा बढ़ती थी। तरह-तरह की झूठी गवाहियां आती थीं, झूठे दस्तावेजात बनते थे, यह रात दिन जिन लोगों ने कचहरियों में काम किया है उन्होंने इस बात को देखा है। अब देखना यह है कि जो संशोधन माननीय पांडेय जी ने सदन के सामने रखा है आया उससे कोई लाभ भी होगा या नहीं। मैं तो समझता हूं कि यह फिर से उसी अभिशाप को जो प्रिवेन्शन के कानून से हमारे प्रदेश में था फिर से लौटा कर के लाना चाहते हैं क्योंकि मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि यह खरीदने और बेचने का काम तो पैसे की बात है। जो भी ज्यादा पैसा दे उसी को चीज मिलनी चाहिये वह कोई भी क्यों न हो मगर चूंकि हमने इस बात को कानून में देखा है कि हमारी भूमि का फ्रैगमेंटेशन न हो, छोटे छोटे टुकड़े न हों उस का एक प्रतिबन्ध लगा है कि वह पड़ोस के ही आदमी को दिया जाय। अगर मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि पड़ोस में दूसरे भाई का घर जो खानदानी आदमी है उसका चक नहीं क्योंकि इस बात की व्यवस्था होते हुये भी कि खानदान के लोगों को निकट का चक मिलना चाहिये उस में बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं कि जिनमें खानदान के लोगों को निकट चक नहीं मिल पाता है, तो आप का मन्शा तो होगा कि चाहे पड़ोस में खानदान के किसी आदमी को चक मिले या न मिले हमें वारिस को पहले देना चाहिये तो इसका नतीजा यह होगा कि फ्रैगमेन्टेशन रुकने के बजाय और अधिक होगा। और इसके साथ ही साथ जमीन की कीमत भी गिरती जायगी क्योंकि एक आदमी जो खानदान का है अगर वह जमीन को लेना नहीं चाहे तो वह थोड़े दाम दे कर के लेना चाहेगा और ज्यादा दाम देना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जब कोई खानदान का आदमी लेना चाहता है तो वह उस पर अपना हक समझ कर लेना चाहता है क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि यह उसके खानदान की ही है इसलिये उसको कम कीमत पर या उसको मुफ्त उस को लेना चाहिये। और अगर लेने की बात हुई तो थोड़े पैसे दे कर लेगा। पुराने प्रिवेन्शन कानून में हमने देखा कि इससे करप्शन ज्यादा बढ़ता है बजाय इसके कि सीधे-सीधे बिक्री की जाये। इस तरह का कानून दुबारा बनाने से नुकसान ज्यादा होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो रामसुन्दर पांडेय जी ने संशोधन पेश किया है यह किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नहीं है और न इसको हमें मानना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, माननीय बलवन्त सिंह जी के भाषण के उपरान्त मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है परन्तु इस संशोधन के विरोध में इतना मुझे अवश्य कहना है कि प्रिवेन्शन का जो कानून था हमारे प्रदेश में और वह स्वयं वकील हैं लिहाजा उनको यह समझना चाहिये कि इसके क्या काम्प्लीकेशन्स पिछले वक्त में रह चुके हैं और आयन्दा अगर वही कानून फिर लाया जाता है तो जमीन की कीमत कुछ न रहेगी। खानदान में यह होता है कि बहुत से लोग जानबूझ कर न तो लेना चाहते हैं और इस खयाल से नहीं लेना चाहते हैं कि आयन्दा किसी न किसी वक्त जब भी हम यह मुनासिब समझेंगे तो उस कानून के मातहत या इस संशोधन के मातहत जिसे कि अधिनियम का रूप दे दिया गया है एक जायदाद किसी वक्त ले सकते हैं और जब किसी खरीदार को उसकी सिक्योरिटी नहीं है तो उस जमीन की कीमत कतई कुछ नहीं रह सकती है। जहां

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

तक वारिस और कुटुम्ब का सवाल है तो उस कानून में भी यही था और यह देखा गया कि मुकदमेंबाजी की कोई इन्तहा नहीं रही। यह सच है कि दस्तावेजें इतने गलत तरीक़े से लिखी जाती थीं कि जिससे यदि उसका कोई वारिस लेना भी चाहे तो वह भी न ले पाये। तो एक तरफ़ा बेईमानी नहीं बल्कि दो तरफ़ा बेईमानी बढ़ती थी। ऐसा भी होता था कि कुछ इस कानून के बल पर लेना चाहते थे दूसरे उस परपज़ को डिफीट करने के लिये यह चाहते थे कि इतने रुपये पर किया जाय कि जिससे खरीदार से उसका कुटुम्बी या वारिस आयन्दा चल कर वह चीज न ले सके।

आज जो संशोधन आये जहां तक उनके भावों और सिद्धान्तों का प्रश्न है उसके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा परन्तु मैंने यह देखा है कि आज जितने संशोधन थे, जितने उनके उद्देश्य थे भूमि सुधार के बारे में, आज तक जो कुछ भी उनकी तरफ से कहा गया उसके कुछ विपरीत और विरुद्ध उनमें दिखाई देता था। हो सकता है कि मंत्री महोदय का सद्प्रभाव या कुप्रभाव इस गोल पर पड़ गया हो जिसकी वजह से आज उनके बीच का संतुलन नष्ट भ्रष्ट हो गया हो। हो सकता है कि मंत्री महोदय इससे बहुत प्रसन्न हों। और मैं यह नहीं देख पाता हूं कि श्रीमन्, आज क्या हो गया है तो वह उनकी नामाकूलियत को माकूलियत में परिवर्तित करने के लिये उत्साहित हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं, तो मंत्री महोदय के लिये प्रश्न पैदा हो गया है कि वह किस किस थ्योरी को मानें। वह कार्ल मार्क्स को याद करें या लेनिन को याद करें ....

श्री अध्यक्ष---अब आप कल जारी रखें। बात यह है कि अब ५ बज गये हैं। यह कल जारी रखेंगे। आपका लेनिन के ऊपर डिसकोर्स कल होगा।

१९५६-५७ की लोक लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि १९५६-५७ की उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के २० सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में कल ४ बजे सायंकाल तक का समय नाम निर्देशन-पत्र की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया था। समय के भीतर जो २१ नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुये थे वे इस प्रकार हैं :---

१---श्री मकसूद आलम खां	.. .. ..	पीलीभीत
२---श्री वीरसेन	.. .. ..	मेरठ
३---श्री दीनदयाल शास्त्री	.. .. ..	सहारनपुर
४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ	.. ..	अलीगढ़
५---श्री अशरफअली खां	.. .. ..	मथुरा
६---श्री श्रीचन्द्र	.. .. ..	मुजफ्फरनगर
७---श्री अजीज इमाम	.. .. ..	मिर्जापुर
८---श्री बेचनराम गुप्त	.. .. ..	बनारस
९---श्री झारखंडे राय	.. .. ..	आजमगढ़
१०---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य	.. .. ..	जौनपुर
११---श्री मथुराप्रसाद पांडेय	.. .. ..	बस्ती
१२---श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह	.. ..	गोरखपुर
१३---श्री रामदुलारे मिश्र	.. .. ..	कानपुर
१४---श्री नारायणदास	.. .. ..	फैजाबाद
१५---श्री श्यामलाल	.. .. ..	गोंडा
१६---श्री गोवर्धन तिवारी	.. .. ..	अल्मोड़ा
१७---श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह	.. ..	टेहरी-गढ़वाल
१८---श्री मदनमोहन उपाध्याय	.. .. ..	अल्मोड़ा

१९—श्री लक्ष्मणराव कदम .. .. .. झांसी
२०—श्री जोरावर वर्मा .. .. .. हमीरपुर
२१—श्री रामदास .. .. .. फैजाबाद

आज ४ बजे उनकी सूक्ष्म परीक्षा की गई थी और वह ठीक पाये गये। अब अगर उनमें से कल ५ बजे तक एक नाम वापस न ले लिया गया तो निर्वाचन होना आवश्यक होगा और उसकी तिथि, समय एवं स्थान बाद में सूचित किया जायगा।

नेशनल इंटर कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर से संबद्ध १६ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४—५ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—यू० पी० एजूकेशन कोड, १९३६ की धारा ३५८ (के) नोट (१) के विरुद्ध "नेशनल इंटर कालेज, मौदहा, जिला हमीरपुर में प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) और प्रबन्धक (मैनेजर) के पदों पर दो सगे भाइयों के कार्य करने से संबंधित श्री झारखंडे राय द्वारा १६ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४—५ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा। श्री तेज प्रताप सिंह ने वाद-विवाद का आवाहन दिया है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से आज्ञा मांगी थी कि तारीख १६ मार्च, १९५६ को एक प्रश्न श्री झारखंडे राय ने किया था, उसके अनुपूरक प्रश्न के रूप में मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस कालेज में एक भाई प्रिंसिपल अब भी है और दूसरा उसका सगा भाई मैनेजिंग कमेटी का मैनेजर या प्रेसीडेंट है। इसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रिंसिपल दूसरा है, मैनेजिंग कमेटी का प्रेसीडेंट दूसरा है और भाई-भाई का सम्बन्ध दोनों में नहीं है. . .

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष—उनके बाद आप को मौका है।

श्री हर गोविन्द सिंह—इसलिये कि बाद में उनको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने जांच करा ली है।

श्री अध्यक्ष—इसका तरीका यही है कि उनको पहले कह लेने दीजिये।

श्री तेज प्रताप सिंह—इस गलत उत्तर के बाद मैंने, प्रार्थना की थी कि मुझे विवाद करने का मौका दिया जाय क्योंकि आखिर मुझे भी जानकारी थी, जोरावर वर्मा जी को भी जानकारी थी कि यह दोनों सगे भाई हैं और एक ही इंस्टीट्यूशन में ७-८ साल से काम करते आ रहे हैं और हमने फरवरी, मार्च सन् १९५५ में गबन के मामले के कई दफा प्रश्न किये थे। उस समय भी कुछ उत्तर ऐसे दिये गये जिनसे हमें संदेह होता रहा और इसी सिलसिले में जब यह हमें प्रकट हुआ कि दोनों सगे भाई हैं, प्रिंसिपल और अध्यक्ष हैं इस मैनेजिंग कमेटी के, तब हमने यह प्रश्न किया और उसकी बाबत माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा कि हम इसके बारे में कोई जांच भी नहीं कराना चाहेंगे। क्योंकि नारायणदत्त जी ने कहा था कि हमारे इन प्रश्नों को सूचना मान कर आप इसकी जांच करा लें और इसे ठीक करायें। तो यह विवाद का आधार मैंने इस लिये लिया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर शिक्षा मन्त्री जी इस सच्चाई पर परदा क्यों डाल रहे हैं? और यह प्रश्न स्वाभाविक है। सन् १९५५ में माननीय जोरावर जी ने यह प्रश्न रखा था कि उस स्कूल में हरिजन छात्रों के लिये जो छात्रवृत्ति दी जाती है उस से वहां के अधिकारी कुछ जबरन रुपया कटौती के रूप में काट लेते हैं और उस छात्रवृत्ति को हरिजन छात्रों

[श्री तेज प्रताप सिंह]

तक नहीं पहुंचने देते ? तो इसके उत्तर में मैं माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि यह छात्रवृत्ति जबरदस्ती नहीं काट दी गई है बल्कि सधन्यवाद यह रुपया प्राप्त किया गया है उन हरिजन छात्रों से । यदि आप की इजाजत हो तो चार लाइनें इस सम्बन्ध में पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—अगर इससे संबंधित हों तो आप पढ़िये ।

श्री तेज प्रताप सिंह—इससे सम्बन्धित हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो भिन्न विषयों को एक साथ सबूत के लिये आप उपस्थित नहीं कर सकते हैं । जिसके विषय में आपने विवाद चाहा था उसी विषय पर कायम रहिए । आप मंत्री जी के ऊपर कोई चार्जशीट तो लाये नहीं हैं कि जो कुछ उनके खिलाफ आप को शिकायत है आप उसे उपस्थित कर सकें । मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । आपको विवादास्पद विषय में जो मालूमात हों उनको ही आप रखें ।

श्री तेज प्रताप सिंह—मेरा मतलब यह था कि पिछले वर्ष भी जब हमने प्रश्न उपस्थित किया तो उसका उत्तर भी सही नहीं दिया गया । मैं उसके बारे में विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन आज जिस कारण से उस सच्चाई पर परदा डाला जा चुका है, वह क्यों डाला गया, इसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । तो जो छात्रावृत्ति हरिजनों को दी जाती थी उसमें से एक तिहाई हिस्सा वह बिल्डिंग फंड के लिये काट लिया करते थे । तो उसके लिये उन्होंने हरिजन छात्रों ने अपना प्रार्थना-पत्र इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को दिया । वह प्रार्थना-पत्र जब उनके पास पहुंचा और उसमें उनको यह शिकायत मालूम हुई तब उन्होंने इसकी जांच की और जांच में यह प्रकट हुआ कि वास्तव में यह रुपया जबरन काट लिया जाता था और छात्रवृत्ति पूरी हरिजन छात्रों को नहीं दी जाती थी । अब जब यह मामला उठाया गया और प्रश्न सामने आया तो आर्डर दिया गया कि वह रुपया वापस कर दिया जाय । तो वह रुपया वापस किया गया ।

दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न था कि जो हरिजन छात्र उस कालेज में पढ़ते थे उनके नाम फर्जी वहां के होस्टलों में बढ़ा लिये गये थे जब कि वह उस होस्टल में रहते नहीं थे और इस प्रकार से होस्टल की फीस ले ली गई और वह भी स्कूल में और स्कूल के एकाउन्ट में दर्ज कर ली गई जब कि हरिजन छात्र होस्टल में रहते ही नहीं थे । यह शिकायत भी जब इंस्पेक्टर आफ स्कूल को गई तो उस पर जांच की गई और जांच के बाद यह मामला उसने डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के पास भेज दिया कि यह मामला गबन का है फ्राड का है ४२० का है । वह रुपया खामखाह फ्राड बना कर गवर्नमेंट से लिया जा रहा है हरिजन छात्रों के नाम से, जब कि वह हरिजन छात्र छात्रावास में रहते ही नहीं हैं और इसलिये उस मामले को पुलिस में दिया जाना चाहिये । तो यह मामला डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के आदेशानुसार पुलिस को दे दिया गया । जब वह पुलिस को दिया गया तो वहां के जो अध्यक्ष थे मैनेजिंग कमेटी के, वह माननीय मन्त्री जी की सेवा में उपस्थित हुए । आप ने जो कुछ भी कहा सुना हो । उस पर माननीय मंत्री जी ने नैनीताल में...

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं चाहता हूं कि इस पर जो क्वेश्चन-आंसर हुए हों उनको आप पढ़ दें । यह तो विवाद के लिये था नहीं जो कुछ आप कह रहे हैं । सवाल तो यह था कि कालेज में दो सगे भाई एक प्रिंसिपल हैं और दूसरे मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और यह पता नहीं कहां का अलिफ लैला का किस्सा है ।

श्री अध्यक्ष—वह भाई क्या काम करते हैं, वह इस सम्बन्ध को जोड़ना चाहते हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह––तो मैं यह कहना चाहता था कि जो अध्यक्ष महोदय थे उस मैनेजिंग कमेटी के वह नैनीताल पहुंचे जबकि पुलिस कप्तान ने यह कहा कि इस मामले को हम बिद्ड्रा नहीं करेंगे और इस मामले को चलायेंगे तो वह नैनीताल पहुंचे। वहां जो भी गुफ्तगू हुयी हो लेकिन वहां से टेलीग्राफिकली एक स्टे आर्डर जारी हुआ कि यह मामला रोक दिया जाय और उनके प्रति कोई कार्यवाही न की जाय। जबकि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने इस मामले में यह सलाह दी थी कि यह मामला पुलिस को दे दिया जाय क्योंकि यह एक गम्भीर प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष––आप इस पर आइये कि दोनों भाइयों से संबंधित क्या कार्यवाही हुयी जिस पर आप बहस करना चाहते हैं।

श्री तेज प्रताप सिंह––मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अध्यक्ष मैनेजिंग कमेटी के हैं वह और प्रधानाचार्य दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई होने के नाते फंड के बारे में घपला हो सकता है और होता आया है। अगर सगे भाई न हों और मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष रिश्तेदार न हों तो यह घपला नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर सगे भाई होने की वजह से ही यह आसानी से होता रहा है। तो मैं यह कह रहा था कि जब १९५५ के बजट में जब शिक्षा मंत्री जी शिक्षा विभाग का बजट पेश कर रहे थे...

श्री अध्यक्ष––आप बहस की सीमा विस्तीर्ण, वाइड, कर रहे हैं। वह प्रश्न सामने नहीं है। सगे भाई होने के कारण क्या गलत उत्तर दिया, उत्तर के बारे में जो आपको जानकारी हो वह सदन को आप दें।

श्री तेज प्रताप सिंह––आजकल भी उसकी प्रापर्टी का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे पास कुछ कागजात हैं जो लेखपाल द्वारा सर्टीफाइड हैं। कुछ जमीन हरिजनों की और कुछ जमीन मुसलमान भाइयों की अध्यक्ष ने अपने नाम लिखा ली है।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं वह प्रश्न अब नहीं आ सकता। आपको दो सगे भाई होने के प्रश्न को ही सामने रखना है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने दूंगा।

श्री तेज प्रताप सिंह––मुझे कोई गलत सूचना नहीं देनी है। उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका कारण यह है कि सगे भाई मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। और प्रिंसिपल हैं इसलिये इस बात पर ख्याल रखना चाहिये कि कोई पक्षपात न हो। जो भी फैक्ट्स सामने हों उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। ऐसा नहीं किया गया, सच्चाई को छिपाया गया और उस पर परदा डाला गया। इसकी इन्क्वायरी की जाय और जो भी उचित ऐक्शन हो वह लिया जाय। कम से कम उस पद से उनको हटा दिया जाय ताकि आगे चलकर कालेज की प्रापर्टी का दुरुपयोग न हो सके और काम भली प्रकार से चल सके।

श्री हरगोविन्द सिंह––श्रीमन्, मुझे खेद है कि मुझको वह अवसर नहीं मिला कि मैं अपनी आपत्ति रख सकूं कि किस प्रकार से सफीशियेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स की यह बात है। क्योंकि इसके अभाव में जैसा कि इसी सम्बन्ध में मैंने देखा कि किसी सदस्य को एक विशिष्ट अवसर मिल जाता है किसी मंत्री के प्रति कुछ कहने के लिये। तो इस सम्बन्ध में भी मैं समझता था कि मुझसे भी यहां पूछा जायगा।

जहां तक संबंधित प्रश्न का सवाल है माननीय सदस्य ने अपने साथ जोरावर वर्मा जी को जोड़ने का प्रयत्न किया है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरे पास सवाल आते हैं मैं उनको भेज देता हूं। जब उत्तर आते हैं तो उनको यहां पर पढ़ देता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने नारायण दत्त जी तिवारी के किसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे पास जो सूचना है उससे इस बात की आवश्यकता नहीं मालूम होती कि इसकी दोबारा इन्क्वायरी करायें। बावजूद

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसक मैंने इसकी दोबारा इन्क्वायरी करायी और फिर भी उत्तर हमारे पास यही आया और अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं उसे पढ़ सकता हूं। यह बिलकुल गलत है कि प्रधानाचार्य और मैनेजर सगे भाई हैं।

दूसरी बात जो हरिजन के बारे में कही गयी यह एक पुरानी सी बात है इसके सम्बन्ध में मैंने कई दफा इस हाउस में कहा था कि जी हां, गबन उस मानी में नहीं हुआ था कि उस स्कूल में किसी ने उस रुपये को खा लिया बल्कि केवल यह किया था कि उस रुपये को स्कूल में ही लगा दिया था। इसलिये गबन का जो जरूरी अंग है कि किसी ने अपने निजी फायदे के लिये गबन किया हो चूंकि उसका अभाव था, इसलिये मैंने मुकदमा वापस ले लिया। यह उसी स्कूल के बारे में है जिससे आपका और और लोगों का भी सम्बन्ध है। उन स्कूलों में भी यदि हरिजनों के मामलों में नहीं तो दूसरे मामलों में मैं जानता हूं, और अगर आप चाहें तो उन पर कार्यवाही भी कर सकता हूं, कि हर चीज का जो रुपया दिया जाता है वह उसी कार्य में न लगाकर दूसरे में लगा दिया जाता है। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि स्कूलों की दशा अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये उसमें यदि किसी ने अपने लिये धन का दुरुपयोग नहीं किया है बल्कि एक मद से दूसरी मद में लगा दिया है, तो इसे मैं गबन नहीं मानता और ऐसे मुकद्दमात में नहीं चलाता। यह मैंने एक जनरल आर्डर सा कर रखा है। इसलिये जब हमारे पास ऐसे मामले आते हैं तो मैं यह देखता हूं और पुछवाता हूं कि यह रुपया किसी के पेट में चला गया है, यानी उसने खा लिया है या स्कूल की ही किसी दूसरी मद में लगाया गया है, चाहे वह प्रधानाचार्य हो या मैनेजर हो। जब हमको किसी ऐसे मामले का पता चलता है कि किसी ने रुपया अपने निजी काम में लगा लिया है तो मैं जरूर मुकद्दमा चलाता हूं। अगर स्कूल के ही कार्य में लगाता है तो नहीं चलाता हूं।

श्री अध्यक्ष---अगर कोई प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहें तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि प्रेसीडेन्ट और प्रधानाचार्य ही सगे भाई नहीं हैं बल्कि वाइस-प्रेसीडेन्ट और उन्हीं के पिता मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं और प्रिंसिपल के चचेरे भाई मैनेजिंग कमेटी में हैं और जब यह प्रश्न उठा.....

श्री अध्यक्ष---आप तो यह भाषण दे रहे हैं। जो चीज पूछी नहीं गयी थी उस पर बहस नहीं करनी चाहिये। प्रश्न पूछिये।

श्री जोरावर वर्मा---क्या यह सही है कि मैनेजिंग कमेटी के बहुत से सदस्य जो प्रधानाचार्य और वाइस-प्रिंसिपल हैं, उनके सम्बन्धी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका तो उत्तर शायद उन्हीं को मुझसे अधिक मालूम होगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अगर कोई डाका डालकर किसी स्कूल को रुपया दे तो वह जायज होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---जिस प्रकार का इलजाम माननीय जोरावर जी वर्मा ने लगाया है क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह उचित समझते हैं कि उसकी फिर से जांच कराई जाय ताकि इस तरह के रिश्तेदार जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी इस सदन को हो सके ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सरल तरीका है कि सवाल पूछिये तो उत्तर भी उसका आ जावेगा।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसे पर्याप्त नहीं समझते जो माननीय जोरावर जी ने इस हाउस में इस प्रकार का इलजाम लगाया है ?

श्री अध्यक्ष---यह विवाद है ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या एजूकेशन कोड के अनुसार किसी रिश्तेदार का मैनेजिंग कमेटी में और उसके उस स्कूल में सर्विस में होना नियम विरुद्ध है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, किन-किन रिश्तेदारियों के लिये ऐसा प्रतिबन्ध है वह उस में दिया हुआ है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह कौन-कौन सी रिश्तेदारियां हैं जो एजूकेशन कोड के अनुसार एक जगह लोग नहीं रह सकते ?

श्री अध्यक्ष---मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा, वह आप पढ़ लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि स्कूल के प्रधानाचार्य और कार्यकारिणी के प्रेजीडेंट का घर एक ही गांव में है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह जो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, इस तरह का नया सवाल आप नहीं पूछ सकते क्योंकि जब पहले प्रश्न भेजे जाते हैं तब उन के सम्बन्ध में मालूमात आती है और उनका यहां जवाब दिया जाता है, उसके बाद इस तरह का सवाल हो सकता है लेकिन इस तरह का नया सवाल आप नहीं कर सकते ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर बतायेंगे कि एजूकेशन कोड में जिन रिश्तेदारों के एक जगह रहने के लिये मुमानियत है उस तरह की रिश्तेदारी के कोई लोग इस पर्टिकुलर केस में हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई केस नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां के प्रिंसिपल और मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मौदहा के इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त हैं और उनके भाई जो उक्त विद्यालय में पहले प्रधान थे वह अब कमेटी के सदस्य भी नहीं हैं । और इसका जवाब आया है कि इस सम्बन्ध में जो पूछ-ताछ की गयी उसके उत्तर में संलग्न जवाब आया था जिससे स्पष्ट है कि श्री राम गोपाल गुप्त २०–१२–५५ को त्याग-पत्र दे चुके थे और उन की जगह श्री जय देव शुक्ल कार्य कर रहे थे । १५–४–५६ के चुनाव में श्री मोती लाल गुप्त अध्यक्ष चुने गये । ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का यह कहना कि विधान सभा में इस सम्बन्ध में दिया गया उत्तर गलत है यह बात अनुचित है और प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष---श्री जोरावर वर्मा अब आप कुछ कहना चाहें तो दो-तीन मिनट में कह लें ।

श्री जोरावर वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री ने भाषण में प्रारम्भ में ही गलत इनफार्मेशन दी है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने जब सवाल किया था कि क्या वह माननीय तेज प्रताप सिंह और जोरावर वर्मा आदि के प्रश्न को सूचना समझ कर उस की जांच करायेंगे ? उस वक्त माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा था कि "जी नहीं" लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि मैं ने यह कहा था कि "मैं उसकी जरूरत नहीं समझता हूं ।"

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह बात संगत नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---खैर, मेरी पूरी जानकारी है कि कमेटी के आधे मेम्बर अब भी ऐसे हैं जो कि वहां के अध्यापकों से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं और जो कि एजूकेशन कोड के खिलाफ गलत तरह से काम कर रहे हैं । दूसरे उन भाइयों के नाम . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि नाम बताने की जरूरत नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---तो उन दोनों भाइयों और कमेटी के सदस्यों का स्टाफ से घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण वहां बहुत अन्याय किया जाता है और वहां के लोगों का सारा जीवन दूभर हो रहा है और वहां के छात्र बहुत परेशान हैं । वहां के हरिजन छात्रों . .

श्री अध्यक्ष---अब आप इस को अधिक व्यापक न बनायें । अब किसी स्कूल की इस प्रश्न के द्वारा निन्दा करना या उसके बारे में कोई बुराई निकालना मैं उचित नहीं समझता । आपका प्रश्न सही था और उसका जवाब सही दिया या नहीं इसी से संबंधित यह वादविवाद है ।

श्री जोरावर वर्मा---माननीय मंत्री ने बिलकुल गलत सूचना दी है और उन्होंने मेरा ऐसा ख्याल है कि इतने बड़े शासन के नुमाइन्दे होते हुये भी ठीक सूचना नहीं दी । अध्यक्ष महोदय, कभी माननीय मंत्रियों द्वारा गलत सूचनायें हो जाती हैं तो आपकी आज्ञा मांग कर वे सदन को सही सूचना दे देते हैं लेकिन माननीय मंत्री ने अभी तक इस बात का कष्ट नहीं किया और उन्होंने मेरे एक साल पहले पूछे गये प्रश्नों और अभी हाल के प्रश्नों की गलत सूचना दी ।

दूसरी चीज यह है कि जिन अधिकारियों द्वारा ये गलत सूचनायें माननीय मंत्री जी को मिली हैं मैं निवेदन उनसे करूंगा कि वे उसकी जांच करें और जिन अधिकारियों ने गलत सूचनायें दीं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें और मेरा अनुमान, अध्यक्ष महोदय, यह है कि माननीय मंत्री जी का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की गलत खबरों के देने से यह हो सकता है कि जो वहां की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसीडेंट श्री राम गोपाल गुप्त हैं . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप किसी की नीयत पर हमला न करें ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं . .

श्री अध्यक्ष---मैं इस चीज की इजाजत सदन में नहीं दूंगा कि आप किसी की नीयत पर हमला करें । अगर आप इन शब्दों को दोहरायेंगे तो मैं उन्हें वापस लेने के लिये कहूंगा ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, तो इस प्रकार से उस सम्पत्ति का दरुपयोग हो रहा है और उसका मुख्य कारण यही है कि कमेटी के और स्टाफ के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं . .

श्री अध्यक्ष---आप दोहरा रहे हैं । अब आप कृपा करके बैठ जायं, आपका समय खत्म हो रहा है । दूसरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री तेज प्रताप सिंह जी ने जो माननीय मंत्री जी पर अभी हमला किया कि वे मैनेजिंग कमेटी के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के पास गये या दूसरी बातों के लिये उनके पास गये इसका उनके पास क्या प्रमाण है ?

श्री अध्यक्ष---आप उनसे नहीं पूछ सकते । वह कोई मिनिस्टर नहीं हैं जो हिसाब दें ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---तो फिर आप से निवेदन करता हूं कि उनके शब्द उसमें काट दिये जायं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब सुना और मुझे असंतोष व खेद है कि जिस जिम्मेदारी के पद पर वे हैं उसका भार वह वहन नहीं कर पा रहे हैं । यद्यपि यह छोटे मुंह बड़ी बात है । मैंने बहुत ही परेशानी के साथ इस विवाद को यहां पेश किया है क्योंकि आखिर शिक्षा मंत्री हैं वे और जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर ही वे चुने गये हैं । किसी प्रकार का भी आक्षेप या उनकी नीयत पर हमला करना हमें शोभा नहीं देता लेकिन बराबर यह चीज ऐसे ही चली आ रही है । उसका उपचार यह रह गया है कि आपके सामने विवाद पेश किया जाय और माननीय सदन को इन बातों से अवगत कराया जाय । मैं अब भी कहता हूं कि जो अंतरिम व्यवस्था वहां की मैनेजिंग कमेटी ने की है. .

श्री अध्यक्ष---वह तो नई चीज होगी । मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा । आप मूल प्रश्नों के सम्बन्ध में जो चाहें कह सकते हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---मुझे खेद है और मुझे आशा यह है कि आगे भविष्य में इस बात को वह ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे कि जो सार्वजनिक काम हैं, जो राष्ट्र के काम हैं वे ठीक से चल सकेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान्, मुझे तेज प्रताप सिंह जी से अधिक खेद इस बात का है कि यह समझते हुये भी कि मेरे पद के कारण मेरी नीयत पर उनको आक्षेप नहीं करना चाहिये था लेकिन बेचारे स्वयं इतने शरीफ हैं कि आक्षेप करने से अपने को रोक नहीं सके । जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है कि प्रधानाचार्य और मैनेजर एक ही हैं तो मेरे पास जो उत्तर आया वह मैंने उनको बता दिया । हां एक बात शायद भवन को नहीं मालूम होगी कि निकट के एक स्कूल से आपके पिता का और आपका इतना घनिष्ट सम्बन्ध है जिसकी वजह से यह सब झगड़ा है यह शायद भवन को नहीं मालूम था । इसलिये बता दिया मैंने भवन को ।

श्री अध्यक्ष---अब यह विवाद समाप्त होता है ।

श्री तेज प्रताप सिंह---एक प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन है । यह जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पिता और यह किसी स्कूल में हैं, किस स्कूल में हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं । यह तो आक्षेप ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि किस स्कूल में हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप अपना परसनल एक्सप्लेनेशन दें कि आप किसी स्कूल से संबंधित नहीं हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---मैं नहीं हूं । लेकिन उनको बताना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह---वह गलत है, सर्वथा निराधार है ।

श्री अध्यक्ष---अब यह विवाद समाप्त होता है ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२५ अप्रैल, १९५६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४० पर)

सूची

आजमगढ़ जिले की जिन-जिन टाउन एरियाओं और नगरपालिकाओं ने १९५५-५६ में प्रान्तीय सरकार से विशेष अनुदान और ऋण की मांग की है ।

टाउन एरियायें

टाउन एरिया का नाम	विशेष अनुदान या ऋण जिसके लिये प्रार्थना की गई है		किन कामों के लिये अनुदान या ऋण की मांग की गई है
	रु०		
१ दोहरी घाट ..	९००	अनुदान	सड़क और नालियों की मरम्मत के लिये ।
२ कोपा गंज ..	१०,०००	अनुदान	सड़कों पर सीमेंट लगाने के लिये ।
	१०,०००	ऋण	" " " "
३ फूलपुर ..	२,०००	अनुदान	सड़क और नालियों की मरम्मत के लिये ।
	२,०००	ऋण	" " " "
४ सरायमीर ..	१५,२००	अनुदान	सड़क व नालियों के लिये ।
	२,१००	ऋण	सड़कों की मरम्मत के लिये ।
५ निजामाबाद ..	४,०००	अनुदान	नालियों और पुलियों के लिये ।
	४,०००	ऋण	सड़कों, नालियों और पुलियों के लिये ।
६ अमौला ..	२,०००	अनुदान	सड़कों और नालियों के लिये ।
	२,०००	ऋण	सड़कों, पुलियों और नालियों के लिये ।
७ मुबारकपुर ..	५,०००	अनुदान	सड़कों और पुलियों के लिये ।
	५,०००	ऋण	सड़कों की मरम्मत के लिये ।

नगरपालिकायें

नगर पालिका का नाम			
१ मऊ नाथ भंजन ..	५०,०००	अनुदान	सड़क बनाने के लिये ।
	८,०००	अनुदान	कस्बे में पार्क बनाने के लिये ।
	१,००,०००	अनुदान	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व मकानों की मरम्मत व निर्माण के लिये ।
	१,००,०००	ऋण	सड़क बनाने के लिये ।
	१८,०००	ऋण	कम्पोस्ट स्कीम के लिये ट्रक और ट्रैक्टर खरीदने के लिये ।
	१,००,०००	ऋण	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व भवन की मरम्मत व निर्माण के लिये ।
२ आजमगढ़ ..	२९,३००	अनुदान	बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व भवनों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिये ।

उत्तर प्रदेश सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पैरा पृष्ठ २४३ पर)

जिला नियोजन समिति झालौन द्वारा १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में स्वीकृत कामों पर व्यय किये गये धन की सूची।

क्रम संख्या	योजना का नाम	१९५४–५५												१९५५–५६											
		१–४–५४ का बैलेंस			प्राप्ति			योग			व्यय			३१–३–५५ का बैलेंस			१–४–५५ का बैलेंस			प्राप्ति			योग			व्यय			३१–३–५६ का बैलेंस		
१	२	३			४			५			६			७			८			९			१०			११			१२		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—सुरिजनों के पानी पीने की योजना	..	१९,५१०	४	९	५,४४५	०	०	२४,९५५	४	९	१३,७०८	०	०	११,२४१	४	९	११,२४१	४	९	३,०००	०	०	१४,२४१	४	९	८,२८१	०	०	५,९७०	४	९
२—[illegible]	..	६,८८९	८	९			..	६,८८९	८	९	५,६४०	०	०	१,२४९	८	९	१,२४९	८	९			..	१,२४९	८	९	१,१५०	०	०	९९	८	९
३—[illegible]	..	७२१	०	९	१,०००	०	०	१,७२१	०	९	१,७२०	०	३	० १४	६		० १४	६		१७,०००	०	०	१,००० १४	६		७३५	५	०	२३५	९	६
४—दानी अनुदान	..	४२,६२८	३	०			..	४२,६२८	३	०	२६,८४२	३	६	१५,७८५	१५	६	१५,७८५	१५	६			..	१५,७८५	१५	६	९,९७५	०	०	५,८१०	१५	६
५—[illegible]	..	९९४	२	०	५००	०	०	१,४९४	२	०	५३८	९	०	९५५	९	०	९५५	९	०	७००	०	०	१,६५५	९	०	१,६५६	१३	०	(–) १	४	०
६—[illegible]	..	२००	०	०			..	२००	०	०	४३	११	३	१५६	४	९	१५६	४	९			..	१५६	४	९			..	१५६	४	९
७—[illegible]	..	९८७	१३	९			..	९८७	१३	९	९२१	५	०	६६	८	९	६६	८	९			..	६६	८	९			..	६६	८	९
८—[illegible]	..	२,२७९	५	९			..	३,२०९	५	९	८१,४९०	१	३	२३४	५	९	२३४	५	९	१,६००	०	०	१,८३४	५	९	१००	०	०	१,७३४	५	९
९—[illegible] अनुदान	..	५,५८५	१३	११	३,०००	०	०	८,५८५	१३	११	८,४७४	४	३	१११	९	८	१११	९	८	७,०००	०	०	७,१११	९	८	६,०८८	६	०	१,०२३	३	८
१०—[illegible] अनुदान	..	२,३५०	०	०			..	२,३५०	०	०	२,३५०	०	०			..			..			..			..			..			..
११—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..			..			..			..			..
१२—[illegible]	..	९,९००	०	०	१५,०००	०	०	२४,९००	०	०	९,९००	०	०	१५,०००	०	०	१५,०००	०	०	२०,१००	०	०	३५,१००	०	०	२०,१००	०	०	१५,०००	०	०
१३—[illegible]	..	३,२००	०	०			..	३,२००	०	०	३,२००	०	०			..			..			..			..			..			..
१४—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..			..			..			..			..
१५—[illegible]	..	२१,९५०	०	०	१६,०००	०	०	३७,९५०	०	०	३३,७४७	०	०	४,२०३	०	०	४,२०३	०	०	१३,५००	०	०	१७,७०३	०	०	४०,८८६	८	०	(–) २३,१८३	८	०
१६—[illegible] अनुदान (सेटेल्ड वर्क)	..	२६,०००	०	०			..	२६,०००	०	०	३३०	१३	०	२५,६६९	३	०	२५,६६९	२	०			..	२५,६६९	३	०			..	२५,६६९	३	०
१७—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..			..			..			..			..
१८—[illegible]	..	७००	०	०	१,०००	०	०	१,७००	०	०	९१७	०	०	१,०८३	०	०	१,०८३	०	०	५,७००	०	०	६,७८३	०	०	३,०८३	०	०	३,७००	०	०
१९—[illegible]	..	८६,८६२	०	०			..	८६,८६२	०	०	७४,०८३	०	०	१२,७७९	०	०	१२,७७९	०	०			..	१२,७७९	०	०	१३,९४१	०	०	(–) १,१६२	०	०
२०—[illegible]	..	२०,०००	०	०	२०,०००	०	०	४०,०००	०	०	१४,२९९	१०	९	२५,७००	५	३	२५,७००	५	३	१०,०००	०	०	३५,७००	५	३	२४,५००	०	०	११,२००	५	३
२१—[illegible]	..			..	५००	०	०	५००	०	०			..	५००	०	०	५००	०	०			..	५००	०	०	३७०	०	०	१३०	०	०
२२—[illegible]	..			..	२,०००	०	०	२,०००	०	०			..	२,०००	०	०	२,०००	०	०	१,०००	०	०	३,०००	०	०	१,०००	०	०	२,०००	०	०
२३—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..	७००	०	०	७००	०	०			..	७००	०	०
२४—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..	२,४००	०	०	३,२५०	०	०	९००	०	०	२,८५०	०	०
२५—[illegible]	..			..	९५०	०	०	९५०	०	०			..	९५०	०	०	९५०	०	०			..	२,५००	०	०	२,५००	०	०			..
२६—[illegible]	..			..	२,५००	०	०	१,५००	०	०			..	२,५००	०	०	२,५००	०	०			..			..			..			..
२७—[illegible]	..			..	११,४९४	०	०	११,४९४	०	०	११,४९४	०	०			..			..			..	८,८१०	०	०	१,०५०	०	०	६,७६०	०	०
२८—[illegible]	..			..	५०,०००	०	०	५०,०००	०	०	४१,१९०	०	०	८,८१०	०	०	८,८१०	०	०			..	६१,१४४	०	०	४६,६८७	०	०	१४,४५७	०	०
२९—[illegible] अनुदान (नई)	..			..	५०,०००	०	०	१,५०,०००	०	०	८८,८५६	०	०	६१,१४४	०	०	६१,१४४	०	०			..	२,१६,२६७	०	०	७१,९१८	०	०	१,४४,३४९	०	०
३०—[illegible]	..			..	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००	०	०			..			..			..	२,१६,२६७	०	०	५०,०००	०	०			..	५०,०००	०	०
३१—[illegible] अनुदान (१९५५–५६)	..			..			..			..			..			..			..	५०,०००	०	०									
३२—[illegible]	..			..			..			..			..			..			..												
योग	..	२,५०,६८८	४	०	८२,७९,३८९	०	०	५,३०,०७७	४	०	८३,३९,९२६	११	०	१,९०,१५०	९	८	१,९०,१५०	९	८	३,३२,९६७	०	०	५,२३,११७	९	८	८२,५५,९२२	०	०	२,६७,१९५	९	८

उदय कुंज विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर)

मथुरा जिले में सरकारी अस्पतालों व औषधालयों की सूची

सरकारी एलोपैथिक अस्पताल	सरकारी जनाना अस्पताल (एलोपैथिक)	सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय	सरकारी यूनानी औषधालय	सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल
१	२	३	४	५
१—जिला अस्पताल, मथुरा	१—जनाना अस्पताल, मथुरा ।	१—कुम्ही	कोई नहीं	कोई नहीं
		२—सहपाऊ		
२—जेल अस्पताल (स्पेशल)	२—कोसी डिस्पेंसरी ।	३—माट		
		४—महावन		
३—पुलिस अस्पताल (स्पेशल)		५—शाहर	जनाना औषधालय	जनाना औषधालय
४—चौमुहां डिस्पेन्सरी		६—बरौली		
५—नौझील डिस्पेंसरी . .		७—एरिंग		
६—छूत वाले रोगों का . . अस्पताल बृन्दावन		८—गिन्डोह	कोई नहीं	कोई नहीं
		९—उमारी		
		१०—कामर		
		११—गोकुल जनाना औषधालय		
		कोई नहीं		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४९ पर)

नियोजन विभाग, बिजनौर द्वारा १९५४ (वित्तीय वर्ष १९५४-५५) में व्यय किये गये धन की सूची

		व्यय			शेष		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—कर्मचारियों का वेतन	..	१,६८३	०	०		..	
२—आकस्मिक व्यय	..	३,९७४	४	३		..	
३—अनुदान ..	..	४,५५,९६६	६	०	८२,९८६	८	३
एन० ई० एस० ब्लाक कोतवाली							
१—कर्मचारियों का वेतन	..	९,९०५	३	०	७,३७७	६	०
२—आकस्मिक व्यय	..	१४,७९९	१०	०	१४,६२०	५	०
३—अनुदान ..	..	१२,५००	०	०		..	
४—ऋण ..	..	४३,७००	०	०		..	
एन० ई० एस० ब्लाक अफजलगढ़							
१—कर्मचारियों का वेतन	..	१२,६०४	१	०	२१,८४०	७	०
२—आकस्मिक व्यय	..	१७,००२	९	६	१०,८५८	३	६
३—अनुदान ..	..	२७,६३०	०	०		..	
४—ऋण ..	..	५१,२००	०	०		..	
अनुदान निम्नलिखित अनुदान प्रोजेक्ट एरिया के बाहर व्यय किया गया							
१—पानी पीने के कुयें के सम्बन्ध में				..	३,५००	५	०
२—कुआं की मरम्मत ..				..	२८,४००	०	०
३—पंचायत घर तथा स्कूल ..				..	८०,०००	७	०
४—गांधी चबूतरा				..	३,०००	१०	०
५—सड़क पर लालटेनें ..				..	९६०	०	०
६—गलियों का पक्का करना ..				..	१,४१,६९२	०	०
७—बीज गोदामों की इमारतें ..				..	९,०००	८	०
८—सिंचाई सम्बन्धी चोनस ..				..	६,०००	०	०
९—कोआपरेटिव ट्यूबवेल ..				..	२८,०००	८	०
१०—पुलियों का निर्माण ..				..	५३,५६९	०	०
११—हरिजनों के कुयें ..				..	३९,८२५	०	०
१२—छोटे पुलों का निर्माण ..				..	२०,५१८	०	०
		योग		..	४,५५,९६६	६	०

अविभाजित संस्करण

	व्यय	शेष

एन० ई० एस० ब्लाक, अफजलगढ़ में व्यय किये गये अनुदान का विवरण

अनुदान

१—पानी पीने के कुएं तथा उनकी मरम्मत	..	२३,७००	० ०
२—पंचायत घर तथा स्कूल	..	१२,२३४	० ०
३—बीजगोदाम	..	७,०००	० ०
४—पुलियां	..	९,०००	० ०
५—छोटे-छोटे पुल	..	२,०००	० ०
६—कच्ची सड़कें	..	३००	० ०
७—इरोजन को रोकने के लिये कुओं का निर्माण	..	७०९	० ०
८—खरंजा	..	३,०८९	० ०
९—फुटपाथ	..	७५	० ०
१०—लालटेन	..	१२०	० ०
११—सोकेज गड्ढे	..	४५८	० ०
१२—गांधी चबूतरा	..	२७५	० ०
योग	..	३७,६३०	० ०

उत्तर प्रदेश संग्रहालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४९ पर)

उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

क्रम सं०	विकास क्षेत्र का नाम	जिला	सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत चालू किये गये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र
१	२	३	४
१	गरुड़-बैजनाथ	अल्मोड़ा	१ टीन का काम २ सिलाई-बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिए) ३ गलीचा बनाने की कला (महिलाओं के लिए) ४ ऊन की कताई व बुनाई
२	कपकोट ..	अल्मोड़ा	१ ऊन की कताई व बुनाई २ गलीचा बनाने की कला (महिलाओं के लिए) ३ बढ़ईगीरी
३	थराली ..	गढ़वाल	१ ऊन की कताई व बुनाई २ बढ़ई गीरी ३ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिए)
४	सुल्तानगंज ..	मैनपुरी	१ कांच के मोती बनाना २ सिलाई
५	अलीगंज ..	एटा	१ पीतल के वर्तन व इमारती सामान बनाने का काम २ कृषि यन्त्रालय
६	मोहम्मदाबाद ..	फर्रूखाबाद	..
७	मोठ ..	झांसी	१ सिलाई २ बढ़ईगीरी ३ कताई एवं बुनाई ४ स्मिथी का कारखाना
८	गुरसराय ..	झांसी	१ सिलाई (महिलाओं के लिए)
९	मऊरानीपुर	झांसी	१ कम्बल बनाना २ स्मिथी ३ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिए)
१०	बीकापुर	फैजाबाद	१ टीन व अन्य धातुओं की चद्दरों का काम २ बढ़ईगीरी ३ सिलाई (महिलाओं के लिए) ४ कृषि यन्त्रालय

क्रम सं०	विकास क्षेत्र का नाम	जिला	सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत चालू किये गये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र
१	२	३	४
११	कूरेभार	सुल्तानपुर	१ टीन का काम
			२ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			३ लोहारी व बढ़ईगीरी का कृषि यन्त्रालय
१२	जयसिंहपुर	सुल्तानपुर	१ बढ़ईगीरी
			२ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			३ खादी
१३	भटहट	गोरखपुर	१ बटन बनाने की कला
			२ स्मिथी
			३ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			४ कताई
१४	कसिया	देवरिया	१ सिलाई
			२ स्मिथी
			३ चर्खा बनाने का काम (बढ़ईगीरी)
			४ चर्म कला
१५	सलीमपुर	देवरिया	१ अंडी (रेशम) का काम
१६	ओसी	आजमगढ़	१ अंडी (रेशम) का काम
			२ दरी बनाने की कला
१७	कासिमाबाद	गाजीपुर	१ सिलाई
			२ कम्बल बनाने की कला
			३ साबुन बनाना
१८	रतनपुरा	बलिया	१ अंडी (रेशम) का काम
१९	बजौता	आगरा	१ स्मिथी
			२ सिलाई, बिनाई, एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			३ संगमरमर का कार्य
२०	उसवां	बदायूं	१ स्मिथी
			२ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
२१	देवबंद	सहारनपुर	१ स्मिथी
			२ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
२२	नगर (बहादुरपुर)	बस्ती	१ कपड़े की रंगाई व छपाई का काम
			२ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)

उत्तर प्रदेश सेवा

क्रम सं०	विकास क्षेत्र का नाम	जिला	सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत चालू किये गये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र
१	२	३	४
२३	दुद्धी ..	मिर्जापुर	१ बढ़ईगीरी
			२ स्मिथी
			३ सिलाई, बिनाई एवं कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			४ अंडी व टसर रेशम का काम
			५ स्मिथी का देहाती कारखाना
२४	फूलपुर ..	इलाहाबाद	१ कम्बल बनाना
			२ सिलाई, बिनाई एवम् कसीदाकारी (महिलाओं के लिये)
			३ स्मिथी
२५	चकराता ..	देहरादून	१ हाथ से कागज बनाना
			२ पीतल का काम
			३ रेशम का काम
			४ सिलाई
२६	भिलंगाना ..	टिहरी-गढ़वाल	१ बढ़ईगीरी एवं छड़ी बनाना
			२ ऊन की कताई व बुनाई
		योग ..	७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

विधान सभा के ८ वें बुधवार के लिए निर्धारित श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रम सं०	गांव	राशि (रु०)
१	विपरावली	३,५३०
२	जरार	१०,१९३
३	पार्वतीपुरा	३,१८७
४	मुदियापुरा	५००
५	पघोरा	३,१००
६	सिबोरा	९,३१५
७	फरकोली	१,२५९
८	कंकड़खेड़ा	१,१००
९	बसाई भदोरिया	१,१००
१०	बिजोली	३,९२५
११	राजोरा	३,०६०
१२	सियारीपुरा	५००
१३	रटोटी	२,३४०
१४	पिनाट	२,९५८
१५	चौसिगी	५००
१६	गोपालपुरा	८,०८९
१७	बिजकोली	५००
१८	सियाइच	१,०००
१९	बटेश्वर	१,०००
२०	सिकतरा	२,७००
२१	सिधावली	१,२३५
२२	कालिंजर	२,७८५
२३	तलगौन	१,०००
२४	भरौनगला	३,५६८
२५	पुरजा	१,०००
२६	भदरोली	५,९००
२७	इटाअली	१,५००
२८	बाह	५,२०४
२९	अरनोता	१,७६६
३०	हसायनपुरा	१,०००
३१	नगरिया	१,०००
३२	खड़गपुरा	१,५००
३३	कफथारी	२,९५०
३४	पुरानाथा	१,७००
३५	पुरामानसुख	६००
३६	बेरी	२,०००
३७	पुरा निहोलाल	२,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमसं० गांव	राशि (रु०)
३८—बमरोली	१,३६४
३९—लखनपुरा खालसा	५,२६३
४०—नरहोली	६,१६०
४१—बरेन्डा	१,२८०
४२—बसाई गुजर	५७५
४३—रुद्रमली	१०,००५
४४—सिलपोली	२१
४५—राजपुरा	१,१४९
४६—बरोंस	४२४
४७—मई	२,६६६
४८—उमरेठा	४,०२२
४९—पुलाहारी	२००
५०—रेहा	६०
५१—पुराकनेरा	५,०४०
५२—बसोनी	३६९
५३—होलीपुरा	६६२
५४—पुरा झोरियान	२,०००
५५—कोट	१,१५०
५६—पेख	८३०
५७—मानिकपुरा	१,०३०
५८ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (खांड से खेड़ा-देवीदास तक, डेढ़ मील कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए)	९,०००
५९—ई० ई० कैनाल्स (ग्राम मानकपुरा में एक पुलिया के निर्माण के लिये) ..	९००
६०—रामपुर चन्द्रसेनी	२००
६१—महापुर	९५०
६२—बलाई	९००
६३—विजयगढ़ी	९००
६४—बिठोली	१,५००
६५—सेहा	६००
६६—खिल्ली	४००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

	रु०	आ०	पाई
१—वेतन	२७,६४०	१०	०
२—रेकरिंग कन्टिन्जेन्सी	१२,८३८	७	६
३—नान-रेकरिंग कन्टिन्जेन्सी एवं इमारत	५२,९९९	२	९
४—निर्माण-कार्यों पर अनुदान ..	३५,९२७	५	०
५—माइनर इरीगेशन की योजनाओं के लिये ऋण	१०,०००	०	०
६—स्पेशल मीडियम तथा लांग टर्म लोन ..	२७,७८६	०	०
७—नहर विभाग द्वारा सिंचाई के कार्यों में व्यय	७५,०७८	८	०
	२,४२,२७०	१	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	एकरेज (हजार एकड़ में।)			सप्लाई (लाख मन में)			विशेष विवरण
		५३-५४	५४-५५	५५-५६	५३-५४	५४-५५	५५-५६	
१	सिवौलो	·४९	·६०	१·०९	·७५	१·२०	१·५०**	अनुमानित
२	अटरिया	·५०	·५०	·७५	·५६	·९०	१·००*	सप्लाई
३	कमलापुर	·२७	·२५	·२३	·२९	·४०	·४०*	

सदर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सिंचाई—

१—सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ।	..	९० एकड़

कृषि—

२—वितरित किये गये उन्नतिशील बीज	..	३,६७५ मन
३—वितरित की गयी खाद सामग्री	..	४८७ मन
४—वितरित किये गये औजारों की संख्या	..	३६८
५—खोदे गये खाद के गड्ढों की संख्या	..	२०३

बागवानी—

६—नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र	..	४४ एकड़
७—तरकारियों के बोने के लिये प्रयुक्त अतिरिक्त क्षेत्र	..	४० एकड़

पशुपालन—

८—बांटे गये उन्नति-शील सांड़ों की संख्या	..	३९
९—बांटी गयी उन्नतिशील पक्षियों की संख्या	..	४११
१०—बधिया किये गये बैलों की संख्या	..	२५१
११—चिकित्सक पशुओं की संख्या	..	५,२१९

शिक्षा-सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक कार्य—

१२—वयस्कों के लिये खोले गये शिक्षा-केन्द्र	..	४
१३—साक्षर किये गये वयस्कों की संख्या	..	६२१
१४—खोले गये नये स्कूलों की संख्या	..	३
१५—खोले गये सामुदायिक केन्द्र (इनमें "रिक्रियेशन"-केन्द्र सम्मिलित हैं)		१३
१६—कम्यूनिटी इन्टरटेनमेन्ट्स की संख्या	..	२५

सामूहिक कार्य—

१७—सड़कों का निर्माण	..	
(१) कच्ची सड़क		२५ मील ४ फर्लांग
(२) पक्की सड़क		१ फर्लांग
१८—सड़क की मरम्मत	..	१८ मील (कच्ची सड़क)
१९—निर्मित पुलियों की संख्या	..	१०

जन-स्वास्थ्य—

२०—"सोकेज-पिट्स"	..	१८९
२१—गांवों के पाखाने	..	३५
२२—पक्की नालियां	..	४७ गज
२३—पीने के पानी की नयी जगहें	..	८६
२४—पीने के पानी की जगहें जिनकी आद्योपांत सफाई की गयी	..	४९
२५—लगाये गये टीकों की संख्या	..	४,७७४

सहकारिता—

२६—संगठित की गयी सहकारी समितियों की संख्या	..	५२
२७—इन सहकारी समितियों के बनाये गये सदस्यों की संख्या	..	७३९

सार्वजनिक दान—

२८—श्रम	..	६७,८९४ रु० की लागत का
२९—नकद तथा अन्य दान	..	८,१०६ रु० की लागत का

अध्यक्ष उत्तरप्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

सूची

१९५४–५५ में जो एलोपैथिक अस्पताल खुले

जिला	स्थान
१–अलीगढ़	अखराबाद
२–आगरा	होलीपुरा
३–झांसी	इरिच
४–बांदा	रासिन
५–हमीरपुर	इमलिया
६–मिर्जापुर	चोपान
७–बलिया	दूभर
८–अल्मोड़ा	मुन्सियारी दनिया
९–उन्नाव	कटरा दीवानखेड़ा
१०–खेरी	जंगबहादुरगंज
११–उन्नाव	मौरावां प्रान्तीयकरण
१२–नैनीताल	स्त्री अस्पताल हलद्वानी प्रान्तीयकरण
१३–सीतापुर	स्त्री अस्पताल, महमूदाबाद (प्रान्तीयकरण)
१४–बस्ती	शोहरतगढ़ (प्रान्तीयकरण)
१५–कानपुर	स्त्री अस्पताल, रूरा

आयुर्वेदिक व यूनानी

१–अलीगढ़	गोमत	आयुर्वेदिक
२–हरदोई	गोनी गन्डवा	..
३–मैनपुरी	जेवन्ती	..
४–शाहजहांपुर	चांदापुर	..
५–मिर्जापुर	मातवार	..
६–उन्नाव	जगजीवनपुर	..
७–देवरिया	मथौली	..
८–बनारस	सेवापुरी	..
९–कानपुर	पुरा	..
१०–बाराबंकी	सतरिख	यूनानी

१९५५–५६ में खुले चिकित्सालयों की सूची

एलोपैथिक साधारण

१–इलाहाबाद	मऊआएमा
२–अलीगढ़	बुसावन
३–आजमगढ़	बरहलगंज बाजार
४–अल्मोड़ा	१–बराछीना
५–अल्मोड़ा	२–कौसानी
६–बनारस	रामपुर कलां
७–बिजनौर	कादिराबाद
८–बुलन्दशहर	डन्कौर
९–बस्ती	उस्काबाजार
१०–बहराइच	खेरीघाट
११–फैजाबाद	गोसाईगंज
१२–इटावा	चकरनगर
१३–गोरखपुर	नेवाकपुर
१४–हमीरपुर	श्रीनगर
१५–जौनपुर	समोधपुर
१६–कानपुर	कृष्णपुर कलौनी
१७–खीरी	तिकोनिया
१८–लखनऊ	सरोजनीनगर
१९–मुरादाबाद	मतलबपुर
२०–नैनीताल	पहाड़पानी
२१–नैनीताल	मोवाली
२२–प्रतापगढ़	मानिकपुर
२३–कानपुर	रूरा
२४–रायबरेली	खिरौब
२५–रायबरेली	अहियर
२६–टिहरी गढ़वाल	कीर्तिनगर
२७– ,,	भटवारी (तिब्बत बार्डर पर)
२८– ,,	दुन्दा
२९– ,,	हरसिल
	निलांग
३०–गढ़वाल	गमसाली
३१– ,,	बलारी
३२–गढ़वाल	जेलम
३३–अल्मोड़ा	धारचुला
३४– ,,	तेजम
३५–देवरिया	पडरौना एम०एंड डी० अस्पताल
३६–मेरठ	गाजियाबाद
३७–मुजफ्फरनगर	सामली

स्त्री चिकित्सालय

३८–आजमगढ़	मऊ
३९––बनारस	भदोही
४०––बस्ती	बांसी

जिला	स्थान
४१—खीरी	निघासन
४२—मेरठ	पिखुआ
४३—बरेली	बहेड़ी
४४—हमीरपुर	चरखारी

जिन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हुआ

४५—लखनऊ	सिसेन्दी
४६—अलीगढ़	अतरौली (स्त्री अस्पताल)
४७—बिजनौर	चांदपुर ,,
४८—मेरठ	हापड़
४९—नैनीताल	काशीपुर
५०—बुलन्दशहर	खुरजा (स्त्री चिकित्सालय)
५१—बिजनौर	नगीना
५२—इलाहाबाद	आनापुर (स्त्री अस्पताल)
५३—नैनीताल	रामनगर
५४—अलीगढ़	सिकन्दरा राऊ (स्त्री अस्पताल)
५५— ,,	हाथरस (बागला)
५६—गढ़वाल	बिरौनखाल
५७—सहारनपुर	रुड़की
५८—उन्नाव	बांगरमऊ
५९—झांसी	ललितपुर (जनाना)
६०—झांसी	ललितपुर (मर्दाना)
६१—गढ़वाल	बानघाट
६२ प्रतापगढ़	धरूपुर
६३—अल्मोड़ा	पिथौरागढ़

आयुर्वेदिक

१—आगरा	नन्दगांव
२—आजमगढ़	रेंदा
३—अल्मोड़ा	नगरखां
४—बिजनौर	दारानगर गंज
५—बुलन्दशहर	दुजाना
६—बलिया	विद्याभवन नारायनपुर
७—देवरिया	कुशीनगर
८—गाजीपुर	सोहावल
९—गोरखपुर	मुरदेवा बाजार
१०—गोंडा	श्रीनगर
११—गढ़वाल	बुन्धीघाट
१२—हमीरपुर	जितकिरी
१३—जौनपुर	पैसा बाजार
१४—मिर्जापुर	बरौरदा
१५—नैनीताल	रानीबाग
१६—प्रतापगढ़	पुरेछनऊ
१७—सुल्तानपुर	चतवनपुर
१८—देहरादून	ठकरानी

यूनानी

१९—सहारनपुर	अम्बेठा
२०—हरदोई	आशाही आजमपुर

उत्तर प्रदेश पत्रिका

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६८ पर)

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कुछ अधिनियमों को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कुछ अधिनियम, जिनका प्रायः अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्टतः और विशिष्टतः (expressly and specifically) निरसित कर दिये जायं;

और यह भी इष्टकर है कि कतिपय अन्य अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जायं;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम १९५६ कहलायेगा;

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कतिपय अधिनियमों का निरसन।

२—प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के चतुर्थ स्तम्भ में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

३—(१) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

(२) किसी भी अधिनियम में जिले के कार्यपालिका अध्यक्ष (executive head) के रूप में "डिप्टी कमिश्नर" के प्रति किये गये किसी भी निर्देश (reference) का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से होगा।

अपवाद (Savings)

४—इस अधिनियम द्वारा किये गये किसी भी अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियम प्रयुक्त, निगमित अथवा निर्दिष्ट (applied, incorporated or referred) किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई (done or suffeed) किसी बात को अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा उपगत (acquired, accrued or incurred) किसी अधिकार, आगम, आभार अथवा दायित्व को अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही को, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग से मुक्ति या उसके उत्सर्जन (release or discharge) अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति (indeminity) को या किसी अतीत (past) के कृत्य या वस्तु के प्रमाण की वैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम पर या वकालत, वृत्ति या प्रक्रिया (pleading practice or procedure) के संस्थापित अधिकार क्षेत्र, प्रकार (form) अथवा दौरान (course) पर, अथवा वर्तमान प्रथा, रीति-रिवाज, विशेषाधिकार, निर्बन्धन (restriction), विमुक्ति (exemption) पर अथवा नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में अथवा से, किसी भी रीति से क्रमशः संपुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न (affirmed recogniszed or derived) हुए हों ;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणाम-स्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रीति-रिवाज, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, वृत्ति, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः प्राप्त ही हो सकेगी।

प्रथम अनुसूची

निरसन

(देखिये धारा २)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४
१८४५	१	सेल्स आफ लैन्ड फार रेवेन्यू एरियर्स, १८४५	समस्त
१८४७	१	ऐक्ट रिलेटिंग टु बाउन्ड्रीज, १८४७	,,
१८५०	२६	ऐक्ट रिलेटिंग टु इम्प्रूवमेंट्स इन टाउन्स, १८५०	,,
१८६३	१९	ऐक्ट रिलेटिंग टु पार्टीशन आफ रेवेन्यू पेइंग इस्टेट्स, १८६३	,,
१८६८	२४	इतोकुलेशन कुमायूं ऐंड गढ़वाल, १८६८	,,

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा ३)

क्रमसंख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८७३	८	दि नार्दर्न इन्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३।	धारा ३ की उपधारा (६) में शब्द "a Deputy Commissioner or other" के स्थान पर शब्द "an" रख दिया जाय।
२	१८९४	१	दि लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४।	धारा ३ के खंड (C) में से शब्द "a Deputy Commissioner and" निकाल दिये जायं।
३	१९१४	२	दि यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४।	धारा ९ की उपधारा (३) में शब्द "confirmation by" तथा शब्द "the District Magistrate" के बीच में शब्द "the Prescribed authority or if none is appointed" रख दिये जायं।
४	१९४७	२०	दि यू० पी० वेटेरिनरी कौंसिल ऐक्ट, १९४७	(१) धारा ५ में संख्या '36' के स्थान पर संख्या '35' रख दी जाय।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
				(२) धारा २६ की उपधारा (१) में शब्द "from the" तथा शब्द "or otherwise" के बीच में आए हुए शब्द "register" के स्थान पर शब्द "Registrar" रख दिया जाय।
				(३) धारा ३२ में शब्द "by public" तथा शब्द "local funds" के बीच में शब्द "or" रख दिया जाय।
५—१९४७	२६		दि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७।	धारा ९५ की उपधारा (१) के खंड (*a*), (*b*) तथा (*c*) में शब्द "or a Nyaya Panchayat" के स्थान पर शब्द "Committee or a "Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।
६—१९४८	६		टाउन एरियाज (संशोधन) ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, सन् १९४८ ई०।	धारा ६ में शब्द तथा संख्या "दफा १४" हटा दिये जायं।
७—१९४८	४०		१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स-टेबुलरी ऐक्ट।	शब्द "प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी", जहां कहीं भी वे आये हों, उनके स्थान पर शब्द "प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुरी" रख दिये जायं।
८—१९४८	४७		१९४८ ई० का यूनाइ-टेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्था-नुकूल परिवर्तन) ऐक्ट।	अनुसूची में— (१) धारा ३ के वर्तमान अवस्थानुकूल परिवर्तन (adaptation) की संख्या (१) के रूप में पुनः परि-गणित कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : "(२) शब्द "the said sub-section" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "sub-section (1) of section 4" रख दिये जायं।" (२) धारा १२ के अवस्थानुकूल परि-वर्तनों "adaptations" के वर्त-मान खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "(२) उपधारा (३) में शब्द "or elected" तथा "elected or" और प्रतिबन्धक "proviso" निकाल दिये जायं।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्ष नाम	संशोधन
१	२	३	४	५
				(३) धारा ६, ७-ई की उपधारा (२) के प्रतिबन्धक में शब्द तथा संख्या "sub-section (1)" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "sub-section (2)" रख दिये जायं।
९—१९४९	८		कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट, १९४९,	धारा ३ में वारन्ट के फार्म के पैरा ग्राफ ३ में शब्द "him safely to keep" के स्थान पर शब्द "to keep him safely" रख दिये जायं।
१०—१९५५	१४		हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४	धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द "कोष्ठक तथा संख्या" धारा ४ की उपधारा (२) के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा संख्या "उपधारा (३)" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का अभिप्राय परिनियम पुस्तक (Statute book) से कुछ ऐसे अधिनियमों को, जिनका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है, हटाना तथा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में छोटे-मोटे संशोधन करना है। इनमें से अनेक संशोधन उन सभी गलतियों को भी ठीक कर देंगे जो उक्त अधिनियमों में पाई गई हैं।

विधेयक से अनुलग्न टिप्पणियां विधेयक के खंडों की व्याख्या करती हैं तथा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के प्रस्तावित संशोधनों के कारणों पर प्रकाश डालती हैं।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

खंडों के सम्बन्ध में टिप्पणियां

१—खण्ड २ तथा प्रथम अनुसूची

प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों का अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है और इसलिये उन्हें निरसित करने का प्रस्ताव है।

२—खंड ३ तथा द्वितीय अनुसूची

अवध में "कलेक्टरों" को "डिप्टी कमिश्नर" कहा जाता है। यह प्रस्ताव है कि दोनों का एक ही पद-नाम कर दिया जाय। अवध के जिलों में "डिप्टी कमिश्नर" अब "कलेक्टर" कहे जायेंगे। इस खंड का उपखंड (२) तथा दूसरी अनुसूची की क्रम सं० १ और २ के संशोधन इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए किये गये हैं।

(२) यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ९ में प्रस्तावित संशोधन पारिमाणिक प्रकार का है। इसी प्रकार के संशोधन, यू० पी० ऐक्ट सं० ६, १९४८ द्वारा धारा ९ की उपधारा (२) तथा धारा १० में किये गये थे।

(३) दि यू० पी० वेटरिनरी काउंसिल ऐक्ट, १९४७; दि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७; टाउन एरिया (संशोधन) ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, सन् १९४८ ई०; टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट, १९४८; कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट, १९४९; हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ में प्रस्तावित संशोधन लेख की छोटी-मोटी गलतियों को ठीक करने के लिये हैं।

३—खंड ४

इसके द्वारा सामान्य अपवादों (savings) की व्यवस्था की गई है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश